



# 37<sup>TH</sup>

वार्षिक प्रतिवेदन  
ANNUAL REPORT  
2019-20



राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)

**National Handloom Development Corporation Limited**  
(A Government of India Undertaking)



# निदेशक मंडल

## Board of Directors

(As on the date of AGM)



श्री संजय रस्तोगी  
**Shri Sanjay Rastogi**  
अध्यक्ष  
**Chairman**  
विकास आयुक्त (हथकरघा)  
Development Commissioner  
(Handlooms)



सुश्री मुदिता मिश्रा  
**Ms. Mudita Mishra**  
प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)/  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)  
**Managing Director** (Addl. Charge)/  
Additional Development Commissioner  
(Handicrafts)



श्री दीपांकर दत्ता  
**Shri Dipankar Dutta**  
निदेशक  
**Director**  
उपसचिव (सामेकित वित्त प्रभाग)  
**Dy. Secretary (IFW)**



श्री अनिल कुमार सूद  
**Shri Anil Kumar Sood**  
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक  
**Non-Official Independent**  
**Director**

37<sup>वां</sup> वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020

37<sup>th</sup> ANNUAL REPORT 2019-2020



राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)

**National Handloom Development Corporation Limited**  
(A Government of India Undertaking)

## विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
कॉर्पोरेट सूचना	6
नैगमिक सूचना सेतीसवीं (37 <sup>वाँ</sup> ) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	12
निदेशकों का प्रतिवेदन	14
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण-पत्र	44
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	74
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	86
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	116
<b>वार्षिक लेखे</b>	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	118
तुलन-पत्र	122
लाभ एवं हानि का विवरण	124
लेखों पर टिप्पणियाँ	126
नकदी प्रवाह विवरण	170
इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ	172
कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार सूचना	174
अनुदान संबंधी विवरण	176





## CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	5
Corporate Information	7
Notice for Thirty Seventh Annual General Meeting	9
Chairman's Speech	13
Directors' Report	15
Corporate Governance Certificate	45
Secretarial Auditor's Report	75
Auditor's Report	87
Comments of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013	117
<b>Annual Accounts</b>	
Significant Accounting Policies	119
Balance Sheet	123
Statement of Profit & Loss	125
Notes on Accounts	127
Cash Flow Statement	171
Statement of Change in Equity	173
Information Pursuant to Schedule III of the Company's Act, 2013	175
Grants Related Information	177

## लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

### लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

### नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाइ चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।
3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिले।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।
5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृत्ति में प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।



# Mission & Corporate Objectives

## MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

## CORPORATE OBJECTIVES

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.



**कॉर्पोरेट सूचना (वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार)**

**श्री संजय रस्तोगी**  
विकास आयुक्त (हथकरघा)  
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(अध्यक्ष)

**सुश्री मुदिता मिश्रा**  
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)  
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(प्रबंध निदेशक)/  
अतिरिक्त प्रभार

**श्री दीपांकर दत्ता**  
उप. सचिव, आईएफडब्लू  
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(निदेशक)

**श्री अनिल कुमार सूद**

(अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)

**श्री जितेंद्र पुरोहित**

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

**श्रीमती अंजलि यादव**

(कंपनी सचिव)

**सांविधिक लेखा परीक्षक**  
मेसेर्स एम.ए.एन.वी. एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

**सचिवीय लेखा परीक्षक**  
मेसेर्स नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी  
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

**शाखा लेखा परीक्षक**  
मेसेर्स एम. कुत्रूल एंड एसोसिएट्स, कन्नूर  
मेसेर्स ओपी हरलालका एंड कंपनी, कोलकाता  
मेसेर्स आलोक शर्मा एंड कंपनी, वाराणसी  
मेसेर्स विनोद ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, पानीपत  
मेसेर्स एम.ए. मोहियाद्दीन एंड कंपनी, हैदराबाद  
मेसेर्स एम. अलागिरीस्वामी, कोयंबटूर  
मेसेर्स एस. बोस एंड कंपनी, गुवाहाटी  
मेसेर्स पीपीबी एंड कंपनी, भुवनेश्वर  
मेसेर्स गद्दम सत्यनारायण एंड कंपनी, विजयवाड़ा

**प्रमुख बैंकर्स**  
इंडियन बैंक  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
एक्सिस बैंक  
पंजाब नेशनल बैंक

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया  
इंडियन ओवरसीज बैंक  
एच.डी.एफ.सी. बैंक  
केनरा बैंक

**पंजीकृत कार्यालय**  
चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर-1,  
प्लॉट नंबर-3, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,  
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,  
उत्तर प्रदेश- 201 306



## Corporate Information (As on the date of AGM)

**Shri Sanjay Rastogi**

Development Commissioner (Handlooms)  
Ministry of Textiles, Govt. of India

(Chairman)

**Ms. Mudita Mishra**

Addl. Development Commissioner (Handicrafts)  
Ministry of Textiles, Govt. of India

(Managing Director)-  
Additional Charge

**Shri Dipankar Dutta**

Dy. Secretary, IFW  
Ministry of Textiles, Govt. of India

(Director)

**Shri Anil Kumar Sood**

(Non-Official Independent Director)

**Shri Jitendra Purohit**

(Chief Financial Officer)

**Smt. Anjali Yadav**

(Company Secretary)

**Statutory Auditors**

M/s. MANV & Associates  
Chartered Accountants

**Secretarial Auditors**

M/s. Navneet K Arora & Co. LLP  
Practicing Company Secretary,  
New Delhi

**Branch Statutory Auditors**

M/s. M Kunnool & Associates, Kannur  
M/s. OP Harlalka & Co. Kolkata  
M/s. Alok Sharma & Co. Varanasi  
M/s. Vinod Grover & Associates, Panipat  
M/s. M A Mohiaddin & Co. Hyderabad  
M/s. M Alagiriswamy, Coimbatore  
M/s. S. Bose & Co. Guwahati  
M/s. PPB & Co. Bhubaneshwar  
M/s. Gaddam Satyanarayana & Co. Vijaywada

**Principal Bankers**

Indian Bank  
Union Bank of India  
Axis Bank  
Punjab National Bank

United Bank of India  
Indian Overseas Bank  
HDFC Bank  
Canara Bank

**Registered Office**

4<sup>th</sup> Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,  
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,  
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,  
Gautam Buddh Nagar  
Uttar Pradesh - 201 306

## सूचना

एतद्वारा सूचना (संक्षिप्त सूचना) दी जाती है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थगित 37<sup>वीं</sup> वार्षिक समान्य बैठक बुधवार, 30 जून, 2021 को अपराह्न 3.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना, अनुमोदन करना और स्वीकार करना।

स्थान: ग्रेटर नोएडा  
दिनांक: 18 जून, 2021

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
हस्ता./-  
(कंपनी सचिव)

### टिप्पणियाँ:-

- क) कोविड -19 महामारी के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक समान्य बैठक (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी और बैठक में मौजूद सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की अपेक्षा से छूट दी है। इस संबंध में, एमसीए ने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर" के रूप में संदर्भित) जारी किए हैं जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल के माध्यम किसी एक स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति से बिना एजीएम बुलाने की अनुमति दी गई है।
- ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के बाद, निगम के निदेशक मंडल ने 19 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी 163 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को मंजूरी दी। उसके बाद, निगम के वार्षिक लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के वार्षिक लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के समक्ष उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया जाना होता है। विदित है कि 31 दिसंबर, 2020 को आयोजित 37<sup>वीं</sup> वार्षिक समान्य बैठक (तब स्थगित, और अब 30 जून, 2021 को आयोजित की जा रही है) में निगम के शेयरधारकों को अवगत कराया गया था कि निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक समान्य बैठक (एजीएम) की नियत तारीख, यानी 31 दिसंबर, 2020 तक, वित्तीय वर्ष 2019-20 वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर सीएजी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी। तदनुसार, 31 दिसंबर, 2020 को आयोजित एनएचडीसी की 37 वीं एजीएम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों पर सीएजी की टिप्पणियां और सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की तारीख में आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- ग) निगम को सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 4 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुई थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने निगम के वार्षिक लेखों के संबंध में एक पूरक लेखा परीक्षा संचालित की। सीएजी ने सांविधिक लेखा परीक्षकों को निगम के वार्षिक लेखाओं के संबंध में अपनी दिनांक 30 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट संशोधित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी संशोधित रिपोर्ट सीएण्डएजी को प्रस्तुत की। सीएण्डएजी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखों और संशोधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर शून्य टिप्पणियां जारी कीं।
- घ) वार्षिक समान्य बैठक (एजीएम) के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए गूगल मीट लिंक पर क्लिक करके बैठक में शामिल हो सकते हैं। चूंकि एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से है, इसलिए कोई रूट मैप नहीं दिया गया है।

<https://meet.google.com/nwd-zyrx-jdr>





## NOTICE

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the Adjourned 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of National Handloom Development Corporation Limited will be held on Wednesday, the 30<sup>th</sup> June, 2021 at 3.30 pm through Video Conferencing mode to transact the following Ordinary business: -

To receive, consider, approve and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 together with the Report of the Directors and Auditors thereon.

By order of the Board of Directors

Place: Greater Noida  
Date: 18<sup>th</sup> June, 2021

Sd/-  
(Company Secretary)

### Notes:-

- a) Due to Covid -19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) allowed conduction of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) and dispensed with the requirement of physical presence of the members at the meeting. In this regard, MCA issued Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitting convening the AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.
- b) Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013, after the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors of the Corporation approved the Annual Accounts of FY 2019-20 in its 163<sup>rd</sup> Board meeting held on 19<sup>th</sup> November, 2020. After that, the Annual Accounts of the Corporation were submitted to the Statutory Auditors for their report thereon. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Annual Accounts of a Government Company along with the report of the Statutory Auditors has to be submitted before the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for their comments thereon. As apprised to the shareholders of the Corporation in the 37<sup>th</sup> AGM held on 31<sup>st</sup> December, 2020 (Adjourned then, and now being held on 30<sup>th</sup> June, 2021), the Corporation had not received the Auditors Report and C&AG comments thereon on the Annual Accounts of FY 2019-20 till the due date of AGM of FY 2019-20, i.e. 31<sup>st</sup> December, 2020. Accordingly, the 37<sup>th</sup> AGM of NHDC held on 31<sup>st</sup> December, 2020 was adjourned to be held on a later date, after receiving the C&AG comments on the Annual Accounts and Statutory Auditor Report of FY 2019-20.
- c) The Corporation had received the Statutory Auditors Report on 4<sup>th</sup> January, 2021. After submission of the Statutory Audit report with C&AG, C&AG conducted a supplementary Audit on the Annual Accounts of the Corporation. C&AG directed the Statutory Auditors to revise their report dated 30<sup>th</sup> Dec, 2020, on the Annual Accounts of the Corporation. The Statutory Auditors then submitted their revised report with C&AG. C&AG then issued NIL comments on the Annual Accounts and Revised Auditors Report for FY 2019-20.
- d) The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company. The participation in the meeting through VC can be done through clicking on the below Google meet link and joining the meeting. Since the AGM is through VC mode, no route map is given.

<https://meet.google.com/nwd-zyrx-jdr>

- ड) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी। सदस्य उपरोक्त गूगल मीट लिंक के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे और इसे उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी साझा किया जा रहा है।
- च) आम तौर पर, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही है, एमसीए परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं हैं।
- छ) वीसी माध्यम के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
- ज) वित्तीय वर्ष 2019-20 में घाटे के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।
- झ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में सीएंडएजी को सूचना भेज दी गई है। इसके अलावा, सदस्यों ने दिनांक 10.04.2002 को अपनी आयोजित आम सभा की बैठक में निदेशक मंडल को भविष्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया है।
- ञ) एनएचडीसी के एओए के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को धारा 196 (2), (4) और (5) से छूट - कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची IV के कुछ प्रावधान के तहत निगम के निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ट) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेषरधारिता का पंजीकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं जिसमें निदेशकों की रुचि है, का पंजीकरण और सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में व्यावसायिक कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में/ऑनलाइन रूप में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए और बैठक के स्थान पर कंपनी की एजीएम के समय उपलब्ध होंगे।



- e) The Facility to join the meeting shall be opened 15 minutes before the scheduled time of the AGM and shall be kept open throughout the proceedings of the AGM. Members will be able to attend the AGM through the aforementioned Google meet link and the same is also being shared on their registered email ids.
- f) Generally, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC mode, pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed hereto.
- g) The attendance of the Members attending the AGM through VC mode will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- h) Due to losses in FY 2019-20, no dividend has been declared by the Board of Directors for FY 2019-20.
- i) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed/re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Communication in this regard has been sent to C&AG. Further, members in their general body meeting held on 10.04.2002, authorized the Board of Directors to approve the remuneration of Statutory Auditors in future.
- j) As per the AOA of NHDC, Provisions of Companies Act, 2013- exemption to section 196 (2), (4) & (5), exemption to Government Cos. from certain provisions of schedule IV of the Companies Act, 2013, Appointment of the Directors of the Corporation is done by Hon'ble President of India.
- k) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office/online of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.



## अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

निगम की स्थगित 37वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षक और निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेना चाहूंगा। कोविड-19 महामारी के कारण गतवर्ष पूरी दुनिया के लिए मुश्किल भरा रहा है। कोविड -19 महामारी ने अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

### पिछले वर्ष की समीक्षा

निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 748.67 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस वर्ष के लिए 11.19 करोड़ रुपये का निवल घाटा रहा है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए निगम नोडल एजेंसी है। कॉरपोरेशन अपने संसाधनों को संशोधित यार्न आपूर्ति योजना के साथ व्यवस्थित कर रहा है और अपने घाटे को कम करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, निगम ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर में दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, निगम लगभग 5.02 लाख हथकरघा बुनकरों तक पहुँचने में सक्षम रहा है।

निगम ऋण मुक्त है और इसका कोषागार कार्यचालन में है और संपूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का कोई बोझ नहीं है।

### भावी परिदृश्य

वस्त्र मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम हथकरघा उत्पादों की बिक्री में अपने व्यवसाय और उद्यम में विविधता लाने पर विचार कर रहा है ताकि बुनाई समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

### निगम से संबंधित शासन प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

निगम का मानना है कि दीर्घवधि में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं से सभी हितधारकों के लिए धन-संपत्ति का सृजन होता है। निगम द्वारा पालन की जा रही कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं संबंधी एक रिपोर्ट, तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है।

### अभिस्वीकृति

किसी भी उपलब्धि के लिए मानवीय योगदान की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं, अपनी ओर से और बोर्ड की ओर से यहां पर हमारी प्रतिबद्धता और सक्षम कार्मिकों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूं, जिनकी निष्ठा और निरंतर प्रयासों से यह हासिल हुआ है। मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरधारकों, वस्त्र मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सीएजी और परीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं विभिन्न बैंकों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों और रसायनों के निर्माताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे निगम में विश्वास व्यक्त किया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।

हस्ता./-  
(संजय रस्तोगी)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

## CHAIRMAN'S SPEECH

**Dear Shareholders,**

It gives me immense pleasure to welcome you to the Adjourned 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of your Corporation and to present the Auditor's & Director's Report for the Financial year 2019-20 along with the Audited Annual Accounts. With your kind permission, I would like to take them as read. The past year has been difficult for the entire world because of the Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic has adversely impacted the economy, our society and human life in all aspects.

### Past year Review

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 748.67 Crore during FY 2019-20. The net loss for the year is Rs.11.19 Crore. Corporation is the nodal agency for implementation of the Yarn Supply Scheme of the of the Ministry of Textiles, Govt of India. The Corporation is channelizing its resources to align with the revised Yarn Supply Scheme and is in the process of reducing its losses.

Further, in the FY 2019-20, the Corporation has enhanced its reach to the far-flung areas especially in North-east. As on 31<sup>st</sup> March, 2020, the Corporation has been able to reach out to approx. 5.02 Lacs handloom weavers.

Your Corporation is debt free Corporation and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation.

### Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is looking to diversify its business and venture in sale of handloom products so as to ensure maximum benefits to the weaving community. We look forward to your co-operation in this regard.

### Corporate Governance

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term leads to creation of Wealth to all the stakeholders. A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report.

### Acknowledgement

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on my behalf and on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG and the Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for corporation's growth in the future.

**Sd/-**  
**(Sanjay Rastogi)**  
**Chairman**  
**DIN: 07722405**

## निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,  
सदस्यगण,

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कामकाज संबंधी 37वीं (सैंतीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

### 1) वित्तीय परिणाम:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019-20	2018-19
बिक्री कारोबार	748.67	950.94
कर-पश्चात लाभ	(-)11.19	(-)16.22
विनियोजन:		
- प्रस्तावित लाभांश *	-	-
- लाभांश पर कॉर्पोरेट कर	-	-
- विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित	-	-
- सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा निधि संग्रह (कॉर्पस) में अंतरण	-	-
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुपयोगी परिसंपत्ति पर मूल्यहास	-	-
निःशुल्क आरक्षित और अधिशेष*	68.41	79.60
कुल आरक्षित	69.42	80.73

\* वित्तीय वर्ष 2019-20 में घाटे के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी भी राशि को रिजर्व में आन्तरण नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

### 2) कंपनी का कार्यनिष्पादन और भावी दृष्टिकोण :

समीक्षाधीन वर्ष और भावी दृष्टिकोण के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालन संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण और अंतर्दृष्टि, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में उपस्थित है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

### 3) निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा कार्य स्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम का कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 950.94 करोड़ रुपए की तुलना में 748.67 करोड़ रुपए रहा। कर-पूर्व घाटा कम हुआ है जो वित्त वर्ष 2018-19 में 13.91 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 9.96 करोड़ रुपए रहा है और कर-पश्चात निवल घाटा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16.22 करोड़ रुपए से घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11.19 करोड़ रुपए रहा है। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 99.73 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 88.42 करोड़ रुपए रही है।

निगम ऋण मुक्त है और यह अपने संपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन अपने आंतरिक संसाधनों से करने में सक्षम है।

## **DIRECTORS' REPORT**

To,  
**The Members,**

Your Directors have pleasure in presenting the 37<sup>th</sup> (Thirty-Seven) Annual Report on the working of the Corporation together with the Audited Accounts for the Financial Year 2019-20.

### **1. FINANCIAL RESULTS:**

(Rs. in Crore)		
<b>Particulars</b>	<b>2019-20</b>	<b>2018-19</b>
Sales Turnover	748.67	950.94
Profit after tax	(-)11.19	(-)16.22
<b>Appropriations:</b>		
· Proposed dividend*	—	—
· Corporate tax on dividend	—	—
· Reserve for Developmental Activities	—	—
· Transfer to Post-Retirement Medical Corpus	—	—
· Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	—	—
Free reserve & surplus*	68.41	79.60
<b>Total reserve</b>	<b>69.42</b>	<b>80.73</b>

*\*Due to losses in FY 2019-20, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.*

### **2. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:**

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis Report, which forms part of the Annual Report.

### **3. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:**

The turnover of the corporation during the FY 2019-20 is Rs. 748.67 crore as compared to Rs 950.94 crore during FY 2018-19. The loss before tax has decreased from Rs. 13.91 crore in the FY 2018-19 to loss of Rs. 9.96 crore in the FY 2019-20 and net loss after tax decreased from Rs. 16.22 crore in the FY 2018-19 to a loss of Rs. 11.19 crore in the FY 2019-20. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 99.73 crore as on 31st March, 2019 to Rs. 88.42 crore as on 31st March, 2020.

The corporation is a debt free and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

भारत सरकार, हमारे निगम के माध्यम से 'यार्न आपूर्ति योजना' (वाईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिससे उचित मूल्य पर यार्न की निर्बाध और आसान उपलब्धता की सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि बुनाई समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखा जा सके। कॉटन हैंक यार्न, हथकरघा क्षेत्र में प्रमुख रूप से खपत होने वाली किस्म है। यार्न की अन्य किस्मों का उपयोग हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त मांग और वरीयताओं के आधार पर भी किया गया है।

आसान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, परिचालन डिपो की संख्या 630 है। (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 641)।

हथकरघा क्षेत्र की लागत की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 से वाईएसएस के तहत हथकरघा क्षेत्र में संवितरित किए जाने वाले कॉटन, घरेलू रेशम, ऊनी तथा लिनन हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है। यह सब्सिडी लाभार्थियों को दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से चालान में अपफ्रंट के बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध होगी। निगम, योजना के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान यार्न की आपूर्ति 70653.27 लाख रुपए मूल्य के साथ 407.93 लाख किलोग्राम थी। जिसमें यार्न आपूर्ति योजना के तहत 70061.02 लाख रुपए मूल्य के साथ 406.17 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 90550.29 लाख रुपए मूल्य के साथ 445.59 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति थी जिसमें यार्न आपूर्ति योजना के तहत 89714.50 लाख रुपए मूल्य के साथ 442.04 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान यार्न आपूर्ति योजना के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत यार्न की आपूर्ति (उपर्युक्त उल्लिखित यार्न की आपूर्ति में शामिल) पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 50198.32 लाख रुपए मूल्य के साथ 146.26 लाख किलोग्राम की तुलना में 36566.69 लाख रुपए मूल्य के साथ 93.26 लाख किलोग्राम थी।

निगम, हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गुणवत्ता वाले रंगों की व्यवस्था कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह आपूर्ति 4213.47 लाख रुपए मूल्य के साथ 33.07 लाख किलोग्राम थी। इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यह 4542.52 लाख रुपए मूल्य के साथ 40.51 लाख किलोग्राम थी।

निगम, प्रतिस्पर्धी/निम्नतम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से थोक (बल्क) मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए थोक मात्रा में खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ यार्न दरों पर मोल-भाव कर रहा है। बुनकर एजेंसियों की सुविधा के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

इसके अलावा, निगम हथकरघा स्टोर्स सहित अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए अन्य लोगों के बीच भी कारोबार की कोशिश कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में नए कोरोना वायरस के प्रकोप ने बिक्री के साथ-साथ कारोबार के विविधीकरण को प्रभावित किया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देनदारों से बकाया के % के रूप में (31 मार्च, 2019 तक बकाया में से) देनदारों से 10.72% (पिछले वर्ष - 67.43%) वसूल किया गया।

### लखनऊ मामले की नवीनतम स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह रिपोर्ट दी गई है कि वित्त वर्ष 2018-19 में वाईएसएस से संबंधित 190.82 करोड़ रुपए की खरीद/बिक्री चालान की राशि लखनऊ कार्यालय में रद्द कर दी गई थी और निगम ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया था। इस संबंध में, सीबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा था, 'प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, प्रश्नांकित बिक्री को रद्द करने के कारण एनएचडीसी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित अधिकारियों की अभियोज्यता का पता लगाने के लिए मामले में पूरी तरह से सतर्कता जांच करने की सलाह दी जाती है, साथ ही यदि सरकारी कोष को किसी गैर-कानूनी नुकसान की मात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, तो फॉरेंसिक ऑडिट कराने और तदनुसार, मामले का निपटान करने की सलाह दी जाती है।'



The Government of India has been implementing the 'Yarn Supply Scheme' (YSS) through our corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been used based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2020, the number of operational depots is 630 nos. (641 nos. as on 31st March, 2019).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 10% price subsidy on Cotton, domestic Silk, Woolen and linen hank yarn to be distributed in the handloom sector under YSS w.e.f. 06th Jan., 2012. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode, instead of upfront in the invoice, to the beneficiaries from 18th April, 2018. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 10% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2019-20 were 407.93 Lakh kg. valuing Rs. 70653.27 Lakh which include 406.17 Lakh kg. valuing Rs. 70061.02 Lakh under Yarn Supply Scheme as compared to supplies of 445.59 Lakh kg. valuing Rs. 90550.29 Lakh which include 442.04 Lakh kg. valuing Rs. 89714.50 Lakh under Yarn Supply Scheme during the last financial year 2018-19. The yarn supplies under the 10% Price Subsidy Component of Yarn Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2019-20 were 93.26 Lakh kg. valuing Rs. 36566.69 Lakh as compared to 146.26 Lakh kg. valuing Rs. 50198.32 Lakh during the last financial year 2018-19.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2019-20 were 33.07 Lakh kg. valuing Rs.4213.47 Lakh as compared to supplies of 40.51 Lakh kg. valuing Rs.4542.52 Lakh during the last financial year 2018-19.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

Further, the Corporation is also looking to diversify its business including Handloom stores among others. The novel coronavirus outbreak in the last quarter of fiscal year 2020 has affected the sales as well as diversification of business.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2019) during the FY 2019-20 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2019 is 10.72% (Previous year – 67.43%).

#### Update on Lucknow matter

It had been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, *'prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly.'*



निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष उक्त सीबीआई विज्ञप्ति प्रस्तुत करने में कुछ प्रशासनिक मुद्दे थे, तत्कालीन प्रबंध निदेशक सहित उच्च-स्तरीय अधिकारियों का निलंबन हुआ। इसके अलावा, सीबीआई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रबंधन और सीबीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच पर काम चल रहा है।

#### 4) विकासात्मक कार्यकलाप और विपणन सहायता:

निगम ने विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की है, जिसमें वे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं। इस संबंध में अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, ग्रेटर नोएडा, गुवाहाटी, जम्मू, जमशेदपुर, जोधपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पुणे, रायपुर, सूरत, वाराणसी, विशाखापत्तनम में 23 'सिल्कफेब' प्रदर्शनी (पिछले वर्ष - 19) आयोजित की गईं, लखनऊ और भोपाल में 02 वूलफेब प्रदर्शनी (पिछले वर्ष - 01) आयोजित की गईं, दिल्ली, इंदौर, लखनऊ में 03 'राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो' (पिछले वर्ष - 04) आयोजित किए गए, लेह में 01 विशेष प्रदर्शनी और इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, जबलपुर, जमशेदपुर, जोधपुर, नागपुर, पटना में 08 संयुक्त एक्सपो का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री 75.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 52.88 करोड़ रुपये) रही थी।

#### 5) कम्प्यूटरीकरण:

डिजिटल इंडिया अभियान समावेश के तहत, निगम ने विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की है जैसे कि ऑनलाइन ईआरपी, ई-धागा मोबाइल ऐप, बुनकरों के लिए ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि का कार्यान्वयन। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं, बुनकर समुदाय को एनएचडीसी तक आसान पहुंच उपलब्ध हो गई है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित किसी भी सेवा/सूचना के लिए समय को कम करना है।

इसके अलावा, एनएचडीसी उन्नत ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और एनएचडीसी के सभी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

#### 6) नैगमिक अभिशासन:

निगम, अपने संचालन के सभी पहलुओं में नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता में दृढ़ता से विश्वास करता है और उसे सबसे अधिक महत्व देता है, जिससे इसके हितधारकों के लिए धन सृजन में वृद्धि होती है। निगम द्वारा पालन की जा रही 'निगम शासन प्रणाली' ('कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज') संबंधी रिपोर्ट और 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' ('मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट') क्रमशः **अनुलग्नक क और ख** के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के आंकड़े 16 अक्टूबर, 2019 (अंतिम आंकड़े) को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए गए थे और वर्ष 2019-20 के लिए निगम के वार्षिक लेखों को दिनांक 24 जनवरी, 2020 को निगम की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2018-19 के लिए लोक उद्यम विभाग को सौंपी गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (त्रैमासिक रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 94.59% यानी **'उत्कृष्ट'** रहा है।

#### 7) व्यक्तिगत विकास और औद्योगिक संबंध:

एनएचडीसी, मानव संसाधन के विकास पर बहुत जोर दे रहा है और इस संदर्भ में, यह इन-हाउस ट्रेनिंग कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से कौशल के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ अपने कार्मिकों को बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए नामित कर रहा है।





There were some administrative issues in the submission of the aforementioned CBI communication before the Board of Directors and the Administrative Ministry, suspension of high-level officers including the then MD happened. Further, as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO and the same are under progress.

#### 4. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 23 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 19 nos.) were organized at Ahmedabad, Amritsar, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Ernakulam, Greater-Noida, Guwahati, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Pune, Raipur, Surat, Varanasi, Visakhapatnam, 02 nos. 'WOOLFAB' exhibitions (Previous year - 01 nos.) at Lucknow and Bhopal, 03 no. 'National Handloom Expo (Previous year – 04 nos.) at Delhi, Indore, Lucknow, 01 no Special Exhibition at Leh and 08 nos Joint Expo at Allahabad, Bengaluru, Bhopal, Jabalpur, Jamshedpur, Jodhpur, Nagpur, Patna were organized during the year. The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 75.80 Crore (Previous year - Rs. 52.88 Crore).

#### 5. COMPUTERISATION:

Under the umbrella of Digital India Campaign, the Corporation has taken various digital initiatives viz. implementation of online ERP, eDhaga Mobile App, Online Direct Benefit Transfer for weavers etc. Using digital technologies, which includes Cloud computing and Mobile applications, NHDC is easily reachable to weaver community. The objective of digitization is to minimize time for any services/information required by users.

Further, NHDC is continuously working to improve IT services through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity throughout NHDC offices

#### 6. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure A & B** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2018-19 was submitted to the department of Public Enterprises on 16th October, 2019 (provisional figures) and the annual accounts of the corporation for the year 2019-20 were placed on the website of the corporation on 24th January, 2020. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2019-20 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2018-19 comes to 94.59 % i.e. '**Excellent**'.

#### 7. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

NHDC has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through organization of In-house Training Programmes as well as deputing its personnel to specific programmes/ seminars/workshop organized by the outside agencies of repute.

वर्ष 2019-20 के दौरान, निगम ने सभी नियमित कार्मिकों, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, के लिए 31.12.2019 - 29.01.2020 की अवधि के लिए स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) खोली। इसके लिए कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए।

31 मार्च 2020 तक निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 167\* (पिछले वर्ष 191) है, जिसमें 14 (8.38%) अनुसूचित जाति (एसटी) श्रेणी के कार्मिक, 07 (4.19%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 24 (14.37%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 04 (2.39%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

प्रति कार्मिक कारोबार 4.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.98 करोड़ रुपए) है और प्रति कार्मिक कर-पश्चात लाभ (पीएटी) -6.70 लाख रुपए (पिछले वर्ष -8.49 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

## 8) हिंदी का प्रगतिशील उपयोग:

निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिकों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित हिंदी कार्यशालाओं के साथ-साथ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

## 9) निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

### निदेशक

निगम के 01 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के अलावा, निदेशक मंडल की सुस्थापित संरचना की गई है। 01 स्वतंत्र निदेशक के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से नियमित अनुरोध किया गया था।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक (अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को अतिरिक्त प्रभार) और एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक है। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिया गया:

- श्री संजीव दुआ को भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के आदेश सं. 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने अर्थात् 01 मई, 2019 से उनकी सेवानिवृत्ति (31/10/2021) की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश सं. 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा निलंबित किया गया था।
- श्री अनिल कुमार सूद को दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के आदेश सं. 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/खंड.IV द्वारा तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- सुश्री मुदिता मिश्रा (अपर विकास आयुक्त- हस्तशिल्प) ने विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के दिनांक 6 मार्च, 2020 के आदेश सं.40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुसरण में दिनांक 9, मार्च, 2020 को निगम के प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। सुश्री मुदिता मिश्रा ने श्री संजीव दुआ के निलंबन के बाद निगम के प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

निगम की स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती शिखा रॉय पब्बी ने अपना कार्यकाल 31 जनवरी, 2020 को पूरा किया।



During the Year 2019-20, Corporation opened Voluntary Retirement Scheme (VRS) for the period 31.12.2019 – 29.01.2020 for all regular employees who have completed 10 Years' service. In response total 24 Applications were received.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2020 stands at 167\* (Previous year 191) which include 14 (8.38%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (4.19%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 24 (14.37%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 04 (2.39%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The turnover per employees is Rs.4.49 Crore (Previous year 4.98 crore) and the Profit after Tax (PAT) per employee is Rs. – 6.70 Lakhs (previous year -8.49 Lakhs).

The Industrial relations have been observed cordial and peaceful during the year under review.

## 8. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Hindi Diwas & Hindi Pakhwada along with regular Hindi Karyashala was organized to promote the use Hindi amongst the employees.

## 9. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

### Directors

The Board of Directors of the corporation is well structured except for the appointment of 01 independent director, for which, regular requests had been made to the Administrative Ministry.

As on March, 31, 2020 the Board of Directors consisted of 4 members, of whom, two are the nominee of the Government of India (including Chairman) , 01 one is the Managing Director (Additional Charge given to Additional Development Commissioner (Handicrafts) and one is Non-Official Independent Director. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles accorded its approval to the following:

- Shri Sanjeev Dua was appointed as the Managing Director of the Corporation with effect from his assumption of charge i.e. 01<sup>st</sup> May, 2019 vide Government of India, Ministry of Textiles order no. 40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 18<sup>th</sup> April, 2019 till the date of his superannuation (31/10/2021) or until further orders, whichever is earlier. Shri Sanjeev Dua was suspended vide DC(Handlooms) order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3<sup>rd</sup> March, 2020.
- Shri Anil Kumar Sood was appointed as Non-Official Independent Director vide Office of DC (Handlooms) order no. 11/26/82-DCH/NHDC/(Vol. IV) dated 18<sup>th</sup> October, 2019 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
- Ms. Mudita Mishra (ADC-handicrafts) assumed the Additional Charge of MD of the Corporation w.e.f. 9<sup>th</sup>, March, 2020 in pursuance to Office of DC(Handlooms) Order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 6<sup>th</sup> March, 2020. Ms. Mudita Mishra assumed the additional charge of MD of the Corporation after the suspension of Shri Sanjeev Dua.

Tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, Independent Director of the Corporation completed on 31<sup>st</sup> January, 2020.

इसके अलावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के आदेश सं. 40/08/2019-20/डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा श्री संजीव दुआ के कार्यकाल को समय से पूर्व अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को समाप्त कर दिया गया था।

निगम के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक ने पुष्टि की कि वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में उनके पंजीकरण के संबंध में कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 6 (1) और 6 (2) के अनुपालन की घोषणा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक ने यह भी पुष्टि की कि वे कंपनी की 'आचार संहिता' का पालन करते हैं।

उपरोक्त निदेशकों की अन्य कंपनियों में उनकी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ धारित निदेशक पद का ब्यौरा संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, जैसा कि सचिवीय मानक -2 के तहत निर्धारित किया गया है, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में दिया गया है।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2019-20 (20 जून, 2019, 28 अक्टूबर, 2019, 24 जनवरी, 2020 और 25 फरवरी, 2020) के दौरान 04 बार बैठक की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

### **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

श्री नवीन कुमार गुप्ता, अधिशासी निदेशक वित्त/सीएफओ ने 03 जुलाई, 2019 को निगम से त्यागपत्र दे दिया। श्री जितेंद्र पुरोहित को दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को निगम के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया।

### **10) लेखा परीक्षा समिति:**

कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगम के बोर्ड की एक कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, वर्ष के दौरान बैठकों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में प्रदान किये गये हैं।

### **11) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयुक्तता:**

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अलावा, समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों को नए जाँच बिन्दुओं की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा व्यवस्था की समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

### **12) सतर्कता:**

एनएचडीसी के सतर्कता विभाग का संचालन सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट किया। वर्तमान में, एनएचडीसी का सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) के संचालन में है। सतर्कता विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। निगम निवारक सतर्कता को अपना रहा है।

अपने दैनिक कार्यों में सुरक्षित कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 28 अक्टूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 तक "ईमानदारी-एक जीवन शैली" विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। निगम के सतर्कता अधिकारी के संचालन में कार्मिकों द्वारा शपथ के साथ सप्ताह की शुरुआत की गई थी। सप्ताह के दौरान, सतर्कता से संबंधित विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कार्मिकों ने भाग लिया। पंजीकृत कार्यालय और साथ ही निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह मनाया गया।



Further vide Office of DC(Handlooms) order no 40/08/2019-20/DCH/NHDC tenure of Shri Sanjeev Dua from the post of MD -NHDC was pre-maturely terminated w.e.f. 6th August, 2020.

The Non-Official Independent Director of the Corporation confirmed that he meets the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013 along with declaration of compliance of Rules 6(1) and 6(2) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 with respect to his registration on the data bank of Independent Directors maintained by Indian Institute of Corporate Affairs. The Independent Director has also confirmed that he has complied with the 'Code of Conduct' of the Company

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2019-20 (20th June, 2019, 28th October, 2019, 24th January, 2020 and 25th Feb, 2020) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

### **Key Managerial Personnel**

Shri Naveen Kumar Gupta, Executive Director Finance/CFO resigned from the Corporation on 03rd July, 2019. Shri Jitendra Purohit was appointed as CFO of the Corporation w.e.f. 28th October, 2019

## **10. AUDIT COMMITTEE:**

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

## **11. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:**

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2019-20, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

## **12. VIGILANCE:**

The Vigilance Department of NHDC is headed by the Vigilance Officer, who reported to the Managing Director in the financial year 2019-20. Presently, the Vigilance Department of NHDC is headed by the Chief Vigilance Officer (Additional Charge). The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Integrity-A way of life (ईमानदारी - एक जीवन शैली)" was observed from 28th October, 2019 to 2nd November, 2019. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the Corporation. During the week, essay writing competition and debate competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. Vigilance week was observed at Registered Office as well as at all Regional Offices of the Corporation.



### 13) सांविधिक लेखा परीक्षक एवं सी एंड एजी टिप्पणियों के उत्तर:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) और 143 (6) के अंतर्गत सीएंडएजी की टिप्पणियों के साथ - साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'ग' के रूप में संलग्न हैं। सीएजी ने धारा 143 (6) के अंतर्गत निगम का अनुपूरक लेखा परीक्षा का निर्णय लेते हुए निगम का आंकेक्षण किया तथा निगम एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रेषित जबाबों में संतुष्ट होते हुए वार्षिक खातों में कोई भी टिप्पणी ना करने का प्रमाण पत्र निगम को दिया।

### 14) सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के जवाब:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में रखा जाएगा। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों के उत्तर बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'घ' के रूप में संलग्न हैं।

### 15) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन:

निगम, कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित मामला निगम पर लागू नहीं होता है।

### 16) विदेशी मुद्रा आय और खर्च:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह कोई भी आयात/निर्यात सम्बन्धी कार्यकलाप नहीं कर रहा है।

### 17) जोखिम प्रबंधन नीति:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष निधियां, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि जमा में निवेश किया जाता है। इस प्रकार, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

### 18) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सूचना:

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया था। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है, जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

### 19) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देशों का पालन करती है और इस अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी संबंधित जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

### 20) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट के रूप में, कंपनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख ध्यान देने के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की व्यवस्था की है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रदान की जाती हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रत्याशित नुकसान के कारण, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई सीएसआर गतिविधि नहीं करने का निर्णय लिया। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएसआर गतिविधि के रूप में निगम द्वारा निर्मित शौचालय की एक वर्ष की रखरखाव लागत 15 लाख रुपये (@1.25 लाख रुपये प्रतिमाह) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया था।



### 13. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor's alongwith comments of C&AG u/s 143(5) & 143(6) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Statutory Auditor Report is placed as **Annexure C** to this Report. Further for the year ended 31st March, 2020, the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (6) of the Companies have decided to go for supplementary Audit of the Corporation and after being satisfied by the replies of the management and the revised Statutory Auditors report for FY 2019-20, C&AG has issued a 'NIL Comments certificate' to the Corporation.

### 14. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor's u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as Annexure D to this Report.

### 15. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

### 16. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity.

### 17. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the bank, with schedule commercial banks. Thus, there is no financial risk.

### 18. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

### 19. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

### 20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. Due to unprecedented losses in FY 2019-20, the Board of Directors decided not to do any CSR activity for FY 2019-20. However, one-year maintenance cost of toilets amounting to Rs. 15 lacs (@ Rs. 1.25 lacs pm), constructed by the Corporation as its CSR activity in FY 2018-19 was paid in FY 2019-20.

## 21) वार्षिक रिटर्न का सार:

फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश **अनुलग्नक ड** के रूप में संलग्न किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) पर भी रखा गया है। वार्षिक रिटर्न को पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणन तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार में उसे भरे जाने के बाद कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

## 22) निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर निदेशकों ने कहा है कि: -

- (i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों को तैयार करने में, सामग्री निर्गम से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था
- (ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा उसके अनुसार निर्णय लिए गए हैं एवं अनुमान लगाए गए हैं, ताकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- (iv) वार्षिक खाते चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं और
- (v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गई है और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

## 23) प्रकटीकरण

निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकार का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लेनदेन/आयोजन नहीं हुआ।

- (i) जमा से संबंधित विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कवर किया गया है।
- (ii) डिविडेंड, वोटिंग या अन्य रूप में विशेषक अधिकारों (डिफरेंशियल राइट) के साथ **इक्विटी** शेयर जारी करना।
- (iii) कंपनी की किसी भी योजना के तहत कंपनी के कार्मिकों को शेयर जारी करना (स्वेट इक्विटी शेयर सहित)।
- (iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- (v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य रिजर्व की कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।
- (vi) निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से एमओयू की छूट मांगी है। यह अनुरोध वाईएसएस के संशोधित होने और संशोधित एमओयू लक्ष्यों की अनुमति नहीं होने के कारण किया गया था।
- (vii) वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव/प्रतिबद्धता नहीं की गई है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी।
- (viii) नियामक या न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए जो भविष्य में 'चालू कारोबार' और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के एजीएम के संचालन में विलंब का कारण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक ड में भी दिए गए हैं।
- (ix) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। वर्ष के दौरान इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
- (x) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए होल्डिंग/सहायक कंपनी से प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- (xi) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए लेखाओं के समेकन के बारे में प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाईएसएस के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को छोड़कर, परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई थी, जिसे ऊपर उल्लिखित कार्य दिया गया है।



## 21. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

Extract of the Annual Return in Form MGT-9 is annexed herewith as **Annexure – E** and the same is also placed on the website of the Company viz. [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in). The Annual Return will be hosted on Company's website after certification by Company Secretary-in-practice and filing thereof with Registrar of Companies.

## 22. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors state that: -

- (i) in the preparation of the annual accounts of FY 2019-20, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (ii) such accounting policies have been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year ended 31st March, 2020 and of the profit and loss of the company for that period;
- (iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis and
- (v) proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 23. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

- (i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.
- (ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- (iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.
- (iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.
- (v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.
- (vi) The Corporation has sought MOU exemption from the Administrative Ministry for FY 2018-19 and 2019-20. The request had been made on account of YSS being revised and revised MOU targets not being permitted.
- (vii) No material changes/commitments have occurred after the end of the financial year 2019-20 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company.
- (viii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future. Reason for delay in conduction of AGM of FY 2019-20 has also been provided in Annexure E to Board's Report.
- (ix) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.
- (x) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.
- (xi) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.
- (xii) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS in FY 2018-19, status of which has been provided in the state of affairs mentioned above.

- (xiii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- (xiv) निगम ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।
- (xv) निगम ने कोई संबंधित पार्टी से लेन-देन नहीं किया है।
- (xvi) वित्तीय विवरणों और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।
- (xvii) निगम के चालू कारोबार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- (xviii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एफ.सं.1/2/2014-सीएल.V के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) तथा (पी) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

## 24) अभिस्वीकृति:

बोर्ड, निगम की गतिविधियों और कार्यों को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, भारत सरकार और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभारी है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा और सीएसआर समितियों के सदस्यों, बोर्ड, सांविधिक और परीक्षकों और बैंकर्स की सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। बोर्ड विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके समर्थन और संगठन में रखें गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है और भविष्य में पारस्परिक संबंधों के लिए तत्पर हैं।

निदेशक, सभी कताई मिलों और रंगों तथा रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और साथ ही उनकी संगठित व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं। बोर्ड, एनएचडीसी परिवार के सभी सदस्यों को उनके उत्साह, समर्पित कार्य और सहयोग के लिए बहुत आभार प्रकट करता है और उनकी निरंतर भागीदारी की आशा रखता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-  
(संजय रस्तोगी)  
अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख: 19 नवंबर, 2020



- (xiii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, ,
- (xiv) Corporation has not given any loans or Guarantee.
- (xv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction.
- (xvi) No material changes and commitments between the date of financial statements and the date of this report.
- (xvii) There is no change in going concern status of the corporation.
- (xviii) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05<sup>th</sup> June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3)(e) and (p) of the Companies Act, 2013.

## 24. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Board of Directors, Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance. Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organized set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

**For and on behalf of Board of Directors**

**Place: New Delhi**

**Date: 19<sup>th</sup> November, 2020**

**Sd/-  
(Sanjay Rastogi)  
Chairman  
DIN: 07722405**

## निगम शासन प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

### (क) निगम शासन प्रणाली के संबंध में कंपनी का सिद्धांत:

निगम शासन प्रणाली के संबंध में एनएचडीसी के सिद्धांत में नैतिक व्यापार आचरण और संचालन के सभी पहलुओं और शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित इसके सभी हितधारकों के साथ बातचीत में पारदर्शिता, जवाबदेही और इकिटी के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह निगम निरंतर रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास करता है ताकि दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्टैकहोल्डर्स मूल्य को बढ़ाया जा सके और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अच्छे मानकों को बनाए रखा जा सके। निगम में व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है।

### (ख) निदेशक मंडल:

निगम में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के अलावा, जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय से नियमित अनुरोध किया गया था, निदेशक मंडल की सुस्थापित संरचना है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), एक प्रबंध निदेशक (अपर विकास आयुक्त-हस्तशिल्प को अतिरिक्त प्रभार) और एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक है। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना तथा संबंधित सूचना इस प्रकार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या
<b>सरकारी निदेशक:</b>			
क) श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष-एनएचडीसी/ विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय डीआईएन: 07722405 (दिनांक 4 दिसंबर, 2017 से)	4/4	हां	शून्य
ख) श्री दीपांकर दत्ता, उप सचिव एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन: 08423642 (दिनांक 28 मार्च, 2019 से)	4/4	हां	1 (एक)
<b>प्रबंध निदेशक:</b>			
ग) सुश्री मुदिता मिश्रा, प्रबंध निदेशक @ (अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 07302824 (दिनांक 9 मार्च, 2020 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
घ) श्री संजीव दुआ, प्रबंध निदेशक# डीआईएन: 08447827 (1 मई, 2019 से 6 अगस्त, 2020)	4/4	हां	शून्य

## ANNEXURE A TO DIRECTORS' REPORT

## REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

## (a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavours to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

## (b) BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the corporation is well structured except the appointment of one independent director, for which, request has been made to the Administrative Ministry. As on March, 31, 2020 the Board of Directors consisted of 4 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director (Additional Charge given to ADC (Handicrafts) and 01 is Non-Official Independent Director. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information as on March 31, 2020, is as follows:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2020
<b>Government Director(s):</b>			
a) Shri Sanjay Rastogi, Chairman-NHDC /DC(Handlooms), Ministry of Textiles DIN No. 07722405 (From 4 <sup>th</sup> December, 2017 onwards)	4/4	Yes	NIL
b) Shri Dipankar Dutta, Dy. Secretary Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 08423642 (From 28 <sup>th</sup> March, 2019 onwards)	4/4	Yes.	1 (one)
<b>Managing Director:</b>			
c) Ms. Mudita Mishra, Managing Director <sup>@</sup> (Additional Charge given to Additional Development Commissioner -Handicrafts) DIN No. 07302824 (From 9 <sup>th</sup> March, 2020 onwards)	N.A.	N.A.	NIL
d) Shri Sanjeev Dua, Managing Director <sup>#</sup> DIN No. 08447827 (1 <sup>st</sup> May, 2019 to 6 <sup>th</sup> Aug, 2020)	4/4.	Yes	NIL

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या
<b>गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक:</b>			
ड) श्री अनिल कुमार सूद* गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन: 01376251 (दिनांक: 18 अक्टूबर, 2019 से)	2/3	हां	शून्य
च) श्रीमती शिखा रॉय पब्बी ‡ गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन: 07764529 (दिनांक 1 फरवरी, 2017 से 31 जनवरी, 2020)	2/3	नहीं	शून्य

@ सुश्री मुदिता मिश्रा (अपर विकास आयुक्त- हस्तशिल्प) ने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के दिनांक 6 मार्च, 2020 के आदेश सं.40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुसरण में दिनांक 9, मार्च, 2020 को निगम के प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्य प्रभार ग्रहण किया।

# श्री संजीव दुआ ने विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के आदेश सं. 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुसरण में दिनांक 01 मई, 2019 को निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। श्री संजीव दुआ ने श्री नवीन कुमार गुप्ता, अधिशासी निदेशक (वित्त), जिन्हें निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार दिया गया था, से कार्यभार ग्रहण किया। श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 03 मार्च, 2020 के आदेश सं.40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा निलंबित किया गया था। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के आदेश सं. 40/08/2019-20/डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा श्री संजीव दुआ के कार्यकाल को समय से पूर्व अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को समाप्त कर दिया गया।

\* श्री अनिल कुमार सूद को दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के आदेश सं. 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी (खंड.IV) द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

‡ निगम की स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती शिखा रॉय पब्बी ने अपना कार्यकाल 31 जनवरी, 2020 को पूरा किया।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2019-20 (20 जून, 2019, 28 अक्टूबर, 2019, 24 जनवरी, 2020 और 25 फरवरी, 2020) के दौरान 04 बार बैठक की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयीं।

### बोर्ड निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार):

- श्री संजय रस्तोगी:** (53 वर्ष) ओडिशा कैडर के 1991 बैच के आईएएस हैं। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आईआईटी - दिल्ली से एम.टेक है। उन्होंने सीएमडी, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रधान सचिव - वाणिज्य और परिवहन, सीएमडी, उड़ीसा मिल्क फेडरेशन (ओएमएफईडी), सीवीओ - प्रोजेक्ट्स इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीईसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जोनल संयुक्त महानिदेशक, डीजीएफटी और अन्य के साथ-साथ निर्यात आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में कार्य किया। उन्होंने दिनांक 04 दिसंबर, 2017 को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में विकास आयुक्त (हथकरघा) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- सुश्री मुदिता मिश्रा:** (48 वर्ष) रक्षा उत्पादन सेवा (आईओएफएस) से संबंधित 2001 बैच की सिविल सेवक हैं। वह एक्सएलआरआई से मानव संसाधन में प्रमाण-पत्र के साथ वित्त प्रबंधन की डिग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (बी.ई.) में स्नातक की डिग्री धारक हैं। इन्हें भारत सरकार के रक्षा, वित्त और अन्य विशिष्ट डोमेन में दो दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। वह वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के रूप में कार्यरत हैं। वह इंडियन बैंक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), भारतीय महिला बैंक (एसबीआई में विलय), नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के बोर्डों में रही हैं। उन्होंने दिनांक 9 मार्च, 2020 को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।



Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2020
<b>Non-Official Independent Director:</b>			
e) Shri Anil Kumar Sood* Non-official Independent Director, DIN No. 01376251 (From 18 <sup>th</sup> October, 2019 onwards)	2/3	Yes	NIL
f) Smt. Shikha Roy Pabbi <sup>§</sup> Non-official Independent Director, DIN No. 07764529 (1 <sup>st</sup> February, 2017 to 31 <sup>st</sup> Jan. 2020)	2/3	No	NIL

@Ms. Mudita Mishra (ADC-handicrafts) assumed the Additional Charge of MD of the Corporation w.e.f. 9<sup>th</sup>, March, 2020 in pursuance to Office of DC(Handlooms) Order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 6<sup>th</sup> March, 2020.

# Shri Sanjeev Dua assumed the charge of MD of the Corporation w.e.f. 1<sup>st</sup> May, 2019 pursuant to Office of DC(Handlooms) Order no. 40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 18<sup>th</sup> April, 2019. Shri Sanjeev Dua assumed the charge from Shri Naveen Kumar Gupta, ED (Finance) who was bestowed with the additional charge the Managing Director of the Corporation.

Shri Sanjeev Dua was suspended vide DC(Handlooms) order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3<sup>rd</sup> March, 2020. Further vide Office of DC(Handlooms) order no 40/08/2019-20/DCH/NHDC tenure of Shri Sanjeev Dua from the post of MD -NHDC was pre-maturely terminated w.e.f. 6<sup>th</sup> August, 2020.

\*Shri Anil Kumar Sood was appointed as Non-Official Independent Director vide Office of DC (Handlooms) order no. 11/26/82-DCH/NHDC/(Vol. IV) dated 18<sup>th</sup> October, 2019 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

§Three years tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, completed on 31<sup>st</sup> January, 2020.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2019-20 (20<sup>th</sup> June, 2019, 28<sup>th</sup> October, 2019, 24<sup>th</sup> January, 2020 and 25<sup>th</sup> Feb, 2020) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

#### Brief resume of Directors on the Board (as on March, 31, 2020):

i.) **Shri Sanjay Rastogi:** (53 Years) is an IAS of 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech in Electrical Engineering and M Tech in Electronics & Communication, IIT – Delhi. He had served as CMD, Odisha State Road Transport Corporation, Principal Secretary – Commerce & Transport, CMD, Orissa Milk Federation (OMFED), CVO – Projects Equipments Corporation Limited (PEC), Ministry of Commerce & Industry, Zonal Jt. DG, DGFT & Export Commissioner, Ministry of Commerce amongst others. He had joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 04<sup>th</sup> Dec., 2017.

ii.) **Ms. Mudita Mishra** (48 years) is a civil servant of 2001 batch, belonging to Defence Production Services (IOFS). She holds management degree in Finance along with certifications in Human resource from XLRI, and Bachelor's degree (B.E.) in Electronics engineering. She has approx. two decades of administrative experience in Defence, Finance and other specialized domains of Government of India. She is presently Additional Development Commissioner, O/o DC Handicrafts, Ministry of Textiles, Government of India. She has been on the boards of Indian Bank, Oriental Insurance Company Ltd. (OICL), Bhartiya Mahila Bank (merged with SBI), National Insurance Academy. She assumed additional charge of MD of the Corporation w.e.f. 9<sup>th</sup> March, 2020.

- iii) **श्री दीपांकर दत्ता** (56 वर्ष) भारत सरकार में उप सचिव हैं, जो दिनांक 28 मार्च, 2019 से एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक हैं। वे 1989 में केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हुए। उनके पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है। उन्हें सरकारी विषयों जैसे नीति निर्माण, सार्वजनिक खरीद, प्रशासन और वित्तीय मुद्दों के क्षेत्र में अनुभव है। वस्त्र मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने यूपीएससी, डाक विभाग, एनएचआरसी, संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में काम किया है। उन्हें वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय के एकीकृत वित्त विंग का प्रभार सौंपा गया है।
- iv) **श्री अनिल कुमार सूद**: (56 वर्ष) को दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है तथा एक स्वर्ण पदक विजेता वाणिज्य स्नातक हैं। श्री सूद ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से विभिन्न डिप्लोमा/पाठ्यक्रम किए हैं जैसे सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा इत्यादि। वे वर्ष 2005-06 में आईसीएआई की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की हिमाचल प्रदेश शाखा के अध्यक्ष थे। श्री अनिल कुमार सूद को लेखा परीक्षा, बैंकिंग और करारधान मामलों में काफी अनुभव है।

### (ग) लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में प्रस्तावित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसकी 08 दिसंबर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में नोट किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 156वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

नाम/श्रेणी	लेखापरीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी * गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (1 फरवरी 2017 से 31 जनवरी, 2020)	अध्यक्ष*	2/3*
श्री संजीव दुआ @ डीआईएन. 08447827 (1 मई, 2019 से 6 अगस्त, 2020)	प्रबंध निदेशक	3/3
श्री दीपांकर दत्ता सरकारी निदेशक (28 मार्च, 2019 से)	सदस्य	3/3

\* श्रीमती शिखा रॉय पब्बी का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी, 2020 को पूरा हो गया था।

@ श्री संजीव दुआ ने भारत सरकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के आदेश सं. 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुसरण में दिनांक 01 मई, 2019 को निगम के प्रबंध निदेशक पद का पदभार ग्रहण किया। श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश सं. 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा निलंबित किया गया था। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के आदेश सं. 40/08/2019-20/डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा श्री संजीव दुआ के कार्यकाल को समय से पूर्व अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को समाप्त कर दिया गया था। सुश्री मुदिता मिश्रा ने दिनांक 9 मार्च, 2020 को निगम के प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया।

इसके अलावा, 24 जनवरी, 2020 को आयोजित 64<sup>वीं</sup> लेखा परीक्षा समिति की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और श्री अनिल कुमार सूद की पहली बैठक को ध्यान में रखते हुए (जिसमें उन्होंने भाग लिया), श्री संजीव दुआ ने बैठक की अध्यक्षता की।

वर्ष 2019-20 ((20 जून, 2019, 28 अक्टूबर, 2019 और 24 जनवरी, 2020) के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 3 बार बैठक हुई थी, ऊपर दिए गए पैरा के अनुसार बैठक में सदस्य उपस्थित थे।



- iii.) **Shri Dipankar Dutta** (56 years) is a Deputy Secretary to the Government of India, is the Government Director on the Board of NHDC Ltd. w.e.f. 28th March, 2019. He joined the Central Secretariat Service in 1989. He has a postgraduate degree in Economics. He has experience in the areas of policy making, public procurements, administration and financial issues concerning the Government. Before joining the Ministry of Textiles, he has worked in the UPSC, Department of Posts, NHRC, Ministry of Culture and the Ministry of Defence. He has presently been assigned with the charge of the Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles.
- iv.) **Shri Anil Kumar Sood:** (56 years), has been appointed as a Non- Official Independent Director of National Handloom Development Corporation Limited w.e.f. 18<sup>th</sup> October, 2019 He is a Chartered Accountant and a gold medalist commerce graduate. Shri Sood has undertaken various diplomas/courses from the Institute of Chartered Accountants of India viz. Information system Audit, concurrent audit of banks etc. He was the Chairman of Himachal Pradesh branch of Northern India Regional Council of ICAI in the year 2005-06. Shri Anil Kumar Sood has vast experience in audit, banking and taxation matters.

### (c) AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23<sup>rd</sup> meeting held on 08<sup>th</sup> Dec., 2010. Further the Board in its 156<sup>th</sup> meeting held on 26<sup>th</sup> March, 2019 revised the terms of reference of the Audit Committee in line with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Smt. Shikha Roy Pabbi* Non official Independent Director (01 <sup>st</sup> Feb., 2017 to 31 <sup>st</sup> Jan, 2020)	Chairperson*	2/3*
Shri Sanjeev Dua@ DIN No. 08447827 (1 <sup>st</sup> May, 2019 to 6 <sup>th</sup> Aug, 2020)	MD	3/3
Shri Dipankar Dutta Government Director (w.e.f. 28 <sup>th</sup> March, 2019)	Member	3/3/

\*Three years tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, completed on 31<sup>st</sup> January, 2020.

@Shri Sanjeev Dua assumed the charge of MD of the Corporation w.e.f. 1<sup>st</sup> May, 2019 pursuant to Office of DC(Handlooms) Order no. 40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 18<sup>th</sup> April, 2019. Shri Sanjeev Dua was suspended vide DC(Handlooms) order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3<sup>rd</sup> March, 2020. Further vide Office of DC(Handlooms) order no 40/08/2019-20/DCH/NHDC tenure of Shri Sanjeev Dua from the post of MD -NHDC was pre-maturely terminated w.e.f. 6<sup>th</sup> August, 2020. Ms. Mudita Mishra Assumed the charge of MD of the Corporation w.e.f 9<sup>th</sup> March, 2020.

Further, in the absence of the Chairperson in the 64<sup>th</sup> Audit Committee meeting held on 24<sup>th</sup> Jan, 2020 and keeping in mind the first meeting of Shri Anil Kumar Sood (that he attended), Shri Sanjeev Dua chaired the meeting.

The Audit Committee met 3 times during the year 2019-20 ((20<sup>th</sup> June, 2019, 28<sup>th</sup> October, 2019 and 24<sup>th</sup> January, 2020), all the members were present except as explained in the para above.

### घ. पारिश्रमिक समिति:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1/2/2014-सीएल.V के जरिए, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले को छोड़कर, पारिश्रमिक समिति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप-धाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

निगम, सामाजिक उद्देश्य वाला एक ऐसा संगठन है, जिसके प्रायः लाभ की सीमा बहुत कम होती है जो उनके अतिरिक्त-खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह अपने कर्मिकों को कार्य प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) का भुगतान करने में असमर्थ है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, निगम को घाटा हुआ है। साथ ही, निगम में कर्मिकों की संख्या भी कम है (31 मार्च, 2020 को 167)।

उपरोक्त के मद्देनजर, किसी अलग पारिश्रमिक समिति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामलों, यदि कोई हो, को सीधे निदेशक मंडल में रखा गया है।

### ङ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। सीएसआर समिति के संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत कवर की गई है, को दर्शाते हुए सीएसआर नीति तैयार करना, बोर्ड को अनुशंसा, सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशि और समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल हैं। निगम के भारी घाटे और कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 2019-20 में सीएसआर गतिविधियों का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया। सीएसआर समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम/श्रेणी	सीएसआर समिति में स्थिति *
श्री संजीव दुआ (अध्यक्ष-सीएसआर समिति, दिनांक 20 जून, 2019 से)	अध्यक्ष
श्री दीपांकर दत्ता सरकारी निदेशक	सदस्य
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी @ गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

\* 20 जून, 2020 को आयोजित 158<sup>वीं</sup> बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया, इससे पहले समिति की स्थिति थी- श्री संजय रस्तोगी- अध्यक्ष, श्री नवीन कुमार गुप्ता और श्रीमती शिखा रॉय पब्बी।  
@ \* श्रीमती शिखा रॉय पब्बी का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी, 2020 को पूरा हो गया था।

### च. समान्य सभा बैठक:

अंतिम 03 वार्षिक समान्य बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं:

वार्षिक समान्य बैठक वित्तीय वर्ष	वार्षिक समान्य बैठक की तारीख तथा समय	वार्षिक समान्य बैठक का स्थान
2018-19	दिनांक 24 जनवरी, 2020/ 3.00 अपराह्न	रेडिसन ब्लू होटल, ग्रेटर नोएडा
2017-18	दिनांक 25 सितंबर, 2018/ 3.00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय, ग्रेटर नोएडा
2016-17	दिनांक 26 सितंबर, 2017/ 4.00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय, ग्रेटर नोएडा

**(d) REMUNERATION COMMITTEE:**

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05<sup>th</sup> June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation is an organization with social objectives having very thin profit margin usually just sufficient to meet its overheads, hence it is unable to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Further for the financial year 2019-20, the Corporation has suffered losses. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e. 167 as on 31<sup>st</sup> March, 2020).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

**(e) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE:**

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. Keeping in mind the huge losses and the performance of the Corporation, the Board decided not to conduct any CSR activities in financial year FY 2019-20. The composition of CSR Committee and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

Name/ category	Position in CSR Committee*
Shri Sanjeev Dua (Chairman-CSR Committee w.e.f. 20 <sup>th</sup> June, 2019)	Chairman
Shri Dipankar Dutta Government Director	Member
Smt. Shikha Roy Pabbi@ Non official Independent Director	Member

\* The Committee was reconstituted in the 158<sup>th</sup> Board meeting held on 20<sup>th</sup> June, 2020, prior to that the Committee position was- Shri Sanjay Rastogi- Chairman, Shri Naveen Kumar Gupta and Smt. Shikha Roy Pabbi  
 @\*Three years tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, completed on 31<sup>st</sup> January, 2020

**(f) GENERAL BODY MEETING:**

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

AGM for the FY	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2018-19	24 <sup>th</sup> January, 2020/ 3.00 pm	Radisson Blu Hotel, Greater Noida
2017-18	25 <sup>th</sup> September, 2018/ 3.00 P.M.	Registered Office, Greater Noida
2016-17	26 <sup>th</sup> Sept., 2017/ 4.00 P.M.	Corporate Office, Greater Noida

## छ. प्रकटीकरण:

- (i) कार्यात्मक निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

कार्यात्मक निदेशक का नाम	सकल वेतन	अनुलाभ	कुल
श्री संजीव दुआ (प्रबंध निदेशक)*	35.94	0.24	36.18

\* श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश सं.40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा निलंबित कर दिया गया था और उनको दिनांक 6 अगस्त, 2020 तक प्रभावी उनकी समय-पूर्व सेवा समाप्ति की अवधि तक एनएचडीसी सीडीए नियमावली के अनुसार निलंबन भत्ते का भुगतान कर दिया गया था।

सुश्री मुदिता मिश्रा (9 मार्च, 2020 से प्रबंध निदेशक) को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में किसी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

- (ii) वर्ष के दौरान श्रीमती शिखा रॉय पब्बी और श्री अनिल कुमार सूद को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः 30,000/-रुपए और 25,000/- रुपए बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था।
- (iii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था।
- (iv) यह पुष्टि की जाती है कि वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
- (v) निगम में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और इसे वेबसाइट [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) पर भी रखा गया है। इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि निगम के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।
- (vi) निगम, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है, को छोड़कर सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।
- (vii) निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन वर्ष के दौरान और पिछले 3 वर्षों के दौरान भी किया गया है।
- (viii) वर्ष के दौरान, ऐसा कोई खर्च लेखा बही के खाते नामें नहीं लिखा गया है, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।
- (ix) वर्ष के दौरान, कोई व्यक्तिगत प्रकृति का खर्च नहीं है जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।
- (x) वर्ष के दौरान प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल खर्च का 14.68% है जबकि पिछले वर्ष यह 16.30% था। इसके अलावा, वित्तीय व्यय नगण्य हैं, क्योंकि निगम ऋण मुक्त है।

## ज. संप्रेषण माध्यम:

निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है और इसे निगम की वेबसाइट [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) पर भी रखा जाता है। वार्षिक लेखाओं को भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में भी दायर किया जाता है।

## झ. लेखापरीक्षा योग्यताएं:

कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का निदेशक मंडल द्वारा जवाब दिया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

**(g) DISCLOSURES:**

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:

(Rs. in Lakh)

Name of Functional Director	Gross salary	Perquisites	Total
Shri Sanjeev Dua (Managing Director)*	35.94	0.24	36.18

*\*Shri Sanjeev Dua was suspended vide Order of DCH (Handlooms) No.40/4 (3)/2018-DCH/NHDC dated 3rd March, 2020 and suspension allowance was paid to him as per the NHDC, CDA rules for the period until his premature termination of tenure w.e.f. 6th August, 2020.*

*No salary is paid to Ms. Mudita Mishra (MD w.e.f. 9th March, 2020) on account of entrustment of additional charge of MD of the Corporation.*

- (ii) During the year, Smt. Shikha Roy Pabbi and Shri Anil Kumar Sood were paid sitting fees amounting to Rs. 30,000/ and Rs. 25,000/ respectively for attending Board and Committee meetings.
- (iii) During the year, there was no related party transaction
- (iv) During the year, It is reaffirmed that no penalty has been imposed by any of the statutory body.
- (v) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- (v) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.
- (vi) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.
- (vii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.
- (viii) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.
- (ix) Administrative and Office Expenses during the year is 14.68% of the total expenses as against 16.30% last year. Further, the Financial Expenses are negligible, since corporation is a debt free corporation.

**(h) MEANS OF COMMUNICATION:**

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

**(i) AUDIT QUALIFICATIONS:**

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2019-20 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report.

## ज. निदेशक मंडल के प्रशिक्षण:

निगम, निदेशकों को उनकी बोर्ड में नियुक्ति पर फ़ोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कामकाज और कार्य निष्पादन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक नीति एवं आचार संहिता, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं।

## ट. व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति की व्यवस्था की गई है। इस नीति को निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) पर भी रखा गया है।

## ठ. आचार संहिता:

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नीति निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) पर प्रदर्शित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

## ड. अनुपालना प्रमाण पत्र:

इस रिपोर्ट में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है और दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित और समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के बारे में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र को रिपोर्ट में संलग्न कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-  
(संजय रस्तोगी)  
अध्यक्ष  
डी.आई.इन. 07722405



**(j) TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:**

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

**(k) WHISTLE BLOWER POLICY:**

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) of the corporation.

**(l) CODE OF CONDUCT:**

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website [www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in) of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

**(m) COMPLIANCE CERTIFICATE:**

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

**For and on behalf of Board of Directors**  
**Sd/-**  
**(Sanjay Rastogi)**  
**Chairman**  
**DIN: 07722405**

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा**

मैं, मुदिता मिश्रा, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करती हूँ कि 31 मार्च, 2020 के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम की वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम की व्यापार आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 19.11.2020

(मुदिता मिश्रा)  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 07302824





**Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2019-20.**

I, Mudita Mishra, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation as on 31<sup>st</sup> March, 2020, have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2019-20.

Place: New Delhi  
Dated: 19.11.2020

Sd/-  
(Mudita Mishra)  
Managing Director  
DIN: 07302824

## कारपोरेट शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

**राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,  
टावर-1, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,  
सूरजपुर- कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,  
गौतम बुद्ध नगर, यूपी- 201306

हमने दिनांक **31 मार्च, 2020** को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** (जिसे इसके पश्चात "निगम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जिसका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट शासन, 2010 के दिशानिर्देशों और उसके तहत उल्लिखित अनुबंध (जिसे इसके पश्चात "दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया गया है) में किया गया है।

कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जाँच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई तत्संबंधी प्रक्रिया और उसके क्रियाव्ययन तक सीमित थी। यह न तो निगम की लेखा परीक्षा है और न ही उसके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट शासन की शर्तों का पालन किया है:

- संबंधित मंत्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधान एवं जोखिम प्रबंधन नीति।
- दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् 31 दिसंबर 2019 तक एजीएम का आयोजन नहीं करना और कंपनी तथा उसके अधिकारियों संबंधित मामले में अपराध शमन का संयुक्त आवेदन आज की तारीख तक निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।
- लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के क्रियाव्ययन में अनियमितताओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय से प्राप्त दिनांक 3 अगस्त 2018 के पत्र संख्या 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुपालन में, निगम ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी)) को संदर्भित करने सहित अनिवार्य प्रशासनिक कार्रवाई की है और दिनांक 25 फरवरी 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष सीबीआई का पत्र प्रस्तुत करने में कुछ प्रशासनिक मुद्दों में, प्रबंध निदेशक-एनएचडीसी, अधिशासी निदेशक (वाणिज्य) और उपमहा प्रबन्धक (एचआर) के निलंबन का मामला उठाया गया। तत्कालीन प्रबंध निदेशक-एनएचडीसी को 3 मार्च, 2020 से निलंबित कर दिया गया था और उनका कार्यकाल समय से पहले 6 अगस्त 2020 को समाप्त कर दिया गया था।

निगम को सीपीएसई 2010 के लिए कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ एमओयू संपन्न करने की आवश्यकता थी, किंतु यह नहीं किया है और वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए एमओयू संपन्न करने के लिए छूट मांगी है और यह मामला अभी प्रशासनिक मंत्रालय के पास लंबित है।

हम पुनः उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी  
कंपनी सचिव

हस्ता./-

सीएस नवनीत अरोड़ा  
प्रबंधन पार्टनर

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 12 नवंबर 2020

एफसीएस:3214, सीओपी:3005  
यूडीआईएन: F003214B00122322

## **CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE**

To,  
 The Members,  
**National Handloom Development Corporation Limited**  
 Regd. Office: 4<sup>th</sup> Floor, Wegmans Business Park,  
 Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,  
 Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,  
 Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited** (hereinafter referred as "Corporation") for the year ended **31<sup>st</sup> March, 2020** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except as under:

- *Provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy.*
- *Not holding of AGM for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2019 within the stipulated period i.e. upto 31<sup>st</sup> December 2019 and matter related to compounding of offence by the Company and its officers in default pending before the adjudicating authority for composition till date.*
- *Pursuant to letter No 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3<sup>rd</sup> August 2018 received from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms for irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, Corporation has taken necessary administrative action including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC) and in the Board Meeting held on 25<sup>th</sup> February 2020 this matter of some Administrative issues in the submission of CBI letter before the Board of Directors and the Administrative Ministry, suspension of MD-NHDC, ED (comm.) & DGM (HR) were taken up. The then MD NHDC, was suspended w.e.f. 3<sup>rd</sup> March, 2020 and his tenure was prematurely terminated on 6<sup>th</sup> August 2020.*

Corporation was required to enter MOU with the administrative ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 but has not entered and sought exemption for entering of MOU for the financial years 2018-19, 2019-20 & 2020-21 and the matter is still pending with the administrative ministry.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

**For Navneet K Arora & Co LLP**  
**Company Secretaries**

Sd/-

**CS Navneet Arora**  
**Managing Partner**

**FCS: 3214, COP: 3005**

**UDIN : F003214B001222322**

**Place: New Delhi**  
**Date: 12<sup>th</sup> November 2020**

## प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण

### 1. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद आर्थिक गतिविधियों वाला सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है और ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

07 अगस्त, 2019 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा चौथी हथकरघा संगणना रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 31 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां हथकरघा बुनाई की कला का कार्य किया जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:-

### क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। योजना में हथकरघों के एकीकृत एवं सुव्यवस्थित विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना बुनकरों को स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी समूह के भीतर और बाहर कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन के लिए वेब पोर्टल के विकास आदि में सहयोग करती है।

#### एनएचडीपी के संघटक-

- क. ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर परियोजनाएं
- ख. हथकरघा विपणन सहायता
- ग. रियायती दर पर ऋण
- घ. हथकरघा संगणना
- ङ. हथकरघा पार्क
- च. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र
- छ. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
- ज. जम्मू एवं कश्मीर ऊन विकास परियोजना
- झ. विशेष श्रेणी राज्यों के लिए विशेष परियोजनाएं
- ञ. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनआईओएस)
- ट. मुख्यालय स्थित क्लस्टर सेल
- ठ. अभिवनीकृत विचार
- ड. योजना का प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन

### ख. मेगा हथकरघा क्लस्टरों के विकास हेतु व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)

इसका उद्देश्य मेगा हथकरघा क्लस्टरों का विकास करना है जो स्पष्ट रूप से अभिज्ञात भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं और बेहतर भंडारण सुविधाओं, करघा-पूर्व/करघा/करघा-पश्चात प्रचालनों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनाई शालाओं, कौशल उन्नयन, डिजाइन इनपुट्स, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि सहित उन्नत अवसंरचना सुविधाओं के जरिए क्लस्टर में प्रमुख भागीदारों के बीच निकट संपर्क तथा परस्पर निर्भरता वाले विशिष्ट उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हों।

### ग. बुनकर मुद्रा योजना

हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती दर पर ऋण संघटक वर्तमान में व्यक्तिगत बुनकरों के लिए केवल मुद्रा योजना के माध्यम से उपलब्ध है और बुनकर उद्यमी क्रेडिट सीमा बुनाई/संबद्ध क्रियाकलाप किए जाने हेतु अपेक्षित कार्यशील पूंजी तथा टूल्स एवं उपकरणों की लागत के आकलन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

**ANNEXURE B TO DIRECTORS' REPORT****MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT****1. HANDLOOM SCENARIO:**

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities and constitutes an integral part of the rural and semi-rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 Lakh weavers and allied workers.

On August 07, 2019, 4<sup>th</sup> Handloom Census report was released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which have the practice of art of Handloom weaving.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes :-

**A. National Handloom Development Programme (NHDP)**

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during 2017-18 to 2019-20. The scheme follow need based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups, NGOs etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes, development of web portal for e-marketing of handloom products etc.

**Components of NHDP –**

- a. Block Level Cluster Projects
- b. Handloom Marketing Assistance
- c. Concessional Credit
- d. Handloom Census
- e. Handloom Park
- f. National Centre for Textile Design
- g. R&D Projects
- h. J&K Wool Development Project
- i. Special Projects for Special Category States
- j. National Institutes of Open Schooling(NIOS)
- k. Cluster Cell at Hq.
- l. Innovative Ideas
- m. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme

**B. Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS) for development of Mega Handloom Clusters**

The objective is to develop Mega Handloom Clusters that are located in clearly identifiable geographical locations that specialize in specific products, with close linkages and inter dependents amongst the key players in the cluster by improving the infrastructure facilities, with better storage facilities, technology up-gradation in pre-loom/on-loom/post-loom operations, weaving shed, skill up-gradation, design inputs, health facilities etc.

**C. Weavers MUDRA Scheme**

Concessional credit component for Handloom sector is now available only through MUDRA Yojna for individual weavers and weavers' entrepreneurs Credit limit is fixed based on assessment of working capital as well as cost of tools and equipment's required for carrying out weaving/ allied activity.

### घ. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

भारत सरकार ने मार्च, 2020 तक कार्यान्वयन हेतु दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से यार्न आपूर्ति योजना संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए हैं।

यह योजना पात्र हथकरघा एजेंसियों के लिए मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा डिपो प्रचालन व्यय तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से सब्सिडीयुक्त यार्न मुहैया कराया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम यार्न, ऊनी यार्न तथा लिनन यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध है।

### ङ. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना हथकरघा बुनकरों/कामगारों को पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा विलयित एमजीबीबीवाई के तहत जीवन, दुर्घटना तथा दिव्यांगता बीमा कवरेज, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाती है-

### च. पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र को विकसित करना है ताकि रोजगार और हथकरघा उत्पादों के मूल्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान की जा सके। योजना के 3 संघटक हैं-

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्लस्टर विकास परियोजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघों का प्रौद्योगिकी उन्नयन
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र एवं हथकरघा उत्पादों का बाजार संवर्धन

### छ. हथकरघा संवर्धन सहायता योजना

करघों तथा सहायक सामानों के लिए बड़े पैमाने पर सहायता हेतु हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार "हथकरघा संवर्धन सहायता" योजना चला रही है। इसका उद्देश्य फैब्रिक की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हथकरघा संवर्धन सहायता योजना (एचएसएस) के तहत, प्रौद्योगिकीय उन्नयन मदों की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष 10% लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

## 2. शक्ति एवं दुर्बलतायें:

निगम का 9 क्षेत्रीय कार्यालयों और 26 शाखा कार्यालयों के माध्यम से 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। निगम की मौजूदगी बाजार में हस्तक्षेप के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि निजी व्यापारियों के एकाधिकार स्वरूप को प्रतिबंधित किया जा सके, जिससे कि हैंक यार्न दरों को उचित स्तर के अंदर रखा जा सके। निगम, क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्तम कार्य करता है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर शामिल हैं, जो उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के पारंपरिक गुणों वाली मदों के उत्पादन में लगे हुए हैं।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कार्मिक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और कुछ कार्मिकों ने वीआरएस भी ले लिया है। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की सेवा निवृत्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए, निगम ने अपने मध्यम स्तर के अधिकारियों को आवश्यकताओं के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रशिक्षित/तैयार करने की योजना बनाई है। पिछले दो वर्षों से वाईएसएस के कार्यान्वयन के एनएचडीसी के मौजूदा व्यवसाय में विभिन्न कारणों से और प्रमुख रूप से विगत में कोविड-19 महामारी की वजह से कमी रही है, इसके अलावा निगम को अनिश्चित मांग का सामना करना पड़ रहा है और राज्य के शीर्ष निकायों से भुगतान में देरी हो रही है।





#### **D. Yarn Supply Scheme (YSS)**

Government of India has revised the guidelines of the Yarn Supply Scheme w.e.f. from 18<sup>th</sup> April 2018, for its implementation up to March 2020.

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn and linen yarn is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

#### **E. Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme**

Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme is to enable the Handloom weavers/ workers to avail social security benefits having Life, accidental and disability insurance coverage under the PMJJBY, PMSBY and converged MGBBY.

#### **F. North Eastern Region Textile Promotion Scheme (NERTPS)**

The objective of the scheme is to develop handloom sector in NER by providing the required government support to achieve increase in employment and value of handloom products. The scheme has 3 components –

- i) Cluster Development Project in NER.
- ii) Technological Up gradation of Handlooms in NER.
- iii) Market Promotion of Textiles and Handloom Products in NER.

#### **G. Hathkargha Samvardhan Sahayata Scheme**

To meet the needs of handloom weavers for assistance on larger scale for looms and accessories Government of India run the scheme “Hathkargha Samvardhan Sahayata”. It aims to provide financial assistance for technological up-gradation to improve quality of the fabric and productivity. Under HSS, financial assistance to the extent of 90% of cost of technological up-gradation item shall be borne by the Govt. of India while remaining 10% shall be borne by the beneficiary.

### **2. STRENGTH AND WEAKNESSES:**

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 9 Regional Offices, and 26 Branch Offices. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years and few employees has also taken VRS. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities depending upon the requirements. For the last two years the existing business of NHDC of implementation of YSS has taken a hit because of various reasons and of late majorly because of Covid 19 pandemic besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.



### 3. अवसर एवं चुनौतियाँ:

हैंक यार्न उत्पादन का उपभोग करने वाले ऐसे हथकरघा क्षेत्र, जिनमें अभी पहुंच नहीं हुई है, उनमें पहुंच बनाकर व्यापार का विस्तार करने और विविधता लाने की एक बड़ी संभावना है। एनएचडीसी सभी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित विकास और हथकरघा बुनकर की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समाधान सुविधाप्रदाता बनने की आकांक्षा रखता है। इस संबंध में मौजूदा एनएचडीसी ढांचे का पुनर्गठन करके मौजूदा संसाधनों और प्रचालन दक्षता को अनुकूलतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यार्न बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा है जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसी से निपटने के लिए, निगम प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर हथकरघा बुनकरों को सूत प्रदान करने की दृष्टि से भारी मात्रा के लिए सूत दरों में छूट प्राप्त कर रहा है और बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकर एजेंसियों द्वारा पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर मासिक आधार पर रखा जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

### 4. संभावना:

निगम का मानना है कि यह साल दर साल नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के अपने विकास के प्लेटफार्म पर बना रहेगा। निगम अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का फिर से आकलन करता है और उसी के अनुसार अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करता है, जो निगम को अपने नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करेगा।

### 5. संघटक-वार तथा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन:

यार्न, हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है, जो निगम के कारोबार में सबसे अधिक योगदान देती है। इसका योगदान वर्ष 2018-19 के दौरान निगम के कुल कारोबार 95.22% से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 94.37% रह गया है। रंग और रसायनों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2018-19 के दौरान 4.78% से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 5.63% हो गया है।

निगम के कार्यों का खंड-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड/उत्पाद	2019-20		2018-19	
		कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत
1	यार्न	706.53	94.37%	905.50	95.22%
2	रंग और रसायन	42.13	5.63%	45.44	4.78%
3	फैब्रिक	-	-	-	-
कुल		748.67	100.00%	950.94	100.00%

### 6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर नए जाँच बिन्दु की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणालियों की समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

### 3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand and diversify the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. NHDC aspires to become a one stop solution for all handloom sector related development and industry related requirements of handloom weaver. In this regard the efforts are being made to optimize the existing resources and operational efficiency by restructuring the existing NHDC framework.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

### 4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

### 5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has decreased from 95.22 % of the total turnover of the corporation during the year 2018-19 to 94.37% during the year 2019-20. The percentage share of the dyes and chemicals has increased from 4.78% during the year 2018-19 to 5.63% during the year 2019-20.

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2019-20		2018-19	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1	Yarn	706.53	94.37%	905.50	95.22%
2	Dyes & chemicals	42.13	5.63%	45.44	4.78%
3	Fabric	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>748.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>950.94</b>	<b>100.00%</b>

### 6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2019-20, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

## 7. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श:

निगम का कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 950.94 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 748.67 करोड़ रुपये रहा। कर पूर्व घाटा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13.91 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9.96 करोड़ रुपये रहा और कर के बाद निवल घाटा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16.22 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11.19 करोड़ रुपये रहा। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2019 को 99.73 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2020 को 88.42 करोड़ रुपये रही।

निगम का पूंजीगत ढांचा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100/- रुपये प्रत्येक के 19 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित 19 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ अपरिवर्तित रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में घाटे के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

## 8. नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकास:

कार्मिकों की दक्षता निगम का मुख्य केंद्र बिंदु रही है। निगम के कार्मिकों के कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निगम के कुल कार्मिकों की संख्या 167 (पिछले वर्ष 191) है जिसमें 14 (8.38%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 07 (4.19%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 24 (14.37%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक और 04 (2.39%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के कार्मिक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

## 9. निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' को दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई सीएसआर गतिविधियों को बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के अनुसार, निगम शासन प्रणाली संबंधी की रिपोर्ट में दिया जाता है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

## 10. अभिरक्षक वक्तव्य:

निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भावी वक्तव्य' हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से काफी हद तक भिन्न या भौतिक हो सकते हैं। निगम के प्रचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जिसमें देश में मुकदमेबाजी और हथकरघा गतिविधि शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-

संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष

डी. आई. एन.: 07722405



## 7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation during the FY 2019-20 is Rs. 748.67 crore as compared to Rs 950.94 crore during FY 2018-19. The loss before tax has decreased from Rs. 13.91 crore in the FY 2018-19 to loss of Rs. 9.96 crore in the FY 2019-20 and net loss after tax decreased from Rs. 16.22 crore in the FY 2018-19 to a loss of Rs. 11.19 crore in the FY 2019-20. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 99.73 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2019 to Rs. 88.42 crore as on 31<sup>st</sup> March, 2020.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid-up capital of Rs.19 crore divided into 19 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2019-20. Due to losses in FY 2019-20, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.

## 8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31<sup>st</sup> March 2020 stands at 167 (Previous year 191) which include 14 (8.38%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (4.19%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 24 (14.37%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 04 (2.39%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

## 9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24<sup>th</sup> November, 2014.

The Composition of the CSR Committee and the CSR activities done in FY 2019-20 are provided in the Report of Corporate Governance, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

## 10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
(Sanjay Rastogi)  
Chairman  
DIN:07722405

## वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाओं के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
<p>एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखितानुसार 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है।</p> <p>जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत है, ने पिछले वर्ष अर्थात 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी (क्रमशः टिप्पण सं. 17(I) एवं 19(II) का संदर्भ)। इसमें से 190.82 करोड़ रूपए की बिक्री और खरीद को बुकिंग के केवल दो सप्ताह के भीतर ईआरपी लेखांकन प्रणाली में उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस मामले को जांच एजेंसी सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया। उक्त मामला फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है।</p> <p>यह 194.22 करोड़ कुल देनदारों (संदर्भ टिप्पण संख्या 13 (ii) तथा लेनदारों (संदर्भ टिप्पण संख्या 5 (ii)) में दिखाया जा रहा है। चूंकि हमने अपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया गया है और यह मामला अभी फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है।</p>	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मामला वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित है और लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस मामले की सूचना दी थी। सीबीआई संप्रेषण और निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई; और वही प्रगति पर हैं।</p>

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-  
(संजय रस्तोगी)  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07722405



**ANNEXURE C -ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT****REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2019-20**

COMMENTS OF STATUTORY AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
<p>NHDC having "9" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India , Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.</p> <p>As pointed in our Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19, the Company's Lucknow branch Office, which is under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales&amp; Purchase during the previous year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of previous year i.e. 2018-19 (Refer Note No. 17(1)&amp; 19 (II) respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system within just two weeks of booking. the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission. The above matter pending at Forensic Audit and Vigilance Enquiry.</p> <p>This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)). As this matter had already been pointed out by us in the FY 2018-19 in our report of 2018-19, and the matter is still pending at Forensic Audit and Vigilance Enquiry.</p>	<p>It is submitted that the matter pertains to FY 2018-19 and the Auditors had reported the matter in their Audit Report of FY 2018-19. As per the CBI communication and the directions of the Board of Directors, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO; and the same are under progress.</p>

**For and on behalf of the Board of Directors**

**Sd/-**  
**(Sanjay Rastogi)**  
**Chairman**  
**DIN: 07722405**

## वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
क)	जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के संदर्भ में, 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 30 सितंबर 2019 को या उससे पहले आयोजित की जानी थी। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि बाध्यात्मक कारणों से, कंपनी ने 05 सितंबर 2019 को एसआरएन एच87093548 के माध्यम से एमसीए, आरओसी-कानपुर को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 36वीं एजीएम आयोजित करने के उद्देश्य के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था जिसे एमसीए, आरओसी-कानपुर द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 11 सितंबर 2019 के अनुमोदन/ पत्र द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एजीएम आयोजित करने के लिए समय में 3 महीने अर्थात् 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन दिया गया था। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के तहत विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर 2019 तक निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर अपनी एजीएम आयोजित नहीं कर सकी। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि 6 जनवरी 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 24 जनवरी 2020 को अपनी 36वीं एजीएम बुलाई थी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एसआरएन आर31724214 दिनांक 29 जनवरी 2020 के जरिए फॉर्म संख्या एओसी-4 एक्सबीआरएल (लेखा विवरण) में वित्तीय विवरण और एसआरएन आर33425158 दिनांक 18 फरवरी 2020 के माध्यम से फॉर्म एमजीटी -7 (वार्षिक रिटर्न) में अपेक्षित रिटर्न एमसीए में दाखिल किया है।	निगम ने वित्त वर्ष 2018-19 की एजीएम आयोजित करने के लिए समय सीमा बढ़ाने हेतु आवेदन दायर किया था (03 जुलाई, 2019 को सीएफओ के इस्तीफे के कारण। सीएफओ मुख्य रूप से वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन के प्रभारी थे)। आरओसी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एजीएम की नियत तारीख को 3 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी।  वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक दिनांक 28/10/2019 को हुई और वार्षिक लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत किया गया।  सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18/12/2019 को अपनी संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की (रिपोर्ट को सीएण्डएजी के निर्देशों पर संशोधित किया गया था)। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएण्डएजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। दिनांक 06/01/2020 को सीएण्डएजी द्वारा अंतिम 'शून्य' टिप्पणी रिपोर्ट दी गई थी। तत्पश्चात, शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 24 जनवरी, 2020 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित की। वार्षिक फाइलिंग-एओसी-4 एक्सबीआरएल (लेखा विवरण) और फॉर्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) सांविधिक समय-सीमा के भीतर आरओसी में दायर किए गए थे।  निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के प्रावधानों का अनजाने में उल्लंघन स्वीकार किया, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए अपराध शमन हेतु आवेदन किया।
ख)	कंपनी और उसके अधिकारियों ने डिफॉल्ट में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के तहत अपराध शमन के लिए संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया, क्योंकि डिफॉल्ट (चूक) में 24 जनवरी, 2020 को कंपनी की 36वीं एजीएम बुलाकर सुधार किया गया है जो कि 31 दिसंबर 2019 को (विस्तार के अनुसार) आयोजित होने वाली थी जिसमें 23 दिनों (1 जनवरी 2020 से 23 जनवरी 2020 तक) का डिफॉल्ट रहा है। उपरोक्त अनुसार अपराध के शमन के लिए एसआरएन आर51598514 दिनांक 27 अगस्त 2020 के माध्यम से ई-फॉर्म जीएनएल -1 में एमसीए (आरओसी), कानपुर, यूपी में आवेदन दायर किया गया है ताकि आवेदन को क्षेत्रीय निदेशक (आरडी), उत्तरी कार्यालय, नई दिल्ली उनकी रिपोर्ट के लिए अग्रेषित किया जा सके और एक मूल आवेदन का पूरा सेट 31 अगस्त 2020 को आरओसी के कार्यालय को भेज दिया गया है। अपराध के शमन के लिए आवेदन अभी भी आरओसी/आरडी, उत्तर, नई दिल्ली के कार्यालय के समक्ष अनुमोदन/निर्णय के लिए लंबित है।	

## ANNEXURE D -ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT

## REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2019-20

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
a)	<p>Where as in terms of the provisions of provisions of Section 96 of the Companies Act 2013, the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March 2019 was required to be held on or before 30<sup>th</sup> September 2019. As informed by the management that, due to compelling reasons, Company submitted an application to MCA, ROC-Kanpur vide SRN H87093548 on 05<sup>th</sup> September 2019 requesting for an extension of time for the purpose of holding 36<sup>th</sup> AGM which was approved by the MCA, ROC-Kanpur and extension for time for holding the AGM for FY 2018-19 was approved by 3 months i.e. upto 31<sup>st</sup> December 2019 vide approval / letter dated 11<sup>th</sup> September 2019. Further the company could not hold its AGM for the financial year 2018-19 within the stipulated extended period up to 31<sup>st</sup> December 2019 as prescribed under section 96 of Companies Act, 2013. As informed by the management that after receiving the Final report of Comptroller &amp; Auditor General of India (C&amp;AG) on 6<sup>th</sup> January 2020, the Company had convened its 36<sup>th</sup> AGM on 24<sup>th</sup> January 2020 and has violated the provisions of Section 96 of the Companies Act 2013. The Company has filed the Financial Statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> March 2019 in Form No AOC-4 XBRL (Statement of Accounts) vide SRN R31724214 dated 29<sup>th</sup> January 2020 and requisite return in Form MGT -7 (Annual Return) vide SRN R33425158 dated 18<sup>th</sup> February 2020 with the MCA.</p>	<p>The Corporation had filed for extension of timelines for conducting the AGM of FY 2018-19 (due to resignation of CFO on 03<sup>rd</sup> July, 2019. CFO was primarily in-charge of compilation of Annual Accounts for the year). ROC approved the extension of due date of AGM for FY 2018-19 by 3 months.</p> <p>The Board Meeting for approval of Annual Accounts of FY 2018-19 happened on 28/10/2019 and the annual accounts were submitted to the Statutory Auditors for their report thereon.</p> <p>The Statutory Auditors submitted their revised report on 18/12/2019 (report was revised on directions of C&amp;AG). Also, Supplementary audit was conducted by C&amp;AG for the Financial Year 2018-19. Final 'NIL' comments report was given by C&amp;AG on 06/01/2020. Thereafter, after receiving consent of the Shareholders, the Company conducted the Annual General Meeting for FY 2018-19 on 24<sup>th</sup> January, 2020. The Annual filings- AOC-4 XBRL (Statement of Accounts) and Form MGT -7 (Annual Return) were filed with ROC within the statutory timelines.</p>
b)	<p>The company and its officers in default, have suo-moto filed an application jointly, for compounding of offence under Section 441 of Companies Act, 2013 committed under the provisions of Section 96 of the Companies Act 2013 as the default has been made good by convening the 36<sup>th</sup> AGM of the Company on 24<sup>th</sup> January, 2020 which was scheduled to be held on 31<sup>st</sup> December 2019 (as per extension granted), for default for 23 days (1<sup>st</sup> January 2020 to 23<sup>rd</sup> January 2020). The Application for compounding of offence as stated hereinabove has been filed before the office of the MCA (ROC), UP at Kanpur in e-form GNL-1 vide SRN R51598514 dated 27<sup>th</sup> August 2020 for onward submission of the Application with their report to the office of the Regional Director (RD), North, New Delhi and complete set of an original application has been sent on 31<sup>st</sup> August 2020 to the office of the ROC. Application for compounding of offence is still pending for approval/ adjudication before the office of ROC / RD North New Delhi.</p>	<p>Corporation admitted unintentional violation of the provisions of Section 96 of the Companies Act 2013, and therefore made suo-moto compounding application of the offence under Section 441 of Companies Act, 2013.</p>

	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
ग)	जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के संदर्भ में कंपनी को, कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की अपेक्षा थी लेकिन भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/ (वॉल्यूम IV) के अनुपालन में कंपनी ने तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 1 फरवरी 2017 से उनके कार्यकाल की समाप्ति 31 जनवरी 2020 तक के लिए केवल एक स्वतंत्र निदेशक नामतः श्रीमती शिखा रॉय की नियुक्ति की है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 11/26/82- डीसीएच/एनएचडीसी/(वॉल्यूम IV) दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के अनुपालन में दूसरे गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, नामतः श्री अनिल कुमार सूद को 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। साथ ही, श्रीमती शिखा रॉय पब्ली, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 31.01.2020 को पूरा हो गया। कंपनी ने अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए लगातार प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र लिखा है।	निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के सरकारी आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(वॉल्यूम IV) के जरिए श्री अनिल कुमार सूद को 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। साथ ही, श्रीमती शिखा रॉय पब्ली, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 31.01.2020 को पूरा हो गया। कंपनी ने अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए लगातार प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र लिखा है।
घ)	जबकि कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के संदर्भ में कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या के बिना तीन निदेशकों वाले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। हालाँकि, 18 अक्टूबर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत था और इसके पश्चात बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के गठन का गठन स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के बिना किया गया। हालाँकि, 24 जनवरी 2020 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठक में केवल एक स्वतंत्र निदेशक ने भाग लिया। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास केवल एक स्वतंत्र निदेशक है क्योंकि गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती शिखा रॉय पब्ली का कार्यकाल 31 जनवरी 2020 को पूरा हो गया है। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण निगम के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति के लिए कई बार अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध कर चुकी है ताकि लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की इष्टतम संख्या पूरी की जा सके।	निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के सरकारी आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(वॉल्यूम IV) के जरिए श्री अनिल कुमार सूद को 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। साथ ही, श्रीमती शिखा रॉय पब्ली, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 31.01.2020 को पूरा हो गया। कंपनी ने अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए लगातार प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र लिखा है।
इ)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के संदर्भ में कंपनी में जोखिम प्रबंधन नीति की अपेक्षा थी, तथापि, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए हैं।	कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। हालाँकि, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए हैं।



	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
c)	Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one Independent Director, namely Smt. Shikha Roy for a period of three years w.e.f 1st February 2017, her term expired on 31st January 2020. In compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) dated 18th October 2019 the second Non-official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood had been appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18th October 2019. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested several times to its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation.	The Corporation is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Government of India. Government of India had appointed Shri Anil Kumar Sood as a Non- Official Independent Director vide Order GO no. 11/26/82-DCH/NHDC /(Vol. IV) dated 18 <sup>th</sup> October, 2019 w.e.f 18 <sup>th</sup> October, 2019 for a period of three years or till further order whichever is earlier. Also, tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, Non-official Independent Director completed on 31.01.2020. The Company has constantly written to the administrative Ministry for appointing another Independent Director.
d)	Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number of Independent Director. However, the constitution of Audit Committee for a period from 18th October 2019 to 31st January 2020 was with majority of Independent Directors and thereafter the constitution of the Audit Committee of the Board remains without sufficient number of Independent Directors. However, the Audit Committee meeting held on 24th January 2020 was attended by only one independent Director. The Company has only one independent Director as at 31st March 2020 as the tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, Non-official Independent Director expired on 31st January 2020. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry several times for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee.	Our Company is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Government of India. Government of India had appointed Shri Anil Kumar Sood as a Non- Official Independent Director vide Order GO no. 11/26/82-DCH/NHDC /(Vol. IV) dated 18 <sup>th</sup> October, 2019 w.e.f 18 <sup>th</sup> October, 2019 for a period of three years or till further order whichever is earlier. Also, tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, Non-official Independent Director completed on 31.01.2020. The Company has constantly written to the administrative Ministry for appointing another Independent Director.
e)	Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk	The Company has not adopted any formal Risk Management policy. However, the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk

	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
च)	<p>पिछले वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखितानुसार, कंपनी ने सूचित किया है कि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 3 अगस्त 2018 के अनुसरण में लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजने सहित आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की है। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया था कि 25 फरवरी 2020 को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में सीबीआई पत्र को प्रस्तुत करने संबंधी कुछ प्रशासनिक मुद्दों में प्रबंध निदेशक-एनएचडीसी, अधिशासी निदेशक (वाणिज्यिक) और उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के निलंबन के मामले को निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी को दिनांक 3 मार्च, 2020 से निलंबित कर दिया गया था और उनका कार्यकाल समय से पहले 6 अगस्त 2020 को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, सीबीआई संप्रेषण के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी और यह प्रगति पर है।</p>	<p>दिनांक 25 फरवरी 2020 को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में सीबीआई पत्र को प्रस्तुत करने संबंधी कुछ प्रशासनिक मुद्दों में एमडी-एनएचडीसी, ईडी(वाणिज्यिक) और उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के निलंबन के मामले को निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी को दिनांक 3 मार्च, 2020 से निलंबित कर दिया गया था और उनका कार्यकाल समय से पहले 6 अगस्त 2020 को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, सीबीआई संप्रेषण के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी और यह प्रगति पर है।</p>

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-  
(संजय रस्तोगी)  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 07722405



	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
f)	<p>As stated in the Secretarial Audit Report of previous year, the Company has informed that in pursuance of the letter No 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3rd August 2018 received from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms for irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, it has taken necessary administrative action including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). Further, as informed by the management a Board Meeting was held on 25th February 2020 and in the said meeting some administrative issues in the submission of CBI letter before the Board of Directors and the administrative Ministry, suspension of MD-NHDC, ED (comm.) &amp; DGM (HR) were taken up. The then MD NHDC was suspended w.e.f. 3rd March, 2020 and his tenure was prematurely terminated on 6th August 2020. Further, as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO and the same are under progress</p>	<p>A Board Meeting was held on 25<sup>th</sup> February 2020 on some administrative issues in the submission of CBI letter before the Board of Directors and the administrative Ministry. Suspension of MD-NHDC, ED (comm.) &amp; DGM (HR) happened. The then MD NHDC was suspended w.e.f. 3rd March, 2020 and his tenure was prematurely terminated on 6th August 2020. Further, as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO and the same are under progress.</p>

**For and on behalf of the Board of Directors**

**Sd/-**  
**Sanjay Rastogi**  
**Chairman**  
**DIN:07722405**

## वार्षिक रिटर्न का सार-फार्म सं. एमजीटी-9

### I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i) सीआईएन: -	U17299UP1983GOI005974
ii) पंजीकरण की तारीख	22 फरवरी, 1983
iii) कंपनी का नाम	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी
v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	वैगमेन्स बिजनेस पार्क, टॉवर -1, प्लॉट नंबर 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश - 201306 फोन - 0120-2329600
vii) क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
viii) रजिस्टार और अंतरण (ट्रांसफर) एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

### II. कंपनी की प्रमुख व्यापार गतिविधियां (कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यापार गतिविधियों का उल्लेख किया जाए): -

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	यार्न	1311	94.37%

### III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का ब्यौरा -

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी	शेयर का%	लागू खंड
-	-	-	-	-	-

## ANNEXURE E TO DIRECTORS REPORT

## EXTRACT OF ANNUAL RETURN- FORM NO. MGT-9

## I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN:-	U17299UP1983GOI005974
ii) Registration Date	22 <sup>nd</sup> Feb., 1983
iii) Name of the Company	National Handloom Development Corporation Ltd.
iv) Category / Sub-Category of the Company	Public Company
v) Address of the Registered Office and contact details	Wegmans Business Park, Tower - 1 Plot No. 03, Sector Knowledge Park – III, Greater Noida Uttar Pradesh, 201306 Phone – 0120-2329600
vii) Whether listed company Yes / No	No
viii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

## II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated):-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1.	Yarn	1311	94.37%

## III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

S. No.	Name and address of the company	CIN/ GLN	Holding/ subsidiary/ associate	% of shares held	Applicable Section
-	-	-	-	-	-

#### IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल (पूंजी) का ब्यौरा)

##### (i) श्रेणी-वार शेयरधारिता (शेयर होल्डिंग)

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. संवर्धक (प्रमोटर) (1) भारतीय केंद्रीय सरकार * उप- योग (क) (1): -	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) विदेशी क) एनआरआई – व्यक्तिगत ख) अन्य - व्यक्तिगत ग) निकाय निगम घ) बैंक/एफआई ड) कोई अन्य... उप- योग (क) (2): -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धक (प्रमोटर) की कुल हिस्सेदारी (क) = (क) (1) + (क) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
ख. सार्वजनिक (पब्लिक) शेयरधारिता 1. संस्थाएं क) म्युचुअल फंड ख) बैंक/वित्तीय संस्थानें (एफआई) ग) केंद्रीय सरकार घ) राज्य सरकार (सरकारें) ड) वेंचर कैपिटल फंड्स च) बीमा कंपनियाँ छ) एफआईआई ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड i) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थाएं क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्तिगत i) 1 लाख रुपये तक न्यूनतम शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रुपये से अधिक न्यूनतम शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक (पब्लिक) हिस्सेदारी (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक (कस्टोडियन) द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल योग (क + ख + ग)</b>	<b>-</b>	<b>1900000</b>	<b>1900000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>1900000</b>	<b>1900000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

#### IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

##### i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian Central Govt * Sub-total (A) (1):-	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) Foreign a) NRIs - Individuals b) Other – Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... Sub-total (A) (2): -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>1900000</b>	<b>1900000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>1900000</b>	<b>1900000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

(ii) संवर्धकों (प्रमोटरों) की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	केंद्रीय सरकार *	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	कुल	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

\* कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, 19,00,000 शेयरों की कुल हिस्सेदारी में से 18,99,992 शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित द्वारा धारित हैं, शेष 8 शेयरों विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा धारित है।

(iii) संवर्धकों (प्रमोटरों) की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)-कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.	संवर्धकों (प्रमोटरों) की शेयरधारिता	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारम्भ में	1900000	100%	1900000	100%
	वृद्धि/कमी के लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा):

क्र.सं.	शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	श्री आर.के.साहू, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)®	01	0%	00	0%
	श्री शक्तिवेल पेरुमलसामी	01	0%	01	0%
	श्री जितेन्द्र आचार्य *	01	0%	00	0%
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/कमी		-	-	-
	श्री एस.के.सिंह, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) ®	00	-	01	0%
	श्री के सी शाकद्वीपी ^	00	-	01	0%
	वर्ष के अंत में	03	0%	3	0%

@ श्री आर.के.साहू (अपर विकास आयुक्त--हथकरघा) के शेयर को दिनांक 3 जुलाई, 2019 को श्री एस.के.सिंह (अपर विकास आयुक्त-हथकरघा) को हस्तांतरित किया गया था

\* दिनांक 30 सितंबर, 2019 को श्री जितेन्द्र आचार्य (अपर विकास आयुक्त--हथकरघा) की शेयरधारिता को श्री संजय रस्तोगी (विकास आयुक्त-हथकरघा) को हस्तांतरित किया गया

^ श्री नवीन कुमार गुप्ता (ईडी-वित्त)/सीएफओ के शेयर को दिनांक 30 सितंबर, 2019 को श्री केसी शाकद्वीपी को हस्तांतरित किया गया



**ii) Shareholding of Promoters**

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1.	Central Govt*.	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	Total	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

\*The Company is a wholly-owned Government Company, out of the total shareholding of 19,00,000 shares, 18,99,992 shares are held by the Nominee of Hon'ble President of India, the remaining 8 shares are held by officers of DC (Handlooms) and the Company.

**iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)- No change**

Sl.No.	Change in Promoters' Shareholding	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	1900000	100%	1900000	100%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.):	-	-	-	-
	At the End of the year	1900000	100%	1900000	100%

**iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

Sl. No.	Shareholding Pattern of top ten Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Shri R.K. Sahu ADC (Handlooms)@	01	0%	00	0%
	Shri Sakthivel Perumalsamy	01	0%	01	0%
	Shri Jitendra Acharya*	01	0%	00	0%
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year.		-	-	-
	Shri SK Singh ADC (Handlooms)@	00	-	01	0%
	Shri KC Shakdwipee^	00	-	01	0%
	At the End of the year	03	0%	3	0%

@ Share was transferred to Shri SK Singh (ADC-HL) from Shri RK Sahu (ADC-HL) on 3<sup>rd</sup> July, 2019

\*Shareholding of Shri Jitendra Acharya (ADC-HL) was transferred to Shri Sanjay Rastogi (DC-HL) on 30<sup>th</sup> Sep, 2019

^Share of Shri Naveen Kumar Gupta (ED-Finance)/CFO was transferred to Shri KC Shakdwipee on 30<sup>th</sup> Sep, 2019



## (v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	<b>श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष/विकास आयुक्त (हथकरघा)</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	03	0%	03	0%
	दिनांक 03.07.2019 को श्री संजीव दुआ को शेयर हस्तांतरित	01	0%	02	0%
	दिनांक 03.07.2019 को श्री जितेन्द्र आचार्य से अधिग्रहित शेयर	01	0%	03	0%
	वर्ष के अंत में	03	0%	03	0%
2.	<b>श्री दीपांकर दत्ता, निदेशक *</b>				
	वर्ष की शुरुआत में	01	0%	01	0%
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	00	0%	01	0%
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%
3.	<b>श्री नवीन कुमार गुप्ता अधिशासी (वित्त)/सीएफओ</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	01	0%	01	0%
	30.09.2019 को शेयर श्री केसी शाकद्वीपी को हस्तांतरित	01	0%	00	0%
	वर्ष के अंत में	00	0%	00	0%
4.	<b>श्री संजीव दुआ, प्रबंध निदेशक</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	00	0%	00	0%
	श्री दिनांक 03.07.2019 को श्री संजय रस्तोगी (अध्यक्ष/डीसी-एचएल) से अधिग्रहित शेयर	01	0%	01	0%
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%

**V. ऋण भार**

बकाया/अर्जित ब्याज सहित कंपनी का ऋण भार, लेकिन भुगतान लंबित नहीं

(लाख रुपये में)

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वर्ष के प्रारम्भ में ऋण भार	-	-	-	-
i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज, परंतु बकाया नहीं है	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भार में परिवर्तन	-	-	-	-
· जोड़	-	-	-	-
· घटाव	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण	-	-	-	-
i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज, परंतु बकाया नहीं है	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	-	-	-

**(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
<b>1.</b>	<b>Shri Sanjay Rastogi, Chairman/DC Handloom*</b>				
	At the beginning of the year	03	0%	03	0%
	Share transferred on 03.07.2019 to Shri Sanjeev Dua	01	0%	02	0%
	Shares acquired on 03.07.2019 from Shri Jitendra Acharya	01	0%	03	0%
	At the End of the year	03	0%	03	0%
<b>2.</b>	<b>Shri Dipankar Dutta, Director@</b>				
	At the beginning of the year	01	0%	01	0%
	Date wise Increase/ decrease in Shareholding during the year	00	0%	01	0%
	At the End of the year	01	0%	01	0%
<b>3.</b>	<b>Shri Naveen Kumar Gupta ED(Finance)/CFO</b>				
	At the beginning of the year	01	0%	01	0%
	Shares Share transferred on 30.09.2019 to Shri KC Shaktwiphee	01	0%	00	0%
	At the End of the year	00	0%	00	0%
<b>4.</b>	<b>Shri Sanjeev Dua, MD</b>				
	At the beginning of the year	00	0%	00	0%
	Shares acquired on 03.07.2019 from Shri Sanjay Rastogi (Chairman/DC-H)	01	0%	01	0%
	At the End of the year	01	0%	01	0%

**V. INDEBTEDNESS**

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

**(Rs. in Lakh)**

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	-	-	-	-
i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
· Addition				
· Reduction				
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (I + ii + iii)	-	-	-	-

## VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

### क. प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री संजीव दुआ * (1 मई 2019 से 3 मार्च, 2020)
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	35,93,895
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अतिरिक्त सुविधाएं	23,750
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	
2.	स्टॉक विकल्प	
3.	स्वेट इक्विटी	
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ...	
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	
	कुल (क) अधिनियम के अनुसार सीमा	
	<b>कुल</b>	<b>36,17,645</b>

\* श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश सं.40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के जरिए निलंबित कर दिया गया था और उनको दिनांक 6 अगस्त, 2020 तक प्रभावी उनकी समय-पूर्व सेवा समाप्ति की अवधि तक एनएचडीसी, सीडीए नियमावली के अनुसार निलंबन भत्ते का भुगतान किया गया।

सुश्री मुदिता मिश्रा (9 मार्च, 2020 से प्रबंध निदेशक) को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में किसी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

### ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निगम के बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी निदेशकों को 55000/- रुपये का भुगतान किया गया था (श्रीमती शिखा रॉय पब्बी-30,000/- रुपये और श्री अनिल कुमार सूद- 25000 रुपये)।

### ग. अन्य व्यक्तिगत एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी. के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			(लाख रुपये में)
		सीईओ	सीएफओ*	कंपनी सचिव*	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	8,08,763	10,61,598	18,70,361
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अतिरिक्त सुविधाएं	-			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	-			
2.	स्टॉक विकल्प	-			
3.	स्वेट इक्विटी	-			
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें ...	-			
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-			
	<b>कुल (ख)</b>	-	8,08,763	10,61,598	18,70,361

\* श्री जितेन्द्र पुरोहित को दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को निगम के सीएफओ के रूप में नामित किया गया था।

\* श्री नवीन कुमार गुप्ता दिनांक 3 जुलाई, 2019 तक निगम के ईडी(एफ)/सीएफओ थे और उन्होंने तब तक पारिश्रमिक के रूप में 7,30,355 रुपये प्राप्त किए।

**VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**  
**A. REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR:**

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Shri Sanjeev Dua* (1 <sup>st</sup> May 2019 to 3 <sup>rd</sup> March, 2020)
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	35,93,895
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	23,750
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	
2.	Stock Option	
3.	Sweat Equity	
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	
5.	Others, please specify	
	Total (A) Ceiling as per the Act	
	<b>Total</b>	<b>36,17,645</b>

\*Shri Sanjeev Dua was suspended vide Order of DCH (Handlooms) No.40/4 (3)/2018-DCH/NHDC dated 3<sup>rd</sup> March, 2020 and suspension allowance was paid to him as per the NHDC, CDA rules for the period until his premature termination of tenure w.e.f. 6<sup>th</sup> August, 2020.

No salary is paid to Ms. Mudita Mishra (MD w.e.f. 9<sup>th</sup> March, 2020) on account of entrustment of additional charge of MD of the Corporation.

**B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS**

A total amount of Rs. 55000/- was paid to Non -Official Independent Directors (Smt. Shikha Roy Pabbi-Rs.30,000 and Shri Anil Kumar Sood- Rs. 25000) in FY 2019-20 for attending the Board/Committee Meetings of the Corporation

**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER/ WTD.**

(Rs. In Lac)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		CEO	CFO*	Company Secretary	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	8,08,763	10,61,598	18,70,361
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-			
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-			
2.	Stock Option	-			
3.	Sweat Equity	-			
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	-			
5.	Others, please specify	-			
	<b>Total (B)</b>	-	8, 08,763	10,61,598	18,70,361

\*Shri Jitendra Purohit was designated as CFO of the Corporation w.e.f. 28<sup>th</sup> October, 2019.

\*Shri Naveen Kumar Gupta was ED(F)/CFO of the Corporation until 3<sup>rd</sup> July, 2019 and drew Rs. 7,30,355 as remuneration

**VII.कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों का जुर्माना/दंड/अपशमन (कंपाउंडिंग):**

दिनांक 24 जनवरी, 2020 को वित्तीय वर्ष 2018-19 की एजीएम आयोजित करने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में निगम की एजीएम आयोजित करने में देरी के लिए स्वतः समाधान (कंपाउंडिंग) आवेदन दायर किया गया था (कोविड 19 महामारी के कारण आवेदन दाखिल करने में विलंब हुआ)।

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना/दंड/कंपाउंडिंग फीस	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएल टी/न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी	441				
जुर्माना	-		-	-	-
दंड	-		-	-	-
अपशमन(कंपाउंडिंग)	-	कंपनी तथा अधिकारियों-सीएफओ तथा सीएस की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित अवधि के भीतर एजीएम आयोजित नहीं करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के उल्लंघन के लिए धारा 141 के तहत अपराध के समाधान (कंपाउंडिंग) हेतु संयुक्त आवेदन दायर किया गया।	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के बाद 6 जनवरी, 2020 को टिप्पणियां प्राप्त हुईं। सभी शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद 24 जनवरी, 2020 को एजीएम आयोजित की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एक स्वतः समाधान (कंपाउंडिंग) आवेदन दायर किया गया था। आवेदन 'लंबित' है।	आरडी	-
ख. निदेशक	-	-	-	-	-
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
अपशमन(कंपाउंडिंग)	-	-	-	-	-
ग. दोषी अन्य अधिकारी					
जुर्माना	-	"वही"	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
अपशमन(कंपाउंडिंग)	-	-	-	-	-

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-  
संजय रस्तोगी  
(अध्यक्ष)

डी.आई.एन.: 07722405



## VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES UNDER COMPANIES ACT' 2013:

Suo moto Compounding application for delay in holding the AGM of the Corporation was filed in FY 2020-21, after conduction of AGM of FY 2018-19 on 24<sup>th</sup> Jan, 2020. (Delay in filing of application happened due to COVID 19 pandemic).

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
<b>A. COMPANY 441</b>					
Penalty	-		-	-	-
Punishment	-		-	-	-
Compounding	-	Joint Application for compounding of offence under section 441 for offence u/s 96 of the Companies Act 2013 for not holding AGM within the stipulated period for the financial year ended 31st March 2019 filed on behalf of the Company and available officers in default- CFO and CS	After the supplementary audit by C&AG, the comments were received on 6 <sup>th</sup> Jan, 2020. AGM could be held after approval of all shareholders on 24 <sup>th</sup> Jan, 2020. A suo moto compounding application was filed with the Registrar of Companies in FY 2020-21. The application is in 'pending' stage	RD	-
<b>B. DIRECTORS -</b>					
Penalty	-		-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty	-	"do"	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-  
 (Sanjay Rastogi)  
 Chairman  
 DIN:07722405

## सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए]

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य,

**राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,**

पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,

टावर-I, प्लॉट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,

सूरजपुर-कासना मैन रोड, ग्रेटर नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (सीआईएन सं. U17299UP1983GOI005974)** (जिसे इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) द्वारा, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहार के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसने हमें कॉरपोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपने विचार व्यक्त करने का तर्कसंगत आधार प्रदान किया था।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रख-रखाव किए गए अन्य दस्तावेजों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके पश्चात् दी गई सूचना की पद्धति और उसके अधीन सीमा तक कंपनी में समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र स्थापित हैं:-

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (**अधिनियम**) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों:- **लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम:-**लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समाप्त नहीं की गई है और वे समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थी।**
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम-**लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है;**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश **कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां संगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थी:-**

## Secretarial Audit Report

### [For the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2020]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,  
**National Handloom Development Corporation Limited**  
 Regd. Office: 4<sup>th</sup> Floor, Wegmans Business Park,  
 Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,  
 Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,  
 Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2020** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board - Processes and Compliance -Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31<sup>st</sup> March 2020** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings - **Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;-
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण) विनियम 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस लेना) विनियम, 2018;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट का पंजीयक) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित है; **कंपनी, इश्यू के पंजीयक से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और यह शेयर अंतरण एजेंट के रूप में भी कार्य नहीं कर रही थी, अतः, ये विनियम लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं थे।**
- (vi) कंपनी के अन्य श्रम, पर्यावरण और लागू विशिष्ट अधिनियम/कानून जिनकी पर्यावलोकन लेखा-परीक्षा के रूप में सचिवीय लेखा-परीक्षा की गई थी और यह सामान्यतः हमको उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर और कंपनी के प्रबंधन एवं अन्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रबंधन पुष्टि प्रमाण-पत्र तथा अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर आधारित/निर्भर था, कंपनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का पालन किया है;
- (क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश-मार्च, 2010;
- (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- (ग) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 अनुबंध
- (घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- (च) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (छ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 के साथ पठित कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंडों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।



- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -
  - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
  - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
  - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
  - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
  - f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
  - g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
  - h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to a issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**
- (vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;
- a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India;
  - b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952
  - c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.
  - d) Maternity Benefit Act 1961
  - e) Minimum Wages Act, 1948
  - f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.
  - g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.
  - h) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है क्योंकि वे सांविधिक वित्तीय लेखा-परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्याधीन रहे हैं।

हम सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणी के अध्याधीन किया है:-

- क) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के उपबंधों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 36<sup>वीं</sup> वार्षिक समान्य बैठक (एजीएम) 30 सितंबर, 2019 को अथवा उससे पहले आयोजित की जानी थी। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि अप्रतिरोध्य कारणों से कंपनी ने 36<sup>वीं</sup> एजीएम आयोजित करने के उद्देश्य हेतु समय विस्तार करने का अनुरोध करते हुए 05 सितंबर, 2019 को एसआरएन एच87093548 के तहत एमसीए, आरओसी-कानपुर को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे एमसीए, आरओसी-कानपुर द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एजीएम आयोजित करने का समय विस्तार 11 सितंबर, 2019 के अनुमोदन/पत्र के माध्यम से 3 महीने अर्थात् 31 दिसंबर, 2019 तक के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में यथाउल्लिखित 31 दिसंबर, 2019 तक निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक समान्य बैठक (एजीएम) आयोजित नहीं कर सकी। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 06 जनवरी, 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कंपनी ने 24 जनवरी, 2020 को अपनी 36<sup>वीं</sup> एजीएम आयोजित की थी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण दिनांक 29 जनवरी, 2020 के एसआरएन आर31724214 के तहत फार्म सं. एओसी-4 एक्सबीआरएल (लेखाओं का विवरण) में और 18 फरवरी, 2020 के एसआरएन आर33425158 के तहत फार्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) में अपेक्षित रिटर्न एमसीए के समक्ष प्रस्तुत किया है।
- ख) कंपनी और इसके अधिकारियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 के अंतर्गत किए गए अपराधों के समाधान के लिए संयुक्त रूप से स्वतः आवेदन किया है क्योंकि 24 जनवरी, 2020 को कंपनी की 36<sup>वीं</sup> एजीएम बुलाकर दोष सुधारा गया है जबकि यह बैठक 31 दिसंबर, 2019 तक (प्रदान किए गए समय विस्तार के अनुसार) आयोजित की जानी थी, 23 दिनों की चूक के लिए (01 जनवरी, 2020 से 23 जनवरी, 2020 तक)। इसमें ऊपर यथाउल्लिखित अपराध को जोड़ने का आवेदन 27 अगस्त, 2020 को एसआरएन आर51598514 के माध्यम से ई-फार्म जीएनएल-1 में एमसीए(आरओसी) का कार्यालय, उ.प्र. कानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन को उनकी रिपोर्ट के साथ क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) उत्तरी का कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दिया जाए और मूल आवेदन 31 अगस्त, 2020 को आरओसी का कार्यालय को भेज दिया गया है। अपराध के समाधान संबंधी आरओसी/आरडी उत्तरी कार्यालय, नई दिल्ली के समक्ष अनुमोदन/अधिनिर्णय के लिए अभी तक लंबित है।
- ग) जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) एवं 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को, कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता थी, किंतु कंपनी ने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड-IV) के अनुसरण में 01 फरवरी, 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केवल एक स्वतंत्र निदेशक नामतः श्रीमती शिखा राय पब्बी को नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2020 को समाप्त हो गया है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के आदेश सं. 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड-IV) के अनुसरण में दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 से दूसरे गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, नामतः श्री अनिल कुमार सूद की नियुक्ति 3 वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई थी। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि सरकारी कंपनी होने के नाते उन्होंने निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय को कई बार अनुरोध किया है।





We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- a) *Where as in terms of the provisions of provisions of Section 96 of the Companies Act 2013, the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2019 was required to be held on or before 30<sup>th</sup> September 2019. As informed by the management that, due to compelling reasons, Company submitted an application to MCA, ROC-Kanpur vide SRN H87093548 on 05<sup>th</sup> September 2019 requesting for an extension of time for the purpose of holding 36<sup>th</sup> AGM which was approved by the MCA, ROC-Kanpur and extension for time for holding the AGM for FY 2018-19 was approved by 3 months i.e. upto 31<sup>st</sup> December 2019 vide approval / letter dated 11<sup>th</sup> September 2019. Further the company could not hold its AGM for the financial year 2018-19 within the stipulated extended period up to 31<sup>st</sup> December 2019 as prescribed under section 96 of Companies Act, 2013. As informed by the management that after receiving the Final report of Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on 6<sup>th</sup> January 2020, the Company had convened its 36<sup>th</sup> AGM on 24<sup>th</sup> January 2020 and has violated the provisions of Section 96 of the Companies Act 2013. The Company has filed the Financial Statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> March 2019 in Form No AOC-4 XBRL (Statement of Accounts) vide SRN R31724214 dated 29<sup>th</sup> January 2020 and requisite return in Form MGT -7 (Annual Return) vide SRN R33425158 dated 18<sup>th</sup> February 2020 with the MCA.*
- b) *The company and its officers in default, have suo-moto filed an application jointly, for compounding of offence under Section 441 of Companies Act, 2013 committed under the provisions of Section 96 of the Companies Act 2013 as the default has been made good by convening the 36<sup>th</sup> AGM of the Company on 24<sup>th</sup> January, 2020 which was scheduled to be held on 31<sup>st</sup> December 2019 (as per extension granted), for default for 23 days (1<sup>st</sup> January 2020 to 23<sup>rd</sup> January 2020). The Application for compounding of offence as stated hereinabove has been filed before the office of the MCA (ROC), UP at Kanpur in e-form GNL-1 vide SRN R51598514 dated 27<sup>th</sup> August 2020 for onward submission of the Application with their report to the office of the Regional Director (RD), North, New Delhi and complete set of an original application has been sent on 31<sup>st</sup> August 2020 to the office of the ROC. Application for compounding of offence is still pending for approval/ adjudication before the office of ROC / RD North New Delhi.*
- c) *Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one Independent Director, namely Smt. Shikha Roy for a period of three years w.e.f 1<sup>st</sup> February 2017, her term expired on 31<sup>st</sup> January 2020. In compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) dated 18<sup>th</sup> October 2019 the second Non-official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood had been appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18<sup>th</sup> October 2019. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested several times to its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation.*

- घ) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के बिना तीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया है। यद्यपि, 18 अक्टूबर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए लेखा परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ किया गया था और उसके पश्चात बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति का गठन स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के बिना किया गया है। यद्यपि, 24 जनवरी, 2020 को आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठक में केवल एक स्वतंत्र निदेशक ने भाग लिया था। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है क्योंकि श्रीमती शिखा राय पब्बी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 31 जनवरी, 2020 को समाप्त हो गया है। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि यह सरकारी कंपनी होने के नाते निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय को कई बार अनुरोध किया है ताकि लेखा-परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की ईष्टतम संख्या का गठन किया जा सके।
- ड) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने किसी औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति को नहीं अपनाया है। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी अनिवार्य उपायों को अपनाया है।
- च) पिछले वर्ष की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार, कंपनी ने सूचित किया है कि लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय से प्राप्त 3 अगस्त, 2018 के पत्र सं. 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुसरण में, उन्होंने मामले को केंद्रीय जाँच ब्यूरो(सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग(सीवीसी) को संदर्भित करने सहित अनिवार्य प्रशासनिक कार्रवाई की है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बोर्ड की बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष सीबीआई का पत्र प्रस्तुत करने, प्रबंध निदेशक-एनएचडीसी, अधिशासी निदेशक (वाणिज्य) एवं उपमहा प्रबंधक (एचआर) को निलंबित किए जाने संबंधी कुछ प्रशासनिक मामलों को उठाया गया था। तत्कालीन प्रबंध निदेशक-एनएचडीसी को 03 मार्च, 2020 से निलंबित किया गया था और उनका कार्यकाल समय से पहले 06 अगस्त, 2020 को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक लेखापरीक्षा तथा सतर्कता जांच शुरू की गई थी, जो अभी चल रही है।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि:-

- 1) कंपनी ने उपर्युक्त को छोड़कर हम आपको ये सूचित करते हैं कि कार्यपालक, गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ बोर्ड के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), के लिए कॉरपोरेट शासन (सीजी) दिशानिर्देश-2010 का अनुपालन किया है। हमारे अवलोकन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार कंपनी को विभिन्न अनिवार्य और अन्य मापदंडों के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करना होता है। तथापि, 2017-18 के पश्चात् ऐसा कोई एमओयू संपन्न नहीं किया गया है।

इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निगम ने उन कारणों को स्पष्ट करते हुए दिनांक 28 दिसंबर, 2018 और 09 दिसंबर, 2019 को प्रशासनिक मंत्रालय को वह सूचना भेजी है जिनके कारण निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा था और वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, एवं 2020-21 के लिए एमओयू संपन्न करने की छूट मांगी थी। यह मामला अभी प्रशासनिक मंत्रालय में लंबित है।

- d) Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number of Independent Director. However, the constitution of Audit Committee for a period from 18<sup>th</sup> October 2019 to 31<sup>st</sup> January 2020 was with majority of Independent Directors and thereafter the constitution of the Audit Committee of the Board remains without sufficient number of Independent Directors. However, the Audit Committee meeting held on 24<sup>th</sup> January 2020 was attended by only one independent Director. The Company has only one independent Director as at 31<sup>st</sup> March 2020 as the tenure of Smt. Shikha Roy Pabbi, Non official Independent Director expired on 31<sup>st</sup> January 2020. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry several times for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee.
- e) Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.
- f) As stated in the Secretarial Audit Report of previous year, the Company has informed that in pursuance of the letter No 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3<sup>rd</sup> August 2018 received from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms, for irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, it has taken necessary administrative action including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). Further, as informed by the management a Board Meeting was held on 25<sup>th</sup> February 2020 and in the said meeting some administrative issues in the submission of CBI letter before the Board of Directors and the administrative Ministry, suspension of MD-NHDC, ED (comm.) & DGM (HR) were taken up. The then MD NHDC was suspended w.e.f. 3<sup>rd</sup> March, 2020 and his tenure was prematurely terminated on 6<sup>th</sup> August 2020. Further, as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO and the same are under progress.

We further report that:

- 1) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance (CG) Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSE), 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors except as stated above. As observed by us and also informed by the management, that in terms of the CG Guidelines for CPSE, 2010, the Company has to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Textiles for various compulsory and other Parameters, however after 2017-18, no such MOU has been executed.

Further, as informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry on dated 28<sup>th</sup> December 2018 & 09<sup>th</sup> December 2019 explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/targets and seeking exemption from entering MOU for the financial years 2018-19, 2019-20 & 2020-21. The matter is still pending with the administrative ministry.

- 2) बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन अग्रिम में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और इसके पश्चात कार्यसूची तथा कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट भी सभी निदेशकों को अग्रिम में भेजा गया था और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और उसे प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक व्यवस्था मौजूद है। अल्प नोटिस के मामले में, कंपनी ने आईसीएसआई के सचिवीय मापदंड-1 के खंड 1.3.7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 3) अधिकांश निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है जबकि असंतुष्ट सदस्य के विचार, यदि कोई हों, को नोट किया जाता है और उसे कार्यवृत्त में रिकार्ड किया जाता है।
- 4) निदेशकों ने नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता, अपने स्वतंत्र रहने और निदेशकों तथा प्रबंधन कार्मिकों के व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन किया है।

**हम आगे यह सूचित करते हैं कि** प्राप्त सूचना और रखरखाव किए गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी में उचित व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं जो अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों को मॉनिटर करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं।

**हम आगे यह सूचित करते हैं कि** लेखा-परीक्षा के दौरान निम्नलिखित के कोई मामले नहीं पाए गये:-

- क) सार्वजनिक/शेयरों का अधिमानी इश्यू/ स्वेट इक्विटी
- ख) प्रतिभूतियों का बॉय-बैक
- ग) विलय/आमेलन/पुनर्निर्माण आदि और
- घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

**कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी**  
**कंपनी सचिव**

**हस्ता./-**

**कंपनी सचिव, नवनीत अरोड़ा**

**प्रबंध साझेदार**

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनांक: 12 नवंबर, 2020**

**सीएस: 3214, सीओपी: 3005**

**यूडीआईएन: F003214B001220661**

(नोट: यह रिपोर्ट समान तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो 'अनुलग्नक-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।



- 2) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.
- 3) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
- 4) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

**We further report that** based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**We further report that** during the audit period, there were no instances of:

- a) Public / Preferential Issue of Shares / Sweat Equity.
- b) Buy-back of Securities.
- c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and
- d) Foreign Technical Collaborations.

**For Navneet K Arora & Co LLP  
Company Secretaries**

**Sd/-**

**CS Navneet Arora  
Managing Partner**

**CS: 3214, COP: 3005**

**UDIN : F003214B001220661**

**Place: New Delhi  
Date: 12<sup>th</sup> November, 2020**

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “**Annexure-A**” and forms an integral part of this report].

सेवा में,

सदस्य,  
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,  
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,  
टावर-I, प्लॉट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,  
सूरजपुर-कासना मैन रोड, ग्रेटर नोएडा,  
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306  
इस पत्र के साथ समान तारीख की हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ी जाए:-

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। लेखा-परीक्षा पर इन सचिवीय रिकार्डों के संबंध में राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्रियों की सटीकता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की समुचित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तिकाओं की सटीकता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमनों तथा घटनाक्रमों आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों मानदंडों का पालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा कंपनी की भावी अर्धक्षमता के लिए न तो आश्वासन है, न ही प्रभावकारिता अथवा प्रभावशीलता का, जिससे प्रबंधन ने कंपनी का कार्य किया है।

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी  
कंपनी सचिव

हस्ता./-

कंपनी सचिव, नवनीत अरोड़ा

प्रबंध साझेदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

यूडीआईएन:F003214B001220661

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12 नवंबर, 2020



**Annexure – “A”**

To,  
 The Members,  
**National Handloom Development Corporation Limited**  
 Regd. Office: 4<sup>th</sup> Floor, Wegmans Business Park,  
 Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,  
 Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,  
 Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.
- 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
- 4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

**For Navneet K Arora & Co LLP**  
**Company Secretaries**

**Sd/-**

**CS Navneet Arora**  
**Managing Partner**

**CS: 3214, COP: 3005**

**UDIN: F003214B001220661**

**Place: New Delhi**

**Date: 12<sup>th</sup> November, 2020**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,  
 सदस्यगण,  
 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

### (I) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण संबंधी संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में हमारी दिनांक 30 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट को संशोधित किया गया है ताकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के तहत की गई टिप्पणियों को प्रभावी बनाया जा सके।

### सापेक्ष राय

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('निगम') से संबंधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नगद प्रवाह विवरण का सारांश और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों – कन्नूर, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर तथा विजयवाड़ा के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित लेखा परीक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम एवं पता
1.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कन्नूर, केरल	मैसर्स एम कुन्नूल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कुप्पम हाईवे, थलीपरम्बा, कन्नूर, केरल-670144
2.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मैसर्स ओ पी हरलालका एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, प्रथम तल, 12, बिनाय बादल दिनेश बाग ई, लाल बाज़ार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001
3.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स आलोक शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सी-13/5-ए औरंगाबाद, वाराणसी
4.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स विनोद ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 26-27, प्रथम तल, शकुंतला काम्पलेक्स, पालिका बाजार, जी.टी.रोड, पानीपत, हरियाणा
5.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	मैसर्स एम ए मोहियाद्दीन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 307, लेनिन एस्टेट एबिड्स, हैदराबाद
6.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स एम अलागिरीस्वामी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सं. 16, छठी गली, टाटाबाद, कोयम्बटूर, -641012
7.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम	मैसर्स एस.बोस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सं.4/ए, अविनाश निवास, जीएस रोड, अलुबाड़ी, गुवाहाटी-781007
8.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा	मैसर्स पीपीबी, एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स प्लॉट सं. 97, प्रथम तल, नजदीक वॉटर टैंक, शहीद नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा
9.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	मैसर्स गड्डम सत्यनारायण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 23-28-1 एवं 1 ए, शिवरामन स्ट्रीट, सत्यनारायणपुरम, विजयवाड़ा-520011

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**TO,  
THE MEMBERS  
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)**

### **(I) Revised Audit Report on the Standalone Financial Statements**

Our report dated 30<sup>th</sup> December, 2020 on the accounts for the year ended 31st March, 2020 has been revised to give effect to the observations made by the Comptroller & Auditors General of India in the Supplementary audit carried out by them Under Section 143 (6) (a) of the Companies act 2013.

### **Qualified Opinion**

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss, Statement of change in equity and the Cash Flow Statement, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information including notes to the financial statements for the year ended on that date. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date audited by the Branch auditors of the Corporation's Regional Offices at-Kannur, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore, Guwahati, Bhubaneswar and Vijayawada. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under-

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Kannur, Kerala	M/s. M Kunnool & Associates. Chartered Accountants, Kuppam Highway, Thaliparamba, Kannur, Kerala 670 144
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	M/s. O P Harlalka & Co, Chartered Accountants ,1st Floor, 12, Binoy Badal Dinesh Bag E, Lal Bazar, Kolkata, West Bengal 700001
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s. Alok Sharma & Co. Chartered Accountants, C-13/5-A Aurangabad, Varanasi.
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s. Vinod Grover & Associates, Chartered Accountants, 26-27, 1 <sup>st</sup> Floor, Shakuntala, Complex, Palika Bazar, G.T. Road, Panipat, Haryana.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/s. M.A.Mohiaddin & Co., Chartered Accountants, 307, Lenaine estate Abids, Hyderabad
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. M Alagiriswamy, Chartered Accountants, No. 16, 6th Street , Tatabad, Coimbatore - 641012
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s S. Bose & Co. , Chartered Accountants, No.4/a, Avinash Niwas, GS Road, Ulubari, Guwahati-781007
8	National Handloom Development Corporation Limited, Bhubaneswar, Odisha	M/s. PPB & Co., Chartered Accountants, Plot No.97, 1 <sup>st</sup> Floor, Nr. Water Tank, Sahid Nagar, Bhubaneswar, Odisha
9	National Handloom Development Corporation Limited, Vijayawada, Andhra Pradesh	M/s. Gaddam Satyanarayana & Co., Chartered Accountants, 23-38-1 & 1 A, Sivaraman Street, Satyanarayanapuram, Vijayawada-520011

हमारी निष्कर्ष एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सापेक्ष राय खंड के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में दी गई है जैसा कि अपेक्षित है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामले की स्थिति, उसकी हानि, इकट्टी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष मत दिया गया है।

### लेखा परीक्षक सापेक्ष राय का आधार

1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखितानुसार 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है।

जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत है, पिछले वर्ष अर्थात 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी (क्रमशः टिप्पण सं. 17(i) एवं 19(ii) का संदर्भ)। इसमें से 190.82 करोड़ रूपए की बिक्री और खरीद को बुकिंग के केवल दो सप्ताह के भीतर ईआरपी लेखांकन प्रणाली में उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस मामले को जांच एजेंसी सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया। उक्त मामला फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है।

यह 194.22 करोड़ कुल देनदारों (संदर्भ टिप्पण संख्या 13 (ii) तथा लेनदारों (संदर्भ टिप्पण संख्या 5 (ii)) में दिखाया गया है। चूंकि हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 में की अपनी रिपोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया गया है और यह मामला अभी फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है।

हमने लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानदंडों (एसएएस) के अनुसार की है। उन मानदंडों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के जिम्मेदारियों में विस्तार से परिभाषित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र संस्था हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी सापेक्ष राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा सूचना

अन्य सूचना तैयार करने हेतु कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नंस तथा स्टेकहोल्डर सूचना शामिल हैं, परंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे निष्कर्ष में अन्य सूचना शामिल नहीं की जाती है और हम उन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमारी प्राप्त जानकारी के लिए संगत है अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हमारे कार्य निष्पादन के आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि यह अन्य सूचना वास्तव में गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। हमने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।



In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statement give the information required by the Companies Act 2013 in the manner so required and give true and fair view in the conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affair of the Company as at 31st March, 2020, its Loss, change in equity and its Cash Flow for the year ended on that date,

## **BASIS OF QUALIFIED OPINION**

1. NHDC having “9” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India , Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.

As pointed in our Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19, the Company's Lucknow branch Office, which is under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales& Purchase during the previous year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of previous year i.e. 2018-19 (Refer Note No. 17(1)& 19 (II) respectively). Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system within just two weeks of booking. the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission. The above matter pending at Forensic Audit and Vigilance Enquiry.

This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No.13(ii)) as well as Creditors (Refer Not No. 5 (ii)). As this matter had already been pointed out by us in the FY 2018-19 in our report of 2018-19, and the matter is still pending at Forensic Audit and Vigilance Enquiry.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and ICAI Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

## **Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon**

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष मत दिया गया हो। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखना तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं उनकी पहचान करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग; निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना कि वे तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में रहा हो, तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हो जिनपर सही एवं निष्पक्ष निष्कर्ष दिया गया हो और किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वास्तविक गलत टिप्पणी नहीं की गई हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल वर्तमान कारोबार, प्रकटीकरण, वर्तमान कारोबार से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार पर वर्तमान कारोबार का उपयोग करके कंपनी की योग्यता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल का या तो परिसमापन या फिर परिचालन को बंद करने का इरादा हो या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना भी है।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में वास्तव में गलत विवरण दिया गया है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी निष्कर्ष शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा एक वास्तविक रूप से किए गए गलत विवरणों का पता लगाएगा जब यह मौजूद हो तो ये गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से किए गए गलत विवरण हैं तो उस वास्तविक माना जाता है तथा ये इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम संपूर्ण लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके साथ-साथ हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से किए गए गलत विवरणों के जोखिम की पहचान एवं आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो, उन जोखिमों के अनुकूल लेखा परीक्षा तैयार करते हैं एवं उसे लागू करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे निष्कर्ष को आधार देने के लिए पर्याप्त तथा यथोचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले वास्तविक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम अपने निष्कर्ष देने के प्रति भी उत्तरदायी हैं, चाहे कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था हो और ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी रूप से प्रचालन हो रहा हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का आकलन करना।





## Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- लेखांकन की वर्तमान कारोबार के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालना, चाहे ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद हो, जो वर्तमान कारोबार के रूप में कंपनी की क्षमता को चालू रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा होती है अथवा यदि इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त होता है, तो हम अपने निष्कर्ष को संशोधित करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख को प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर होते हैं। तथापि, भावी घटनाक्रम अथवा स्थितियां कंपनी के वर्तमान कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषण करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिनकी हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम प्रभारित शासन को यह व्यक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें संप्रेषण करते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और उस आधार पर वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों को हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में परिभाषित करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण की कोई कानूनी अथवा विनियमन बाधा न हो अथवा जब बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से निष्कर्ष परिणामों के इस तरह के संप्रेषण से सार्वजनिक हित के लाभों को यथोचित रूप से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

## (II) अन्य मामले

1. टिप्पण सं. '4ए' में उल्लेख किए गए अनुसार 19,95,56,669 रूपए निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु चालू वर्ष (2019-20) के दौरान विपणन काम्प्लेक्स के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।
2. टिप्पण सं. '4(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 9,50,00,000/-रूपए को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु चालू वर्ष के दौरान मेगा क्लस्टर के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को मेगा क्लस्टर में निवेश के लिए जमा किया गया है।
3. हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 354.55 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल 784.55 करोड़ रूपए का राजस्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है। इन शाखाओं का वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी प्रविष्टियां हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी सापेक्ष राय में अभी तक इन शाखाओं के संबंध में राशि तथा प्रकटीकरण पूरी तरह उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी सापेक्ष राय को संशोधित नहीं किया गया है।

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the qualified, consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### **Other matter:**

1. As stated in Note No. "4A" Rs. 19,95,56,669 is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31<sup>st</sup> March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but from the financial year 2017-18 to 2018-19 the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). But, during the Current Year (2019-20), Interest Income earned on FDR of Marketing Complex, has been taken by crediting to Corpus Funds (Market Complexes).
2. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2020 Rs. 9,50,00,000/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). From financial year 2017-18 to 2018-19 the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). But, during the Current Year, Interest Income earned on FDR of Mega Cluster has been crediting to Investment in Mega Cluster.
3. We did not audit the financial statements/information of 9 Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 354.55 Crores as at 31<sup>st</sup> March, 2020 and total revenues of Rs. 784.55 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

## अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

- I. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार हमने स्वीकार्य सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया है।
- II. जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की बहीखातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक-'ख' में संलग्न कर रहे हैं।
- III. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
  - क. हमने उपरोक्त निष्कर्ष पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - ख. उपरोक्त निष्कर्ष पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारे निष्कर्ष अनुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहीखाते बनाए हैं जैसा कि उन बहीखाते की अभी तक हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
  - ग. शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट हमें भेजी गई है और उपरोक्त सापेक्ष राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारे निष्कर्ष में उनका यथोचित रूप से निपटान किया गया है।
  - घ. उपरोक्त निष्कर्ष पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में संचालित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण और नगद प्रवाह विवरण लेखाओं की संगत बहीखातों के अनुसार हैं।
  - ङ. उपरोक्त निष्कर्ष पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी सापेक्ष राय में कंपनी (लेखा) नियामावली, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों (एएस) का अनुपालन किया गया है।
  - च. भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
  - छ. उपरोक्त सापेक्ष राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविकता के संबंध में अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
  - ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है:

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- I. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2016 ("the order") issued by the Central Government in the terms of section 143 (11) of the Act , we Give in the Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order to the extent applicable.
- II. We are enclosing our report in terms of section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us , in the Annexure-"B" on the directions and sub directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
- III. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
  - a. We have sought except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - b. Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
  - c. The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, in our opinion, have been properly dealt with by us in preparing this report
  - d. Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above , the Balance Sheet, the statement of Profit and Loss ,Statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of accounts.
  - e. In our opinion, Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2015 (as amended)
  - f. In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 5<sup>th</sup> June 2015 issued by the Government of India, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors, are not applicable to the Company
  - g. Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure "C"
  - h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:



- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – लेनदारों के लिए 13(ii) (iii) में लेखाओं के संबंध में संदर्भ टिप्पणी, पाद टिप्पणी (फुटनोट) 15 (iv), 15(vii) में लेखाओं के संबंध में संदर्भ टिप्पणी, वित्तीय विवरणों के लिए 28 (I)(A) में लेखाओं के संबंध में संदर्भ टिप्पणी।
- कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, इसलिए, लागू नहीं है।
- यह पाया गया कि कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशि के हस्तांतरण में देरी से संबंधित खंड लागू नहीं है।

दिनांक: 1 अप्रैल, 2021  
स्थान: नई दिल्ली

कृते मानव एंड एसोसिएट्स  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)  
एफआर संख्या: 007351N  
हस्ता./-  
एन.के. गुप्ता  
भागीदार: (एम सं. 085713)  
यूडीआईएन: 21085713AAAACK3991





- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note on account in 13(ii), (iii) for debtors, Refer Note on account in 15(iv) foot note, 15(vii) foot note, Refer Note on account in 28(1)(A) to the financial statements.
- The Company does not have any long term contracts including derivative contracts, hence, not applicable.
- It is found that clause relating to delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable.

**For MANV & Associates  
(Chartered Accountants)  
F.R.No: 007351N**

**Dated: 1<sup>st</sup> April, 2021  
Place: New Delhi**

**Sd/-  
N.K.GUPTA  
Partner: (M No.085713)  
UDIN: 21085713AAAACK3991**

### स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'क'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "I" में उल्लिखित)

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
(i)	(क) क्या कंपनी मात्रात्मक विवरण और स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रख रही है?	9 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार इन कार्यालयों ने मात्रात्मक विवरण और स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखा है। जबकि निगम के मुख्यालय में पूर्ण विवरण दिखाते हुए, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति शामिल हो, उचित अभिलेख बनाये जाने अभी बकि हैं।
	(ख) क्या इन स्थिर परिसंपत्तियों को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापित किया है, क्या ऐसे सत्यापन में कोई वस्तुगत विसंगतियां पाई गई हैं और यदि हां, तो क्या उनको लेखा बही में समुचित रूप से निपटाया गया है?	9 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियमित अंतरालों पर इन स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया जाता है। तथापि, निगम कार्यालय की स्थिर परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियमित अंतरालों पर वास्तविक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।
	(ग) क्या अचल संपत्तियां कंपनी के नाम हैं? यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा दें।	लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमने कंपनी के नाम पंजीकृत फ्री-होल्ड तथा लीज-होल्ड स्वामित्व विलेख का सत्यापन किया है। भूमि विलेख स्पष्ट है और उक्त भूमि पर निगम द्वारा कोई ऋणभार नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि मुंबई में 2163293 रूपए की राशि वाला 221.70 वर्ग मीटर कार्यालय भवन क्षेत्र उपयुक्त प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए लंबित है। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय का 152.35 वर्ग मीटर क्षेत्र का हस्तांतरण विलेख रिकॉर्ड में उपलब्ध है परंतु संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज नहीं मिला है।
(ii)	क्या प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर सामग्री का वास्तविक सत्यापन किया गया है और क्या ऐसे सत्यापन में कोई वस्तुगत विसंगतियां पाई गई हैं और यदि हां, तो क्या उनको लेखा बही में समुचित रूप से निपटाया गया है?	हमें दी गई सूचना के अनुसार प्रबंधन द्वारा नियमित अंतरालों पर इन्वेन्टरी का वास्तविक सत्यापन किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों में सत्यापन की आवृत्ति युक्तिसंगत है। तथापि, इस प्रयोजन हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में केवल यार्न आदि की खरीद और बिक्री दस्तावेजी रिकॉर्ड ही रखा जाता है। उक्त सामग्री की वास्तविक आवाजाही लेखा परीक्षा में नहीं दर्शाई जा सकी है।
(iii)	क्या कंपनी ने किसी कंपनियों, फर्म, सीमित देयता भागीदारों अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए पंजीकरण में शामिल अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण दिया गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।	कंपनी ने किसी कंपनियों, फर्म, सीमित देयता भागीदारों अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए पंजीकरण में शामिल अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

**ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

(Referred to in paragraph "I" under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

S.No	PARTICULARS	Our Reply
(i)	(a) Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, these offices have maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets. Whereas Head Office of the Corporation has yet to maintain proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
	(b) Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, Fixed Assets have been physically verified by the Management during the year at regular intervals. However, Fixed Assets at Corporate Office have not been physically verified by the Management during the year at regular intervals.
	(c) Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof.	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293 is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
(ii)	Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account.	As informed to us, physical verification of inventory is conducted by the Management at regular intervals. In the opinion of Statutory Auditors of Regional Offices, the frequency of verification is reasonable. However, only the documentary records are maintained for purchase and sale of yarn etc. at the respective R.O. The physical movement of above material could not be shown to audit.
(iii)	Whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, if so.	The company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnership of other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

	(क) क्या ऐसे ऋण दिए जाने के नियम एवं शर्तें कंपनी के हित में हानिकारक नहीं है।	लागू नहीं
	(ख) क्या मूलधन का पुनर्भुगतान तथा ब्याज का भुगतान की समय-सारणी निर्धारित की गई है और क्या पुनर्भुगतान अथवा प्राप्ति नियमित रूप से हो रही है?	लागू नहीं
	(ग) यदि राशि बकाया है, तो नब्बे दिनों से अधिक कुल बकाया राशि का ब्यौरा दें और क्या कंपनी द्वारा मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए गए हैं?	लागू नहीं
(iv)	ऋणों, निवेशों, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा दें।	लागू नहीं
(v)	यदि किसी मामले में कंपनी ने कोई जमा स्वीकार किए हैं, तो क्या वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा किन्हीं अन्य संगत प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, जो भी लागू हो, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो इस प्रकार के उल्लंघन का ब्यौरा दें, यदि कंपनी कानून बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधायी न्याधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय या किसी अन्य न्याधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है, तो क्या उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?	कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। उपर्युक्त को देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कोई अन्य संगत प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
(vi)	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा रिकॉर्ड लागत रख-रखाव निर्धारित किए गए हैं और क्या ऐसे लेखा तथा रिकॉर्ड बनाए गए हैं एवं उनका रख-रखाव किया गया है?	कंपनी को लागत रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है।
(vii)	(क) क्या कंपनी नियमित रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा उपयुक्त प्राधिकरण को कोई अन्य सांविधिक देय सहित अबाधित सांविधिक देय राशि को जमा कर रही है और यदि नहीं, तो बकाया सांविधिक देय राशि की बकाया सीमा को, जिस दिन से वे देय हो गई है, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार उसे दर्शाया जाएगा?	निगम टीडीएस के साथ भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, जीएसटी सहित अबाधित सांविधिक देय राशि को उपयुक्त प्राधिकरण में जमा कर रही है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर निगम पर लागू नहीं हैं।

	(a)Whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest.	Not Applicable
	(b)Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular.	Not Applicable
	(c)if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest.	Not Applicable
(iv)	In respect of loans, investments, guarantees and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.	Not Applicable
(v)	In case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, where applicable, have been complied with? If not, the nature of such contraventions be stated, if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?	The Company has not accepted any deposits. In view of this the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act, 2013, does not apply.
(vi)	Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub section (1) of Section 148 of the Companies Act 2013 and whether such accounts and records have been so made and maintained.	The Corporation is not required to maintain the cost records, as the Central Government has not prescribed to maintain cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013.
(vii)	(a)Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the day they became payable, shall be indicated.	The corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund Income Tax including TDS. Employees' state insurance, Sales Tax & GST with the appropriate authorities. The payments of customs duty, excise duty and cess are not applicable to the Corporation.

	<p>(ख) जबकि आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर को किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, उस दशा में शामिल राशि तथा जहां विवाद लंबित है, उस मंच को उल्लिखित किया जाएगा (संबंधित विभाग को मात्र अभ्यावेदन को विवाद नहीं समझा जाएगा)।</p>	<p>निगम के रिकॉर्ड के अनुसार बिक्री कर, व्यवसायिक कर के संबंध में कोई अविवादित राशि लंबित नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत नोट किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों ने बिक्री कर जैसी सांविधिक देय राशि की लंबिता को दर्शाया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी</b> बिक्री कर – वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लखनऊ कार्यालय बिक्री कर आकलन प्राधिकरण के लिए 95.21 लाख रूपए की उठाई गई मांग के विरुद्ध सहायक आयुक्त बिक्री कर वाराणसी में एक अपील लंबित है।</li> <li>• <b>क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर</b> वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के लिए बिक्री कर विभाग ने मनमाने रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर द्वारा कुछ छूट प्राप्त बिक्री दावों को रद्द कर दिया और 53.88 लाख रूपए की मांग की। इस आदेश को कोयम्बटूर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में चुनौती दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.12.2014 को इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगी दी और बिक्री कर विभाग को उनके प्रत्युत्तर दायर करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया जिन्होंने लेखा परीक्षा की तारीख तक उसे दायर नहीं किया है।</li> </ul>
(viii)	<p>क्या कंपनी किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार से लिए गए ऋणों अथवा उधारी के पुनर्भुगतान अथवा ऋण-पत्र धारक के बकायों के भुगतान में चूक की है? यदि हां, तो भुगतान नहीं की गई अवधि और राशि की सूचना दी जाए (भुगतान नहीं किए जाने के मामले में बैंक, वित्तीय संस्था, और सरकारी ऋणदाता-वार ब्यौरा दिया जाए)।</p>	<p>लागू नहीं</p>
(ix)	<p>क्या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के जरिए राशि जुटाई गई है और जुटाई गई इस राशि के लिए सावधि ऋण के लिए आवेदन किया गया था? यदि नहीं, तो विलंब अथवा चूक दोनों और उसके बाद परिशोधन, यदि कोई है, जैसा भी लागू हो, का ब्यौरा दें।</p>	<p>लागू नहीं</p>
(x)	<p>क्या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी अथवा कंपनी के नाम पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी धोखाधड़ी वर्ष के दौरान ध्यान में आई है अथवा को सूचना दी गई है? यदि हां, तो इसके स्वरूप तथा इसमें शामिल राशि को इंगित किया जाए।</p>	<p>जैसा कि सूचित किया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।</p>



	(b)Where dues or income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute).	<p>According to the records of the Corporation, no undisputed amounts payable in respect of Sales Tax, Professional Tax is pending. However, the Statutory auditors of the under noted Regional Offices of the Corporation have indicated the pendency of the statutory dues like Sales Tax.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Regional Office Varanasi</u></b> Sales Tax- An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs.95.21 Lakhs the assessing authority Sales Tax office Lucknow for the financial year 2010-11.</li> <li>• <b><u>Regional Office Coimbatore</u></b> For the Financial Year 2011-12 &amp; 2012-13 the Sales Tax department arbitrarily rejected some of the exempted sales claimed by the R.O Coimbatore and raised a demand of rupees 53.88 Lakhs. This order has been challenged by the R.O Coimbatore in the Hon'ble Madras High Court. The High Court granted the stay on any further proceeding in the matter on 11-12-2014 and gave 8 weeks' time to Sales Tax Department to file their counter, which they have not filed till the date of audit.</li> </ul>
(viii)	Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders? If yes, the period and the amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government lender wise details to be provided).	Not Applicable.
(ix)	Whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported.	Not Applicable.
(x)	Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; if yes, the nature and the amount involved is to be indicated.	As reported no fraud has been noticed during the year 2019-20.

(xi)	क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक का कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार भुगतान अथवा प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो इसमें शामिल राशि और इस राशि को संरक्षित करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें।	प्रबंध निदेशक को डीपीई द्वारा अनुमोदित आईडीए स्कैलों के अनुसार भुगतान किया गया है। इसके अलावा, निगम को एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट दी गई है।
(xii)	क्या निधि कंपनी देयता को पूरा करने के 1:20 अनुपात में जमा निवल स्वामित्व वाली निधि का अनुपालन करती है और क्या देयता को पूरा करने के निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत भारमुक्त जमा शर्त का अनुपालन करती है?	लागू नहीं
(xiii)	क्या संबंधित पक्षों को सभी लेन-देन, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में किए गए हैं और उनका ब्यौरा लागू लेखांकन मानदंडों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में दिया गया है?	निगम द्वारा किसी संबंधित पक्ष लेन-देन की सूचना नहीं दी गई है।
(xiv)	क्या कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋण-पत्रों का अधिमन्य आवंटन या निजी नियोजन किया है और यदि हां, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और जुटाई गई राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह राशि जुटाई गई थी? यदि नहीं, तो शामिल राशि और गैर-अनुपालन का स्वरूप का ब्यौरा दें।	लागू नहीं
(xv)	क्या कंपनी द्वारा निदेशकों या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार गैर-नगदी लेन-देन किया है और यदि हां, तो क्या इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है?	दी गई सूचना के अनुसार निगम द्वारा निदेशकों के साथ किसी प्रकार की गैर-नगदी लेन-देन नहीं किया गया है।
(xvi)	क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण की अपेक्षा है और यदि हां, तो क्या पंजीकरण प्राप्त किया गया है?	लागू नहीं

कृते मानव एंड एसोसिएट्स  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

एफआर संख्या: 007351N

हस्ता./-

एन.के. गुप्ता

भागीदार: (एम सं. 085713)

यूडीआईएन: 21085713AAAACK3991

दिनांक: 1 अप्रैल, 2021

स्थान: नई दिल्ली

(xi)	Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same.	Remuneration to Managing Director has been paid as per IDA Scales approved by DPE. Further, the Corporation being a Government Company is exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013.
(xii)	Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether ten percent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability.	Not Applicable.
(xiii)	Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards.	There is no related party's transaction as reported by the Corporation.
(xiv)	Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of non-compliance.	Not Applicable.
(xv)	Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with.	As reported, there is no non-cash transaction entered by the Corporation with the Directors.
(xvi)	Whether the company is required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained.	Not applicable.

**For MANV & Associates  
(Chartered Accountants)**

**F.R.No: 007351N**

**Sd/-**

**N.K.GUPTA**

**Partner: (M No.085713)**

**UDIN: 21085713AAAACK3991**

**Dated: 1<sup>st</sup> April, 2021**

**Place: New Delhi**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'ख'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट समदिनांकित के "अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं" के पैराग्राफ "II" में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी निर्देशों में वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है:-

1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रियाओं के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए?	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में यह व्यवस्था है और निगम सभी लेखांकन लेन-देन प्रक्रिया ईआरपी के माध्यम से करता है। ईआरपी व्यवस्था में वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रक (सीओ), बिक्री तथा वाणिज्यिक बिलिंग आदि जैसी सभी प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गई हैं।
2.	क्या ऋण के भुगतान न किए जाने की कंपनी की क्षमता के कारण लेनदार द्वारा मौजूदा ऋण अथवा माफी/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याज का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी की भुगतान न किए जाने की क्षमता के कारण लेनदार द्वारा ऋण / माफी/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3.	क्या केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि /प्राप्तियों का उपयुक्त लेखा-जोखा रखा गया है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है? विषय परिवर्तन मामलों की सूची उपलब्ध कराएं।	केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि /प्राप्तियों का उपयुक्त लेखा-जोखा रखा गया है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है।

कृते मानव एंड एसोसिएट्स  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

एफआर संख्या: 007351N

हस्ता./-

एन.के. गुप्ता

भागीदार: (एम सं. 085713)

यूडीआईएन: 21085713AAAACK3991

दिनांक: 1 अप्रैल, 2021

स्थान: नई दिल्ली

## ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph “II” under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of **National Handloom Development Corporation Limited** of even date)

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of National handloom development Corporation Limited (Standalone) for the year 2019-20

1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.	As per the information and explanations given to us, the company has a system in place and the corporation process all the accounting transactions through ERP. ERP system has been implemented for all the processes like Financial accounting (FI), Controlling (CO), Sale and Commercial billing etc.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, there has been no restructuring/ waiver/ write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan
3.	Whether fund received / receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for /utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Fund received / receivable for specific schemes from Central /State agencies were properly accounted for /utilized as per the provided terms and conditions

**For MANV & Associates**  
**(Chartered Accountants)**

**F.R.No: 007351N**

**Sd/-**

**N.K.GUPTA**

**Partner: (M No.085713)**

**UDIN: 21085713AAAACK3991**

**Dated: 1<sup>st</sup> April, 2021**

**Place: New Delhi**

### स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'ग'

**(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के लिए उल्लिखित अनुलग्नक)**

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है

#### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उनके बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसका कार्यान्वयन तथा उसको बनाए रखना शामिल हैं जिनका उनके व्यवसाय को विधिपूर्वक तथा दक्षता से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन हो रहा हो जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटि को रोकना एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं प्रभाविकता, और अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

#### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी सापेक्ष राय देना है। हमने लेखा परीक्षा का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों ('मार्गदर्शन टिप्पण') संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण तथा आईसीएआई द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में किया गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत है तथा दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकार्य है और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पण में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उनके अनुसार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना एवं कार्य करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए एवं बनाए रखे गए हैं और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी वस्तुगत पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभाविकता के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वित्तीय रिपोर्टिंग के समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समक्ष प्राप्त करना, वस्तुगत कमजोरी वाले जोखिम का आंकलन, और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, प्रचालन प्रभाविकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आंकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारी द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हैं।





## ANNEXURE “C” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

### ANNEXURE REFERRED TO IN OUR REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2020

#### Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Handloom Development Corporation Limited** (“the Company”) as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

#### Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

#### Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting of the Company

## वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने की प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियों एवं प्रक्रियाओं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड रख-रखाव से संबंधित जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियों के अंतरण तथा स्थितियों का तर्कसंगत, सटीक एवं निष्पक्ष ब्यौरा प्रकट किया गया हो; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना जिसमें लेन-देन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में रिकॉर्ड किया गया हो तथा जिसमें कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्च केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्रमाणीकरण के अनुसार किए जा रहे हो; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का प्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा स्थिति का निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव हो सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अवहेलना शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अध्वधीन हैं जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

## सापेक्ष राय

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित वस्तुगत कमीयां पाई गईं और उनका उल्लेख हमारी लेखा परीक्षा में किया गया है।

1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखितानुसार 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावों (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है।

पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत है, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी (क्रमशः टिप्पण सं. 17(I) एवं 19(II) का संदर्भ)। इसमें से 190.82 करोड़ रूपए की बिक्री और खरीद को बुकिंग के केवल दो सप्ताह के भीतर ईआरपी लेखांकन प्रणाली में उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस मामले को जांच एजेंसी सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया। उक्त मामला फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है।

यह 194.22 करोड़ कुल देनदारों (संदर्भ टिप्पण संख्या 13 (ii) तथा लेनदारों (संदर्भ टिप्पण संख्या 5 (ii) में दिखाया जा रहा है। चूंकि हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया गया है और यह मामला अभी फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है।

2. टिप्पण सं. '4ए' में उल्लेख किए गए अनुसार 19,95,56,669 रूपए निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु चालू वर्ष (2019-20) के दौरान विपणन काम्प्लेक्स के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।

## Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness have been identified as at March 31, 2020 as also pointed out in our Audit Report.

1. NHDC having "9" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile, Office of the Development Commissioner (Handlooms) provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.

During the previous year i.e 2018-19, under Audit the Company's Lucknow branch Office, which is under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the year amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of previous year i.e. 2018-19 (Refer Note No. 17(1) & 19 (II) respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system within just two weeks of booking. the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission. The above matter pending at Forensic Audit and Vigilance Enquiry.

This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)). As this matter had already been pointed out by us in the FY 2018-19 in our report of 2018-19, and the matter is still pending at Forensic Audit and Vigilance Enquiry.

2. As stated in Note No. "4A" Rs. 19,95,56,669 is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but from the financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). But, during the Current Year (2019-20), Interest Income earned on FDR of Marketing Complex, has been taken by crediting to Corpus Funds (Market Complexes).

3. टिप्पण सं. '4(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 9,50,00,000/-रूपए को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु चालू वर्ष के दौरान मेगा क्लस्टर के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को मेगा क्लस्टर में निवेश के लिए जमा किया गया है।
4. एनएचडीसी विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की सहायता से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पैन इंडिया आधार पर विभिन्न प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए निगम पूरे वर्ष विभिन्न निविदाएं निकालता है। लागू प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगम को अपनी निविदा प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है।
5. हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 354.55 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल 784.55 करोड़ रूपए का राजस्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है। इन शाखाओं का वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी प्रविष्टियां हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारे निष्कर्षों में अभी तक इन शाखाओं के संबंध में राशि तथा प्रकटीकरण पूरी तरह उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

कृते मानव एंड एसोसिएट्स  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

एफआर संख्या: 007351N

हस्ता./-

एन.के. गुप्ता

भागीदार: (एम सं. 085713)

यूडीआईएन: 21085713AAAACK3991

दिनांक: 1 अप्रैल, 2021

स्थान: नई दिल्ली



3. As Per Note No. “4(B)”, As on 31-03-2020 Rs, 9.50,00,000/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). From financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). But, during the Current Year, Interest Income earned on FDR of Mega Cluster has been crediting to Investment in Mega Cluster.
4. NHDC with the support of DC (Handlooms) organizes varies exhibitions/events on pan India basis for the promotion of Handlooms sectors. For conducting these exhibitions/events, the Corporation cause varies tenders through out the year. For effective implementation of the applicable provisions, the Corporation need to strengthen it's tendering process.
5. We did not audit the financial statements/information of 9 Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 354.55 Crores as at 31st March, 2020 and total revenues of Rs. 784.55 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

**For MANV & Associates  
(Chartered Accountants)**

**F.R.No: 007351N**

**Sd/-**

**N.K.GUPTA**

**Partner: (M No.085713)**

**UDIN: 21085713AAAACK3991**

**Dated: 1<sup>st</sup> April, 2021**

**Place: New Delhi**

### अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा संचालित की है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हमें दिए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसरण में की गई है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने 30 दिसंबर, 2020 को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मानव एंड एसोसिएट्स

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

एफआर संख्या: 007351N

हस्ता./-

एन. के. गुप्ता

भागीदार: (एम सं. 085713)

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2020

स्थान: नई दिल्ली





## COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March, 2020 in accordance with the directions/sub-directions issued to us by the C & AG of India under Section 143 (5) n of the Companies Act, 2013 and we certify that we have complied with all the directions/Sub-directions issued to us by submitting our report dated 30<sup>th</sup> December, 2020.

**For MANV & Associates**  
**(Chartered Accountants)**  
**F.R.No: 007351N**

**Sd/-**  
**N.K.GUPTA**  
**Partner:(M No.085713)**

**Dated: 30<sup>th</sup> December, 2020**  
**Place: New Delhi**

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नामित सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह वक्तव्य उनके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2021 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है जो उनकी दिनांक 30 दिसंबर, 2020 की पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट के स्थान पर है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (अ) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकारी कागजातों के आंकलन के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यता सांविधिक लेखा परीक्षक की जांच-पड़ताल तथा कंपनी कार्मिक और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी छह लेखा परीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम, 2013 की धारा (143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख: 03.05.2021

हस्ता./-  
(विधु सूद)  
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा  
(उद्योग एवं कंपनी मामले)  
नई दिल्ली



## **COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2020**

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 01 April 2021 which supersedes their earlier Audit Report dated 30 December 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the statutory auditor's report, to give effect to six of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India**

**Sd/-  
(Vidhu Sood)  
Principal Director of Audit  
(Industry & Corporate Affair)  
New Delhi**

**Place: New Delhi  
Date: 03.05.2021**

## महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

### लेखाकरण परिपाटी:

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी उपयुक्त लेखाकरण मानदंडों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किया जाता है।

### स्थायी परिसंपत्तियां:

अर्जित/क्रय की गयी परिसंपत्तियों को क्रय मूल्य के आधार पर अभिलेखों में रखा जाता है।

### परिसंपत्तियों का मूल्यहास एवं क्षति:

स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यहास सरल रेखा पद्धति से प्रभारित किया जाता है। मूल्यहास की गणना यथानुपात आधार पर उस वर्ष के दौरान किए गए सभी परिवर्धन के आधार पर की जाती है जिसमें परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए रखा जाता है/शुल्क लगाया जाता है। हालांकि, वर्ष के दौरान अर्जित उस संपत्ति पर 100% मूल्यहास का शुल्क लगाया जाता है जहां व्यक्तिगत लागत 5000 रु. से अधिक नहीं होती है। मूल्यहास की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची - II में वर्णित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार की जाती है।

परिसंपत्तियों की वहन राशि की जाँच हास की प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है ताकि हास हानि, यदि कोई हो, के लिए अपेक्षित निर्धारण और प्रावधान किया जा सके अथवा पिछली अवधि में मान्यता प्राप्त हास, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

### अनुदान:

सहायता अनुदानों के सापेक्ष व्यय विशिष्ट उद्देश्यों पर किए गए हैं और उन्हें सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदान के अनुसार समायोजित किया गया है। सरकार से प्राप्त / प्राप्य होने वाले अनुदान को इसके अंतिम संग्रह की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

### माल (स्टॉक) की सूची:

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर अथवा निवल वसूली मूल्य पर जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण अथवा अन्य किसी कारण मार्गस्थल भाव को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

### बिक्री:

सूत, रंग एवं रसायनों और वस्त्र की बिक्री ग्राहकों को बेचे गये माल के मूल्य को प्रदर्शित करती है।

### व्यय का वर्गीकरण:

सभी आय और व्यय का लेखांकन प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी आवश्यक हुआ, कार्यात्मक आधार पर व्यय का आवंटन किया गया है।

### अतिदेय बिलों पर ब्याज :

उनके साथ तय किए गए क्रेडिट की शर्तों के अनुसार विलंबित भुगतानों के लिए अतिदेय बिलों पर ब्याज प्रदान किया गया है। वसूले नहीं गए अतिदेय ब्याज को आस्थगित उपार्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

### वित्त शुल्क

रंग एवं रसायनों के ग्राहकों पर लगाए गए वित्त शुल्क को उसके अंतिम संग्रह में अनिश्चितता को देखते हुए प्राप्ति के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### ACCOUNTING CONVENTIONS:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the provisions of Companies Act' 2013 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

### FIXED ASSETS:

The assets acquired/ purchased are recorded on the basis of purchase value.

### DEPRECIATION AND IMPAIRMENT OF ASSETS:

Depreciation on fixed Assets is charged on straight-line method. Depreciation is calculated on pro-rata basis on all additions made during the year in which the assets are put to use/ brought on charges. However, 100% depreciation is charged on the assets acquired during the year where individual cost does not exceed Rs.5000. Depreciation is calculated as per useful life of assets mentioned in Schedule – II of the Companies Act 2013.

The carrying amount of assets is tested at each Balance Sheet date for impairment so as to determine and provide for the impairment loss, if any, required or the reversal, if any, required for impairment loss recognized in previous periods.

### GRANTS:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

### INVENTORIES:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

### SALES:

The sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics represent the value of goods dispatched to customers.

### CLASSIFICATION OF EXPENDITURE:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

### INTEREST ON OVERDUE BILLS:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

### FINANCE CHARGE

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

## सेवानिवृत्ति के लाभों का लेखाकरण:

- (क) एस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
- (ख) एस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
- (ग) निगम के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत को अनुमति दी जाती है और उस वर्ष के खातों में प्रविष्टि की जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है।

## पूर्व अवधि संबंधी समायोजन:

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन, मूलभूत त्रुटियों और चूक के सुधार किये जाने से पूर्व अवधि के लिए लागू/प्रयोज्य समायोजन हैं।

## विकास क्रियाकलापों के लिए आरक्षित धन:

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय सहित अपने स्वयं के स्रोतों से विकासात्मक क्रियाकलापों पर निगम द्वारा किए गए व्यय को सीधे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए रिजर्व किया जाता है, जिन्हें निगम के लाभ से बाहर विनियोजित किया गया है।

## खण्ड लेखाकरण नीति:

खण्ड लेखाकरण नीतियां निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन किया गया है :

- (क) खण्ड राजस्व में अंतर-खण्ड राजस्व सहित सेगमेंट के लिए निर्धारित /आबंटित किए जाने योग्य बिक्री और अन्य आय सम्मिलित है। जो आय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, को "अन्य गैर-आवंटन योग्य आय" में सम्मिलित किया जाता है।
- (ख) जो व्यय सीधे खण्ड के लिए निर्धारित /आबंटित किए जाने योग्य है, उन्हें खण्ड परिणाम के निर्धारण के लिए लिए विचार किया जाता है। जो व्यय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, "अन्य गैर-आवंटन योग्य व्यय" में सम्मिलित किया जाता है।
- (ग) खण्ड परिसंपत्तियों और देनदारियों में संबंधित खण्डों के साथ सीधे निर्धारित किए जाने योग्य शामिल हैं। गैर-आवंटन योग्य निगमित संपत्ति और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रदर्शित करती हैं जो पूर्णतया निगम से संबंधित हैं और किसी भी खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं हैं।

## आय पर कर:

चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और मूल्यांकनों/अपीलों के संभावित परिणामों के आधार पर परिकलित कर-योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर का निर्धारण उस वर्ष के लिए लेखाकरण आय और कर-योग्य आय के बीच समय अंतर के आधार पर किया जाता है और लागू की गई कर दरों और कानूनों अथवा बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार लागू दरों का उपयोग करके मात्रा निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता प्रदान की जाती है और इस सीमा तक उसे आगे बढ़ाया जाता है कि उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसे आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

ह/-  
अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-  
जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-  
मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-  
संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

ह/-  
साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



## ACCOUNTING OF RETIREMENT BENEFITS:

- (a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

## PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

## RESERVE FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

## SEGMENT ACCOUNTING POLICY:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

- a) Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".
- b) Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".
- c) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

## TAXES ON INCOME:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Deferred tax is recognized on timing difference between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Sd/-  
Anjali Yadav  
Co. Secretary

Sd/-  
Jitendra V Purohit  
DGM (F&A)/CFO

Sd/-  
Mudita Mishra  
Managing Director  
DIN - 07302824

Sd/-  
Sanjay Rastogi  
Chairman  
DIN - 07722405

Place : New Delhi  
Date : 19<sup>th</sup> November, 2020

Sd/- As per our Report of even date  
Partner : N.K Gupta For MANV & Associates  
M.No. 085713 Chartered Accountants  
F.R.No. 007351N  
Date : 30<sup>th</sup> December, 2020

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  
दिनांक 31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्रा (बैलेंस शीट)

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
1	2	3	4
<b>I. इक्विटी एवं देयता</b>			
<b>1 अंशधारक की निधियाँ</b>			
क) शेयर पूंजी	1	190,000,000	190,000,000
ख) रिजर्वस एवं अतिरेक	2	694,177,024	807,257,605
<b>2 गैर मौजूदा देयताएं</b>			
क) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3	(22,058,794)	(22,662,983)
ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं (समग्र)	4	734,822,688	785,115,586
<b>3 मौजूदा देयताएं</b>			
क) व्यापार देनदारियां	5	3,345,067,770	3,378,122,367
ख) अन्य मौजूदा देयताएं	6	630,367,906	667,534,234
ग) अल्पावधि प्रावधान	7	189,897,877	202,122,861
<b>कुल</b>		<b>5,762,274,471</b>	<b>6,007,489,670</b>
<b>II. परिसंपत्तियां</b>			
<b>गैर मौजूदा परिसंपत्तियां</b>			
<b>1(क) नियत परिसंपत्तियां</b>			
i) मूर्त परिसंपत्तियां	8	122,188,403	127,601,865
ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	9	10,424,384	11,840,225
ख) स्दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	344,278	367,778
ग) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)	11	734,822,688	785,115,586
<b>2 मौजूदा परिसंपत्तियां</b>			
क) इन्वेंट्रीज	12	14,987,384	22,764,433
ख) प्राप्य व्यापार	13	2,939,053,708	2,984,174,184
ग) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	1,394,550,702	871,908,728
घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	506,494,986	1,158,967,092
ड) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	16	39,407,937	44,749,779
<b>कुल</b>		<b>5,762,274,471</b>	<b>6,007,489,670</b>

नोट: 1 से 28 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलना-पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह/-  
अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-  
जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-  
मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-  
संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
ह/-  
साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

**NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**  
**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2020**

PARTICULARS	NOTE NO.	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
1	2	3	4
<b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1 Shareholder's funds</b>			
a) Share Capital	1	190,000,000	190,000,000
b) Reserves and Surplus	2	694,177,024	807,257,605
<b>2 Non- current liabilities</b>			
a) Deferred tax liabilities (Net)	3	(22,058,794)	(22,662,983)
b) Other long term liabilities (Corpus)	4	734,822,688	785,115,586
<b>3 Current liabilities</b>			
a) Trade payables	5	3,345,067,770	3,378,122,367
b) Other current liabilities	6	630,367,906	667,534,234
c) Short term provisions	7	189,897,877	202,122,861
<b>TOTAL</b>		<b>5,762,274,471</b>	<b>6,007,489,670</b>
<b>II. ASSETS</b>			
<b>Non current assets</b>			
1(a) Fixed Assets			
i) Tangible assets	8	122,188,403	127,601,865
ii) Intangible assets	9	10,424,384	11,840,225
b) Long term loans and advance	10	344,278	367,778
c) Other non current assets(Corpus)	11	734,822,688	785,115,586
<b>2 Current assets</b>			
a) Inventories	12	14,987,384	22,764,433
b) Trade receivable	13	2,939,053,708	2,984,174,184
c) Cash and cash equivalents	14	1,394,550,702	871,908,728
d) Short term loans and advances	15	506,494,986	1,158,967,092
e) Other current assets	16	39,407,937	44,749,779
<b>TOTAL</b>		<b>5,762,274,471</b>	<b>6,007,489,670</b>

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-  
Anjali Yadav  
Co. Secretary

Sd/-  
Jitendra V Purohit  
DGM (F&A)/CFO

Sd/-  
Mudita Mishra  
Managing Director  
DIN - 07302824

Sd/-  
Sanjay Rastogi  
Chairman  
DIN - 07722405

Place : New Delhi  
Date : 19<sup>th</sup> November, 2020

Sd/-  
Partner : N.K Gupta  
M.No. 085713  
F.R.No. 007351N  
Date : 30<sup>th</sup> December, 2020

As per our Report of even date  
For MANV & Associates  
Chartered Accountants

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण

विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए (01.04.2019 से 31.03.2020) (रु. में)	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए (01.04.2018 से 31.03.2019) (रु. में)
I. (क) कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	17	7,486,673,790	9,509,358,715
(ख) यॉर्न आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान	17	358,888,516	328,061,998
II. अन्य आय	18	95,742,566	103,132,059
<b>III. कुल राजस्व (I+II)</b>		<b>7,941,304,872</b>	<b>9,940,552,771</b>
IV. व्यय:			
व्यापार में स्टॉक की खरीद	19	7,458,245,800	9,496,641,807
परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	20	268,683,211	240,358,992
व्यापार में इवेंट्रीज/स्टॉक में परिवर्तन	21	7,777,049	(12,766,195)
कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	22	211,734,934	234,967,171
वित्तीय लागत	23	-	-
अवमूल्यन और प्रतिशोधन व्यय	8 & 9	9,315,177	9,605,996
अन्य व्यय	24	78,183,442	110,786,181
<b>कुल व्यय</b>		<b>8,033,939,614</b>	<b>10,079,593,953</b>
V. आपवादिक, असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		(92,634,741)	(139,041,181)
VI. आपवादिक मदें	25	17,183,551	9,062,276
VII. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	26	1,500,000	10,574,012
VIII. असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V-VI-VII)		(111,318,292)	(158,677,469)
IX. असाधारण मदें			
X. कर पूर्व लाभ (VIII- IX)		(111,318,292)	(158,677,469)
XI. कर व्यय:			
1 मौजूदा कर (प्रावधान)	27	-	499,536
2 आस्थगित कर	3	604,189	3,005,859
XII. सतत कार्यसंचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X - XI)		(111,922,481)	(162,182,864)
XIII. बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि		-	-
XIV. बंद कार्य संचालनों का कर संबंधी व्यय		-	-
XV. बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि (कर के भुगतान के पश्चात्) (XIII-XIV)		-	-
XVI. उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		(111,922,481)	(162,182,864)
XVII.(i)प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1) मूलभूत		(58.91)	(85.36)
(2) डायल्यूटेड		(58.91)	(85.36)
(ii)प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों के पश्चात्)			
(1) मूलभूत		(58.91)	(85.36)
(2) डायल्यूटेड		(58.91)	(85.36)

नोट: 1 से 28 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलना-पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह/-  
अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-  
जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-  
मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-  
संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

ह/-  
साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

**NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**  
**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2020**

PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2019-20 (01-04-2019 to 31-03-2020)(Rs.)	For FY 2018-19 (01-04-2018 to 31-03-2019) (Rs.)
I. (a)Revenue from operations	17	7,486,673,790	9,509,358,715
(b)Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme	17	358,888,516	328,061,998
II. Other Income	18	95,742,566	103,132,059
<b>III. Total Revenue (I+II)</b>		<b>7,941,304,872</b>	<b>9,940,552,771</b>
IV. Expenses:			
Purchases of stock in trade	19	7,458,245,800	9,496,641,807
Reimbursement of Transportation/depot charges	20	268,683,211	240,358,992
Changes in inventories/stock in trade	21	7,777,049	(12,766,195)
Employee benefits expenses	22	211,734,934	234,967,171
Finance costs	23	-	-
Depreciation and amortization expenses	8 & 9	9,315,177	9,605,996
Other expenses	24	78,183,442	110,786,181
<b>Total Expenses</b>		<b>8,033,939,614</b>	<b>10,079,593,953</b>
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		(92,634,741)	(139,041,181)
VI. Exceptional items	25	17,183,551	9,062,276
VII. Corporate social responsibility (CSR) Expenses	26	1,500,000	10,574,012
VIII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		(111,318,292)	(158,677,469)
IX. Extraordinary Items			
X. Profit before tax (VIII- IX)		(111,318,292)	(158,677,469)
XI. Tax expense:			
1 Current Tax (Provision)	27	-	499,536
2 Deferred Tax	3	604,189	3,005,859
XII. Profit (Loss) for the period from continuing operations (X - XI)		(111,922,481)	(162,182,864)
XIII. Profit/loss from discontinuing operations		-	-
XIV. Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XV. Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI. Profit(Loss) for the period (XII + XV)		(111,922,481)	(162,182,864)
XVII.(i)Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1) Basic		(58.91)	(85.36)
(2) Diluted		(58.91)	(85.36)
(ii)Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1) Basic		(58.91)	(85.36)
(2) Diluted		(58.91)	(85.36)

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-  
Anjali Yadav  
Co. Secretary

Sd/-  
Jitendra V Purohit  
DGM (F&A)/CFO

Sd/-  
Mudita Mishra  
Managing Director  
DIN - 07302824

Sd/-  
Sanjay Rastogi  
Chairman  
DIN - 07722405

Place : New Delhi  
Date : 19<sup>th</sup> November, 2020

Sd/- As per our Report of even date  
Partner : N.K Gupta For MANV & Associates  
M.No. 085713 Chartered Accountants  
F.R.No. 007351N  
Date : 30<sup>th</sup> December, 2020

## लेखाओं पर टिप्पणियाँ

## 1 शेयर पूंजी

विवरण			31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
<b>प्राधिकृत</b>				
प्रत्येक 100/- रु. मूल्य वाले 20,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर)		200,000,000		200,000,000
<b>निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त</b>				
प्रत्येक 100/-रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद राशि का भुगतान किया गया था तथा जो डीसीएच कार्यालय के जरिए भारत सरकार द्वारा धारित थे (पूर्व वर्ष प्रत्येक 100 रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर)	189,846,500		189,846,500	
प्रत्येक 100/-रु. मूल्य वाले 1,535 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद भुगतान नहीं किया गया था (कंपनी के निगमीकरण व्यय के बदले भारत के राष्ट्रपति को डीसीएच कार्यालय के जरिए आबंटित किए गए शेयर) पूर्व वर्ष प्रत्येक 100/-रु. मूल्य वाले 1535 इक्विटी शेयर	153,500	190,000,000	153,500	190,000,000
<b>कुल</b>		<b>190,000,000</b>		<b>190,000,000</b>

## 2 रिजर्वस तथा अतिरेक

विवरण		31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
<b>(A) रिजर्वस</b>			
(I) तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व		2,461,630	2,461,630
वृद्धि: लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि		-	-
कमी: वर्ष के दौरान उपयोग		-	-
<b>कुल(i)</b>		<b>2,461,630</b>	<b>2,461,630</b>
(II) तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व		8,765,626	9,557,902
वृद्धि: लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि		-	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज		480,474	574,296
कमी: वर्ष के दौरान उपयोग		1,638,574	1,366,572
<b>कुल(ii)</b>		<b>7,607,526</b>	<b>8,765,626</b>
<b>कुल(i+ii)</b>		<b>10,069,156</b>	<b>11,227,256</b>
<b>(ख) अधिशेष</b>			
तुलन-पत्र के अनुसार		796,030,349	958,213,212
वृद्धि: लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि मौजूदा वर्ष में लाभ		(111,922,481)	(162,182,863)
कमी:			
प्रस्तावित लाभांश		-	-
नैगमिक कर लाभांश		-	-
विकास गतिविधि के लिए आरक्षित राशि को हस्तांतरित किया गया		-	-
सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंतरित की गई चिकित्सा निधि		-	-
<b>अधिशेष (ख)</b>		<b>684,107,868</b>	<b>796,030,349</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>694,177,024</b>	<b>807,257,605</b>
प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश		0.00	0.00



## NOTES ON ACCOUNTS

### 1 SHARE CAPITAL

Particulars			As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
<b>Authorized</b>				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		200,000,000		200,000,000
<b>Issued, Subscribed &amp; Paid-up</b>				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: '18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	189,846,500		189,846,500	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	153,500	190,000,000	153,500	190,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>190,000,000</b>		<b>190,000,000</b>

### 2 RESERVES & SURPLUS

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(A) RESERVES:</b>		
(I) Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	2,461,630	2,461,630
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
Less: Utilization during the year	-	-
<b>Total(i)</b>	<b>2,461,630</b>	<b>2,461,630</b>
(II) Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	8,765,626	9,557,902
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
Add : Interest Earned during the year	480,474	574,296
Less: Utilization during the year	1,638,574	1,366,572
<b>Total(ii)</b>	<b>7,607,526</b>	<b>8,765,626</b>
<b>Total(i+ii)</b>	<b>10,069,156</b>	<b>11,227,256</b>
<b>(B) SURPLUS</b>		
As per last Balance sheet	796,030,349	958,213,212
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss - Current year profit	(111,922,481)	(162,182,863)
Less:-	-	-
Proposed Dividend	-	-
Corporate Tax on Dividend	-	-
Amount transferred to reserve for developmental activity	-	-
Transferred to post retirement medical corpus	-	-
<b>SURPLUS(B)</b>	<b>684,107,868</b>	<b>796,030,349</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>694,177,024</b>	<b>807,257,605</b>
Proposed Dividend per Equity Share	0.00	0.00

### 3 आस्थगित कर देयता (निवल)

मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के घटक तथा आस्थगित कर देयता	31.03.2020 को	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (रु. में)	आस्थगित कर देयता (रु. में)
<b>आस्थगित कर देयताएं</b>		
लेखा बहियों के अनुसार अवमूल्यन योग्य परिसंपत्तियों का बही मूल्य		
तथा कर अवमूल्यन के अनुसार लिखित मूल्य का अंतर		6,308,573
समय का अंतर करने के लिए अन्य आस्थगित कर देयता		5,595,624
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियां</b>		
शंकायुक्त ऋण एवं अग्रिम आदि के लिए प्रावधान	18,531,281	
छुट्टी संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	14,970,728	
मृतक कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	174,897	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति (वीआरएस)	286,085	
<b>कुल</b>	<b>33,962,991</b>	<b>11,904,197</b>
मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		<b>(22,058,794)</b>
पूर्व समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		<b>(22,662,983)</b>
मौजूदा समीक्षावधि के दौरान लाभ संबंधी विवरण के लिए प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति)		<b>604,189</b>

### 4 गैर मौजूदा देयता-अन्य दीर्घावधि देयताएं

1) अन्य दीर्घावधि देयता ;समग्रद्व

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
<b>(A) समग्र निधि (विपणन कॉम्प्लेक्स)</b>		
क) भारत सरकार से प्राप्त	82,580,850	82,580,850
ख) कमी: समायोजित/सरकार को वापस की गई धनराशि	48,158,949	48,158,949
ग) सरकार को प्रतिदेय मूल राशि (क-ख)	34,421,901	34,421,901
घ) समायोजनों सहित एजेंसियों से प्राप्त धनराशि	98,284,621	97,469,297
ड) कमी: एजेंसियों की ओर से कॉम्प्लेक्सों के लिए स्थान का अभिग्रहण/ अन्य व्यय आदि के लिए अदा की गई राशि	96,759,550	96,759,550
च) एजेंसियों को प्रतिदेय राशि (घ-ड)	1,525,071	709,747
छ) शेष (क-ख+घ-ड) या (ग+च)	35,946,972	35,131,648
ज) अर्जित लाभ में से विविध व्यय को घटाने के बाद राशि	163,609,697	152,314,036
<b>कुल (छ+ज)</b>	<b>199,556,669</b>	<b>187,445,684</b>

प्रारंभ में समग्र निधि (विपणन कॉम्प्लेक्स) लेखा में जमा करने के पश्चात् उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में विपणन परिसर की एकमुश्त खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा 82,580,850/-रु. (पिछले वर्ष 82,580,850/-रु.) की निधि जारी की गई थी जिसका विपणन परिसरों की खरीद के लिए उपयोग कर लिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 98,284,621/-रु. (पिछले वर्ष 97,469,297/-रु.) की राशि समग्र निधि में जमा कर दी गई है और विपणन परिसरों की स्थापना पर किए गए 96,759,550/-रु. (पिछले वर्ष 96,759,550/-रु.) का व्यय समग्र निधि से प्रभारित किया गया है। विविध व्यय, यदि कोई हो को समायोजित करने के पश्चात् 31 मार्च 2017 तक अव्ययित समग्र निधि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 1,63,609,697/-रु. (पिछले वर्ष रु. 152,314,036) को जमा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 रु.11,295,661 (पिछले वर्ष रु. शून्य) के दौरान, समग्र निधियों (विपणन परिसर) पर ब्याज क्रेडिट किया गया है।

### 3 DEFERRED TAX LIABILITY ( Net)

The break up of net deferred tax liability as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2020	
	Deferred Tax Assets (Rs.)	Deferred Tax Liability (Rs.)
<b>Deferred Tax Liabilities</b>		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		6,308,573
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		5,595,624
<b>Deferred Tax Assets</b>		
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	18,531,281	
Provision for leave salary	14,970,728	
Provision for Deceased Employee Scheme	174,897	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	286,085	
<b>Total</b>	<b>33,962,991</b>	<b>11,904,197</b>
<b>Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period</b>		<b>(22,058,794)</b>
<b>Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period</b>		<b>(22,662,983)</b>
<b>Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period</b>		<b>604,189</b>

### 4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(A) Corpus Fund (Marketing Complex)</b>		
a) Receipt from Govt. of India upto date	82,580,850	82,580,850
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	48,158,949	48,158,949
c) Principle amount refundable to Govt. <b>(A-B)</b>	34,421,901	34,421,901
d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	98,284,621	97,469,297
e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	96,759,550	96,759,550
f) Refundable to agencies <b>(D-E)</b>	1,525,071	709,747
g) Balance (A-B+D-E) or (C+F)	35,946,972	35,131,648
h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date	163,609,697	152,314,036
<b>Total (G+H)</b>	<b>199,556,669</b>	<b>187,445,684</b>

- i) Funds released by the Govt. of India amounting to Rs. 82,580,850 (Previous Year Rs. 82,580,850) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies, after initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs 98,284,621 (Previous Year Rs 97,469,297) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs 96,759,550 (Previous Year Rs 96,759,550) has been charged to the corpus fund. The interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs. 163,609,697/- (Rs. 152,314,036 till 31st March 2017) has been credited thereto. During the year 2019-20 Rs. 11,295,661 (Previous Year- Nil) Interest has not been credited to the Funds (Marketing Complex)

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
(ख) समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)		
क) भारत सरकार से प्राप्ति	95,000,000	95,000,000
ख) अर्जित लाभ की राशि	5,700,000	
ग) घटाएं: आय में स्थानांतरित करें		
<b>कुल</b>	<b>100,700,000</b>	<b>95,000,000</b>

सरकार के निर्देशानुसार वाराणसी, शिव सागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद और प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई 95,000,000 रुपए (विगत वर्ष 95,000,000 रुपए) का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान 5,700,000 रुपए (विगत वर्ष – शून्य) ब्याज निधियों (मेगा क्लस्टर) के लिए जमा किया गया है।

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
(ग) समग्र निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)	2,686,916,952	2,686,916,952
क) भारत सरकार से प्राप्ति		
ख) समायोजन / सूसी प्रस्तुत की गई राशि और अन्य खर्चों अघतित	44,155,546 7,236,208	44,155,546 7,236,208
ग) अनुदान खाते में हस्तांतरित राशि	2,649,997,614	2,649,997,614
<b>घ) कुल (क-ख-ग)</b>	<b>2,603,108,724</b>	<b>2,603,108,724</b>
ड) कमी: परियाजे ना प्रबंधन एजेंसी को अंतरित की गई राशि (एनबीसीसी)	37,194,772	37,194,772
च) कमी: आकिर्टवेट शुल्क अघतित (सिक्का)	<b>9,694,118</b>	<b>9,694,118</b>
<b>शेष (घ-ड-च)</b>		

समायोजन की धनराशि जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य खर्चें रु. 36,919,338 (पिछला वर्ष रु. 36,919,338), रु. 7236208 धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकारी अनुदान के खातों में समायोजन कर दिया गया।

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
(घ) हैंडलूम पार्क, पोचमपल्ली	290,000,000	280,000,000
क) केंद्रीय / राज्य से प्राप्ति	-	10,000,000
ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति	41,993,400	32,697,705
ग) अर्जित ब्याज की राशि / कम व्यय	36,447,939	27,254,320
घ) भुगतान की ब्याज की राशि	295,545,461	295,443,385
<b>ड) कुल (क+ख+ग-घ)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
च) कम: पोचमपल्ली में स्थानांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)	10,000,000	10,000,000
छ) कम: कच्चे माल के लिए स्थानांतरित राशि	<b>275,545,461</b>	<b>275,443,385</b>
<b>शेष (ड-च-छ)</b>		

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(B) Corpus Fund (Mega Cluster)</b>		
a) Receipt from Govt. of India upto date	95,000,000	95,000,000
b) Amount of interest earned	5,700,000	
c) Less : transfer to income		
<b>Total</b>	<b>100,700,000</b>	<b>95,000,000</b>

I) As per Government directives, the funds released by Govt. of India amounting to Rs. 95,000,000 (Previous Year Rs. 95,000,000) for supply of yarn to the Handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. During the year 2019-20 Rs 5,700,000 (Previous Year- Nil) Interest has been credited to the Funds (Mega Cluster)

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(C) Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)</b>		
a) Receipt from Govt. of India upto date	2,686,916,952	2,686,916,952
b) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses up to date	44,155,546	44,155,546
c) Amount transferred to Grant account	7,236,208	7,236,208
d) Total (A-B-C)	2,649,997,614	2,649,997,614
e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBC C)	2,603,108,724	2,603,108,724
f) Less : Architect fee upto date(SIKKA)	37,194,772	37,194,772
<b>Balance (D-E-F)</b>	<b>9,694,118</b>	<b>9,694,118</b>

Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses Rs 36,919,338( Previous Year Rs.36,919,338) Utilisation certificate for Rs.7236208 has been transferred to grant account,

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(D) Pochampally for Handloom Park</b>		
a)Receipt from Central / State	290,000,000	280,000,000
b)Receipt during the year	-	10,000,000
c)Amount of Interest earned/ Less Expenses	41,993,400	32,697,705
d)Amount of Interest paid	36,447,939	27,254,320
e)Total (A+B+C-D)	295,545,461	295,443,385
f) Less: Amount transferred to Pochampally ( Advance paid)	10,000,000	10,000,000
g)Less: Amount transferred for Raw Material	10,000,000	10,000,000
<b>Balance (E-F-G)</b>	<b>275,545,461</b>	<b>275,443,385</b>

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
(ड) कार्पस फण्ड (हथकरघा सम्बर्धन सहायता योजना)		
क) भारत सरकार से प्राप्ति राशि	120,672,180	120,672,180
ख) नोडल एजेंसियों से प्राप्त राशि	180,133,915	176,498,357
ग) अर्जित ब्याज की राशि	34,191,377	26,058,490
घ) कमी: राशि का भुगतान	233,305,032	105,696,628
<b>योग</b>	<b>101,692,440</b>	<b>217,532,399</b>

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
च) समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना		
क) आज की तारीख तक भारत सरकार से प्राप्ति	71,451,000	-
ख) घटाएं : जारी की गई राशि	23,817,000	-
<b>कुल</b>	<b>47,634,000</b>	<b>-</b>
<b>कुल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)</b>	<b>734,822,688</b>	<b>785,115,586</b>

## 5 मौजूदा देयताएं – व्यापार देनदारियां

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
विविध लेनदार	3,160,352,747	3,202,107,278
(एसएसआई इकाइयों को देय रु. 70332799/- शामिल है – पिछले वर्ष रुपये 1041453512/-)		
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	184,715,023	176,015,089
<b>कुल</b>	<b>3,345,067,770</b>	<b>3,378,122,367</b>

संतुलन पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत में इस वर्ष के अंत तक की शेष राशि सभी लेनदारों तथा अन्य पक्षकारों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त की गई है—

विवरण	कुल		पुष्टि 31.03.2020 को प्राप्त हुई		31.03.2020 शेष राशि की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रू.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रू.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रू.) %
बकाया राशि	405	3,160,352,747	119	300,006,512	29.38%	9.49%
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	2,348	184,715,023	225	16,625,086	9.58%	9.00%

- ऊपर दर्शाए गए संपुष्ट शेष में वे शामिल नहीं हैं जिनमें कोई विवाद है, बल्कि केवल व शेष शामिल हैं जिनमें अंतरधसमाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। जो शेष पुष्टि के लिए लंबित हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और यथा समय पर समाधान किया जाएगा और यदि इन मामलों में कोई समायोजन अपेक्षित होगा, तो समाधान होते ही किया जाएगा।
- विगत वर्ष – 1,950,792,520 रुपए की खरीद राशि एवं लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित 66,061,791 रुपए के दोहरा भुगतान विवादाधीन है, और यह मामला फॉरेंसिक लेखापरीक्षा और सतर्कता जांच के अधीन है।
- 316,03,53,747 रुपए (विगत वर्ष 3,202,107,278 रुपए) के लिए देय व्यापार की लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित 2,540,591,159 रुपए (विगत वर्ष – 2,540,591,159 रुपए) की राशि शामिल है। जो विवादाधीन है और यह मामला फॉरेंसिक लेखापरीक्षा और सतर्कता जांच के अधीन है।



Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(E) Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojna)</b>		
a) Receipt from Govt. of India upto date	120,672,180	120,672,180
b) Receipt from Nodal agencies upto date	180,133,915	176,498,357
c) Amount of interest earned	34,191,377	26,058,490
d) Less : Amount Released	233,305,032	105,696,628
<b>Total</b>	<b>101,692,440</b>	<b>217,532,399</b>

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(F) Samarth - Scheme Capacity Building in Textiles Sector</b>		
a) Receipt from Govt. of India upto date	71,451,000	-
d) Less : Amount Released	23,817,000	-
<b>Total</b>	<b>47,634,000</b>	<b>-</b>
<b>GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>734,822,688</b>	<b>785,115,586</b>

## 5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
Sundry creditors	3,160,352,747	3,202,107,278
(Includes Rs.146993487/- payable to S.S.I units – Previous year Rs.70332799/- )		
Advance from customers/ others	184,715,023	176,015,089
<b>Total</b>	<b>3,345,067,770</b>	<b>3,378,122,367</b>

The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2020		% of Confirmation of balances as on 31-03-2020	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (%)
Creditors	405	3,160,352,747	119	300,006,512	29.38%	9.49%
Advance from customers/ others.	2,348	184,715,023	225	16,625,086	9.58%	9.00%

- The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.
- In Previous year - purchase amount of Rs. 1,950,792,520 & double payments Rs.66,061,791 relating to Lucknow Branch office is under dispute and the matter is under Forensic Audit and Vigilance enquiry.
- Trade Payable for Rs. 3,160,353,747 (Previous year Rs 3,202,107,278) includes a sum of Rs 2,540,591,159 ( Previous year - Rs. 2,540,591,159). relating to Lucknow branch office is under dispute and matter is under Forensic Audit and Vigilance enquiry.

- iv) विविध ऋणदाताओं में लघु उद्योगों को चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक 30 दिन से अधिक समय से बकाया देय 34,685,460 रुपए की राशि (विगत वर्ष 24,989,226 रुपए) शामिल है। ऋणदाताओं को देय राशि उपरोक्त के अनुसार लघु उद्योग की होने के कारण उनके साथ किए गए व्यवस्था पर आधारित हैं जिसके अंतर्गत संबंधित लेन दारों से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् उनको भुगतान किया जाएगा।
- v) उपर्युक्त के अलावा ऐसा कोई सूक्ष्म और लघु उद्योग नहीं है जिनका कंपनी पर बकाया है जो चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 45 दिन से अधिक समय से बकाया है। इसकी सूचना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है और इसका निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जहां तक ऐसे पक्षों की पहचान निगम से उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई थी। लेखापरीक्षकों द्वारा इसका भरोसा किया गया है।

## 6 मौजूदा देयताएं – अन्य मौजूदा देयताएं

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
प्रतिभूति जमा	613,722	10,613,722
सरकारी अनुदान/सहभागिता राशि	39,676,021	15,448,471
अवधारण राशि	341,649	341,649
अग्रिम राशि	1,579,763	1,454,763
समग्र निधि (क्लस्टर विकास)	165,609,697	165,609,697
परिवहन एवं डिपो को देय	359,927,495	419,342,211
अन्य देयताएं	62,619,559	54,723,722
<b>कुल</b>	<b>630,367,906</b>	<b>667,534,234</b>

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	समायोजन / वित्तीय वर्ष के लिए (एचएसएसवाई)	शेष राशि	वित्तीय वर्ष में प्राप्य / समायोजन और प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	31.03.2019 को शेष राशि
सरकार अनुदान/ भागीदारी धन राशि	15,448,471	(24,227,550)	39,676,021		39,676,021

## 7 मौजूदा देयताएं – अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	कुल	भुगतान/ उपयोग प्रभारित	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	31.03.2019 को शेष राशि
आय कर	-	-	-	-	-	-
प्रोद्भूत छुट्टी	72,422,861	4,642,851	77,065,712	18,027,807	1,159,972	60,197,877
उपदान दायित्व के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अनुग्रह राशि का प्रावधान	15,000,000	-	15,000,000	-	-	15,000,000
प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर नैगमिक टैक्स	-	-	-	-	-	-
वेतन बकाए के लिए प्रावधान (संशोधित भुगतान)	114,700,000	-	114,700,000	-	-	114,700,000
	<b>202,122,861</b>	<b>4,642,851</b>	<b>206,765,712</b>	<b>18,027,807</b>	<b>1,159,972</b>	<b>189,897,877</b>

- iv) Sundry Creditors includes a sum of Rs. 34,685,460 (Previous year Rs. 24,989,226) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.
- v) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

## 6 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
Security deposits	613,722	10,613,722
Govt. grants/participation money	39,676,021	15,448,471
Retention money	341,649	341,649
Earnest money	1,579,763	1,454,763
Corpus fund (Cluster development)	165,609,697	165,609,697
Transportation and depot payable	359,927,495	419,342,211
Other Liabilities	62,619,559	54,723,722
<b>Total</b>	<b>630,367,906</b>	<b>667,534,234</b>

Particulars	Balance as on 31-03-2019	Adjustment / Transfer during the year (HSSY)	Balance	Addition/ Adjunct & UC submitted during the year	Balance as on 31-03-2020
Govt. grants/participation money	15,448,471	(24,227,550)	39,676,021		39,676,021

## 7 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

Particulars	Balance as on 31-03-2019	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back during the year	Balance as on 31-03-2020
Income tax	-	-	-	-	-	-
Accrued leave	72,422,861	4,642,851	77,065,712	18,027,807	1,159,972	60,197,877
Provision for gratuity liability	-	-	-	-	-	-
Provision for ex-gratia	15,000,000	-	15,000,000	-	-	15,000,000
Proposed dividend	-	-	-	-	-	-
Corporate tax on proposed dividend	-	-	-	-	-	-
Provision for Salary Arrears ( pay revision)	114,700,000	-	114,700,000	-	-	114,700,000
	<b>202,122,861</b>	<b>4,642,851</b>	<b>206,765,712</b>	<b>18,027,807</b>	<b>1,159,972</b>	<b>189,897,877</b>

i) चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश शून्य रुपए (विगत वर्ष शून्य रुपए) है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

अवकाश नकदीकरण और ग्रेज्युटी के दायित्व को संशोधित एएस-15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके बीमांकीक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

अवकाश नकदीकरण और परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ और अंतिम शेषों का समाधान नीचे दिए अनुसार है:-

विवरण	छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए
बीमांकीक मूल्यांकन के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	72,422,861	79,034,262
वृद्धि: अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।	1,159,972	-
वृद्धि: मौजूदा वर्ष के खर्चों के लिए प्रभारित करके उपलब्ध कराई गई राशि	4,642,851	7,391,880
कमी: अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान वापस लिखा	-	-
कमी: लाभ का भुगतान/एन भुनाई गई छुट्टी	18,027,807	14,003,281
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	60,197,877	72,422,861

विवरण	ग्रेज्युटी	
	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए
एलआईसी के साथ साल की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	139,396,172	144,847,445
वृद्धि: योजना एसेट पर वास्तविक वापसी	9,011,948	8,869,426
वृद्धि: वर्ष के दौरान एलआईसी को दिया गया अंशदान	137,436	135,859
कमी: एलआईसी द्वारा अदा किया गया लाभ/निपटारा गया दावा	31,162,782	11,473,207
एलआईसी के साथ साल के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	117,382,774	142,379,523
वृद्धि : ग्रेज्युटी फंड के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	-	-
कमी: भावी समायोजन के लिए एलआईसी के साथ वाले ग्रेज्युटी न्यास में जमा की गई राशि	-	-
कमी: वापस लिखी गई ग्रेज्युटी निधि के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	-	2,983,351
प्रावधान के पश्चात् वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	117,382,774	139,396,172

I) The Proposed dividend per equity share for the current reporting period is Rs Nil (Previous year Rs. Nil).

**ii) Defined Benefit Plan**

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	For FY 2019-20	For FY 2018-19
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	72,422,861	79,034,262
Add: Amount received from new joiner etc. from other PSU	1,159,972	-
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	4,642,851	7,391,880
Less: Excess Provision written back during the year	-	-
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	18,027,807	14,003,281
<b>Defined benefit obligation at year end</b>	<b>60,197,877</b>	<b>72,422,861</b>

Particulars	GRATUITY	
	For FY 2019-20	For FY 2018-19
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	139,396,172	144,847,445
Add : Actual Return on Plan Asset	9,011,948	8,869,426
Add : Contribution paid to LIC during the year.	137,436	135,859
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	31,162,782	11,473,207
Defined benefit obligation at year end with LIC.	117,382,774	142,379,523
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	-	-
Less : Deposit with Gratuity Trust lying with LIC for future adjustment.	-	-
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back	-	2,983,351
<b>Defined benefit obligation at year end after provision.</b>	<b>117382774</b>	<b>139,396,172</b>

### 8 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां – वास्तविक परिसंपत्तियां

विवरण	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण एवं अधिष्ठापन	कार्यालय उपकरण	कार्यशाला उपकरण	वाहन	मौजूदा समीक्षाधन अवधि के लिए			पूर्व समीक्षाधीन अवधि के लिए
									कंप्यूटर एवं डाटा प्रक्रमण ईकाई	कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	कुल	
<b>सकल खंड</b>												
वर्ष की शुरुआत में	75,909,184	35,600,692	13,291,408	2,73,467	22,820,025	9,094,492	420,840	4,375,458	10,450,091	2,452,719	174,688,376	172,515,048
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-	-	7,000	-	41,183	21,519	-	-	337,288	-	406,990	3,047,615
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-	(38,661)	-	(216,913)	(14,990)	-	-	(172,398)	-	(442,962)	(874,287)
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	75,909,184	35,600,692	13,259,747	2,73,467	22,644,295	9,101,021	4,20,840	4,375,458	10,614,981	2,452,719	174,652,404	174,688,376
<b>मूल्य हास</b>												
वर्ष की शुरुआत में	-	10,865,373	69,384,19	263,416	9,333,586	6,218,503	254,908	2,063,621	8,779,958	2,368,721	47,086,505	41,823,642
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725,527)
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-	(18,019)	-	(56,969)	(11,952)	-	-	(99,014)	-	(185,953)	-
वर्ष के दौरान मूल्य हास (रिजर्व एवं अधिशेष में किया गया अंतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मूल्य हास (लाम एवं हानि खाते में किया गया अंतरण)	-	511,454	881,179	-	1,849,029	659,165	34,263	441,986	856,111	330,260	5,563,446	5,988,396
वर्ष के अंत में	-	11,376,827	7,801,579	2,63,416	11,125,647	6,865,716	289,171	2,505,607	9,537,055	2,698,981	52,463,998	47,086,511
<b>निवल खंड</b>												
वर्ष की शुरुआत में	7,59,09,184	24,73,53,319	6,35,29,989	10,051	13,48,64,39	2,87,59,989	165,932	2,31,18,337	1,67,01,333	83,998	127,601,865	130,691,406
वर्ष के अंत में	7,59,09,184	24,22,38,65	5,45,81,168	10,051	11,51,85,648	2,23,53,305	131,669	1,86,98,851	1,07,79,26	(246,262)	122,188,403	127,601,865

- (i) निम्न परिसंपत्तियों में मुंबई स्थित कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित अंतरण औपचारिकता तथा उपयुक्त प्राधिकरणों में किया गया पंजीकरण शामिल है जिसकी लागत रु. 2,163,293 (पिछले वर्ष रु.2,163,293) है तथा जिसके संबंध में कच्चा ले लिया गया है परंतु उक्त परिसंपत्तियों को प्रौढभूत होने पर पंजीकरण प्रभार अधिरोपित किया जाएगा ।
- (ii) किसी परिसंपत्ति का बिगड़ी हुई अवस्था में जब समझा जाता है जब उस परिसंपत्ति की वहनीय लागत उसके प्राप्य मूल्य से अधिक होती है। उस परिसंपत्ति की खराब संबंधी हानि को उस वर्ष के लाम और हानि संबंधी विवरण में दर्शाया गया है जिस वर्ष में उस परिसंपत्ति की खराब होने की पहचान की जाती है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में दर्शाई जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य वह है जो उनमें दर्शाया गया है तथा किसी प्रकार की खराबी, यदि कोई हो तो उसे, तुलन पत्र के नोट 25 में दर्शाया गया है ।



## 8 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs.)

Items	For the current reporting period										For the previous reporting period	
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office and Electrical Equipments	Electrical Equipment and Installation	Office Equipment	Laboratory Equipments	Vehicle	Computer & Data processing Units	Servers & Networks	TOTAL	
<b>GROSS BLOCK</b>												
As at beginning of the year	75,909,184	35,600,692	13,291,408	2,73,467	22,820,025	9,094,492	420,840	4,375,458	10,450,091	2,452,719	174,688,376	172,515,048
Addition during the year	-	-	7,000	-	41,183	21,519	-	-	337,288	-	406,990	3,047,615
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	(38,661)	-	(216,913)	(14,990)	-	-	(172,398)	-	(442,962)	(874,287)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As at end of the year	75,909,184	35,600,692	13,259,747	2,73,467	22,644,295	9,101,021	4,20,840	4,375,458	10,614,981	2,452,719	174,652,404	174,688,376
<b>DEPRECIATION</b>												
As at beginning of the year	-	10,865,373	69,384,19	263,416	9,333,586	6,218,503	254,908	2,063,621	8,779,958	2,368,721	47,086,505	41,823,642
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(725,527)
Transfer to during the year	-	-	(18,019)	-	(56,969)	(11,952)	-	-	(99014)	-	(185,953)	-
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	511,454	881,179	-	1,849,029	659,165	34,263	441,986	856,111	330,260	5,563,446	5,988,396
As at end of the year	-	11,376,827	7,801,579	2,63,416	11,125,647	6,865,716	289,171	2,505,607	9,537,055	2,698,981	52,463,998	47,086,511
<b>NET BLOCK</b>												
As at beginning of the year	7,59,09,184	24,73,53,19	6,35,2,989	10,051	13,48,6,439	2,87,5,989	1,65,932	2,31,1,837	1,67,0,133	83,998	1,27,60,1,865	1,30,69,1,406
As at end of the year	7,59,09,184	24,22,38,65	5,45,8,168	10,051	11,51,8,648	2,23,5,305	1,31,669	1,86,9,851	1,07,7,926	(2,46,2,62)	1,22,18,8,403	1,27,60,1,865

(i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.2,163,293 (Previous year Rs.2,163,293 ) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred

(ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 25 to the balance sheet.

## 9 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां – अवास्तविक परिसंपत्तियां

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए
<b>सकल खंड</b>	(रु.)	(रु.)
वर्ष की शुरुआत में	22,371,867	21,427,867
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	2,335,889	944,000
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में	24,707,756	22,371,867
<b>मूल्य ह्रास</b>		
वर्ष के शुरुआत में	10,531,642	6,914,042
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	3,751,730	3,617,600
वर्ष के अंत में	14,283,372	10,531,642
<b>निवल खंड</b>		
वर्ष के शुरुआत में	11,840,225	14,513,825
वर्ष के अंत में	10,424,384	11,840,225

## 10 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां – लंबी अवधि के और अग्रिम

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
प्रतिभूति जमा	344,278	367,778
<b>कुल</b>	<b>344,278</b>	<b>367,778</b>

## 11 अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
(क) समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर)	199,556,669	187,445,684
(ख) समग्र निधि का नियोजन (मेगा क्लस्टर)	100,700,000	95,000,000
(ग) समग्र निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)	9,694,118	9,694,118
(घ) समग्र निधि का नियोजन (पोचमपल्ली)	275,545,461	275,443,385
(ङ) समग्र निधि का नियोजन (हथकरघा सम्वर्धन सहायता योजना)	101,692,440	217,532,399
(च) समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना	47,634,000	-
<b>कुल</b>	<b>734,822,688</b>	<b>785,115,586</b>

उपरोक्त समग्र निधि, सावंधि जमा खाते और चालू खाते में है ।

## 9 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

Particulars	Computer Software	
	For the current reporting period (Rs.)	For the previous reporting period (Rs.)
<b>GROSS BLOCK</b>		
As at beginning of the year	22,371,867	21,427,867
Addition during the year	2,335,889	944,000
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	24,707,756	22,371,867
<b>DEPRICIATION</b>		
As at beginning of the year	10,531,642	6,914,042
Adjustment during the year	-	-
Transfer to during the year	-	-
Transfer to general reserve	-	-
Depreciation during the year	3,751,730	3,617,600
As at end of the year	14,283,372	10,531,642
<b>NET BLOCK</b>		
As at beginning of the year	11,840,225	14,513,825
As at end of the year	10,424,384	11,840,225

## 10 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
Security Deposit	344,278	367,778
<b>TOTAL</b>	<b>344,278</b>	<b>367,778</b>

## 11 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
(A) Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	199,556,669	187,445,684
(B) Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	100,700,000	95,000,000
(C) Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)	9,694,118	9,694,118
(D) Deployment of Corpus Fund Pochampally	275,545,461	275,443,385
(E) Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojna	101,692,440	217,532,399
(F) Samarth - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector	47,634,000	-
<b>TOTAL</b>	<b>734,822,688</b>	<b>785,115,586</b>

The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current account.

## 12 मौजूदा परिसंपत्तियां – इन्वेंट्रीज

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
(प्रबंधन द्वारा यथा उल्लिखित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)		
– स्टॉक-इन-ट्रेड – लागत पर (अप्रचलन के कारण कम लिखा गया) अथवा निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो .	14,987,384	22,764,433
परिवहन माल	-	-
<b>कुल</b>	<b>14,987,384</b>	<b>22,764,433</b>

## 13 मौजूदा परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
विविध देनदार (असुरक्षित)		
<b>i) छह महीनों में</b>		
– अच्छे माने गए	2,702,095,661	2,568,032,756
– संदिग्ध माने गए	56,200,739	45,677,106
	2,758,296,400	2,613,709,862
– घटाए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(-) 56,200,739	(-) 45,677,106
	2,702,095,661	2,568,032,756
<b>ii) अन्य (अच्छे माने गए)</b>	236,958,048	416,141,428
<b>कुल</b>	<b>2,939,053,708</b>	<b>2,984,174,184</b>

- i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा समीक्षावधि के अंत में बची शेष राशि को सभी व्यापार प्राप्यों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, तथापि पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-

विवरण	कुल		पुष्टि 31.03.2019 को प्राप्त हुई		31.03.2019 को शेष राशि की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.) %
व्यापार स्वीकार योग्य	1,181	2,995,254,447	168	230,534,009	14.23%	7.70%

उपर्युक्त पुष्टि की गई शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जहां किसी प्रकार का विवाद हो परंतु उसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां दोनों पक्षकारों को अंतर/समाधान के कारण की गई प्रवृत्तियां स्वीकार्य हो। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की यथा समय समीक्षा की जाएगी तथा उसका समाधान किया जाएगा एवं समायोजन, यदि कोई हो, जो इन मामलों में अपेक्षित हो, का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा।

- ii) 2,995,254,447 रुपए (विगत वर्ष 3,029,851,290 रुपए) के लिए प्राप्त प्राप्य व्यापार में 2,456,475,295 रुपए (विगत वर्ष – 2,456,475,295 रुपए) की राशि शामिल है। लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा की गई बिक्री से संबंधित मामला विवादाधीन है और मामले की सांविधिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच चल रही है।
- iii) 299,52,54,447 रुपए (विगत वर्ष 3,029,851,290 रुपए) के लिए प्राप्त प्राप्य व्यापार में 18,269,089 रुपए (विगत वर्ष – 17,809,268 रुपए) की राशि शामिल है। जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में मुकदमें दायर किए गए हैं। इसके अलावा प्राप्य व्यापार में फैंब्रिक की आपूर्ति की तुलना में प्राप्य 18,923,921 रुपए (विगत वर्ष 18,923,921 रुपए) शामिल है जिसमें निगम का ऋणदाताओं के प्रति बकाया है जिसका भुगतान वसूली के पश्चात् किया जाएगा। फैंब्रिक के ऋण 21,011,280 रुपए (विगत वर्ष 21,011,280 रुपए) है। प्राप्य व्यापार में 117,062,376 रुपए (विगत वर्ष 106,071,247 रुपए) शामिल है जिसमें निगम द्वारा कॉर्पस निधि (कलस्टर विकास) के रूप में प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध आपूर्तियों की गई हैं।

**12 CURRENT ASSETS - INVENTORIES**

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
(As taken, valued and certified by the management)		
Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less	14,987,384	22,764,433
Goods in Transit	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14,987,384</b>	<b>22,764,433</b>

**13 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE**

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
SUNDRY DEBTORS (unsecured)		
<b>i) Over six months</b>		
- Considered good	2,702,095,661	2,568,032,756
- Considered doubtful	56,200,739	45,677,106
	2,758,296,400	2,613,709,862
- Less: Provision for doubtful debts"	(-) 56,200,739	(-) 45,677,106
	2,702,095,661	2,568,032,756
<b>ii) Others (Considered good)</b>	236,958,048	416,141,428
<b>TOTAL</b>	<b>2,939,053,708</b>	<b>2,984,174,184</b>

- i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2020		% of Confirmation of balances as on 31-03-2020	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1,181	2,995,254,447	168	230,534,009	14.23%	7.70%

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

- ii) Trade Receivables for Rs. 2,995,254,447 (Previous year Rs 3,029,851,290) include a sum of Rs 2,456,475,295 ( Previous year - Rs.2,456,475,295).relating to sale made by Lucknow branch office is under dispute and the matter is under Forensic Audit and Vigilance enquiry.
- iii) Trade Receivables for Rs. 2,995,254,447 (Previous year Rs 3,029,851,290) include a sum of Rs 18,269,089 (Previous year: Rs17,809,268) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.18,923,921 (Previous year Rs. 18,923,921) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs 21,011,280 (Previous year Rs. 21,011,280). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 117,062,376 (Previous year Rs.106,071,247) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iv) संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2019 को शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	उगाही/ समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	31.03.2020 को शेष राशि
संदिग्ध व्यापार प्राप्त के लिए प्रावधान	45,677,106	17,183,551	62,860,657	6,659,918	-	56,200,739

#### 14 मौजूदा परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
अनुसूचित बैंक के पास जमा	189,152,215	101,606,744
गैर अनुसूचित बैंक के पास जमा	34,838	239,669
शब्दी जमा (फिक्स डिपोजिट)	1,205,363,649	770,062,314
<b>कुल</b>	<b>1,394,550,702</b>	<b>871,908,728</b>

#### 15 मौजूदा परिसंपत्तियां – अल्पावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
<b>(i) सुरक्षित ऋण (अच्छे समझे गए)</b>		
– वाहनों के हाइपोथेकेशन के खिलाफ कर्मचारियों को वाहन ऋण	295,968	10,79,820
<b>(ii) अग्रिम (असुरक्षित)</b>		
(नकद अथवा उसके रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली की जाने वाली राशि)		
– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि		
– अच्छे समझे गए	243,533,568	24,33,89,619
– संदिग्ध समझे गए	1,182,419	11,82,419
	244,715,987	24,45,72,039
– कमी: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(-) 1,182,419	(-) 11,82,419
	243,533,568	24,33,89,619
<b>(iii) कर्मचारियों को अग्रिम</b>		
– अच्छे समझे गए	656,527	6,62,963
– संदिग्ध समझे गए	126,274	1,26,274
	782,801	7,89,237
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 126,274	(-) 1,26,274
	656,527	6,62,963
<b>(iv) अन्य को अग्रिम</b>		
– अच्छे समझे गए	22,443,988	1,41,85,034
– संदिग्ध समझे गए	135,151	1,35,151
	22,579,138	1,43,20,185
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 135,151	(-) 1,35,151
	22,443,988	1,41,85,034



iv) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

Particulars	Balance as on 31-03-2019	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2020
Provision for doubtful Trade Receivables.	45,677,106	17,183,551	62,860,657	6,659,918	-	56,200,739

#### 14 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
Balances with scheduled bank	189,152,215	101,606,744
Balances with non- scheduled bank	34,838	239,669
FDR	1,205,363,649	770,062,314
<b>TOTAL</b>	<b>1,394,550,702</b>	<b>871,908,728</b>

#### 15 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2020 (Rs.)	As on 31-03-2019 (Rs.)
<b>(i) Secured loans (considered good)</b>		
- Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles	295,968	10,79,820
<b>(ii) Advances (Unsecured)</b>		
(Recoverable in cash or kind or for value to be received)		
- Advance to suppliers		
- Considered good	243,533,568	24,33,89,619
- Considered doubtful	1,182,419	11,82,419
	244,715,987	24,45,72,039
- Less: Provision for doubtful advances	(-) 1,182,419	(-) 11,82,419
	243,533,568	24,33,89,619
<b>(iii) Advance to staff</b>		
- Considered good	656,527	6,62,963
- Considered doubtful	126,274	1,26,274
	782,801	7,89,237
- Less: Provision for doubtful advances	(-) 126,274	(-) 1,26,274
	656,527	6,62,963
<b>(iv) Advance to others</b>		
- Considered good	22,443,988	1,41,85,034
- Considered doubtful	135,151	1,35,151
	22,579,138	1,43,20,185
- Less: Provision for doubtful advances	(-) 135,151	(-) 1,35,151
	22,443,988	1,41,85,034

(v) पूर्वदत्त व्यय		302,157		208,920
(vi) स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		1,250,250		998,388
(vii) जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए)				
– सरकारी विभागों के साथ		-		-
– परिसरों/दूसरों के किराए के लिए				
– अच्छे समझे गए	9,706,405		4,243,109	
– संदिग्ध समझे गए	86,130		86,130	
	9,792,535		4,329,239	
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 86,130	9,706,405	(-) 86,130	4,243,109
(viii) प्राप्तियां				
– भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले		222,095,970		887,748,483
– प्राप्य दावें		4,024,761		4,272,577
– विपणन परिसर/अन्य के लिए बकाया राशि				
– अच्छे समझे गए	2,185,392		2,178,179	
– संदिग्ध समझे गए	1,664,418		1,664,418	
	3,849,810		3,842,597	
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 1,664,418	2,185,392	(-) 1,664,418	2,178,179
(ix) उपयोगकर्ता एजेंसियों से बकाया ब्याज				
आस्थागित अर्जित ब्याज				
– अच्छे समझे गए		-		-
– संदिग्ध समझे गए	17,034,693		1,79,34,693	
	17,934,693		1,79,34,693	
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 17,934,693	-	(-) 1,79,34,693	-
कुल		506,494,986		1,15,89,67,092

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विवरण	31.03.2019 को शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि की गई राशि	कुल	उगाही/ समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	31.03.2020 को शेष राशि
क) आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	11,82,419	-	11,82,419	-	-	11,82,419
ख) कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	1,26,274	-	1,26,274	-	-	1,26,274
ग) अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	1,35,151	-	1,35,151	-	-	1,35,151
घ) संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	86,130	-	86,130	-	-	86,130
ड) संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	1,664,418	-	1,664,418	-	-	1,664,418
च) संदिग्ध आस्थागित उपाजित ब्याज के लिए प्रावधान	1,79,34,693	-	1,79,34,693	-	-	1,79,34,693
कुल	2,11,29,085	-	2,11,29,085	-	-	2,11,29,085

<b>(v) Prepaid expenses</b>		302,157		208,920
<b>(vi) Advance income tax including tax deducted at source</b>		125,250		998,388
<b>(vii) DEPOSITS (Unsecured but considered good)</b>				
- With Government departments		-		-
- For rent of complexes/ others				
- Considered good	9,706,405		4,243,109	
- Considered doubtful	86,130		86,130	
	9,792,535		4,329,239	
- Less: Provision for doubtful deposits	(-) 86,130	9,706,405	(-) 86,130	4,243,109
<b>(viii) RECEIVABLES</b>				
- From the Government of India against grant-in-aid		222,095,970		887,748,483
- Claims receivable		4,024,761		4,272,577
- Outstanding against marketing Complex/ others				
- Considered good	2,185,392		2,178,179	
- Considered doubtful	1,664,418		1,664,418	
	3,849,810		3,842,597	
- Less: Provision for doubtful receivables	(-) 1,664,418	2,185,392	(-) 1,664,418	2,178,179
<b>(ix) Interest outstanding from user Agencies</b>				
Deferred accrued Interest				
- Considered good		-		-
- Considered doubtful	17,034,693		1,79,34,693	
	17,934,693		1,79,34,693	
- Less: Provision for doubtful interest	(-) 17,934,693	-	(-) 1,79,34,693	-
<b>TOTAL</b>		<b>506,494,986</b>		<b>1,15,89,67,092</b>

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

Particulars	Balance as on 31-03-2019	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2020
a) Provision for doubtful advances to suppliers.	11,82,419	-	11,82,419	-	-	11,82,419
b) Provision for doubtful advances to staff.	1,26,274	-	1,26,274	-	-	1,26,274
c) Provision for doubtful advances to others.	1,35,151	-	1,35,151	-	-	1,35,151
d) Provision for doubtful deposits.	86,130	-	86,130	-	-	86,130
e) Provision for doubtful receivables.	16,64,418	-	16,64,418	-	-	16,64,418
f) Provision for doubtful deferred accrued interest.	1,79,34,693	-	1,79,34,693	-	-	1,79,34,693
<b>Total</b>	<b>2,11,29,085</b>	<b>-</b>	<b>2,11,29,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,11,29,085</b>

- ii) आपूर्तिकर्ताओं को 244,715,987 रुपए (विगत वर्ष 244,572,039 रुपए) व्यय के अग्रिम में वर्ष 2017-18 के लिए यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत 10 यार्न सब्सिडी घटक का 215,793,613 रुपए की राशि शामिल है जिसे आज की तारीख तक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि मार्च, 2018 की 215.79 करोड़ रुपए की बिक्री भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय द्वारा विवाद के अधीन है।
- iii) अन्व्यों को अग्रिम में निगम के ग्रेच्युटी निधि के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा के पास पड़े अग्रिम के लिए 2,988,468 रुपए (विगत वर्ष 2,983,351 रुपए) शामिल है।
- iv) आपूर्तिकर्ताओं को 244,715,987 रुपए (विगत वर्ष 244,572,039 रुपए) के अग्रिम में 726,947 रुपए (विगत वर्ष 726,947 रुपए) की राशि शामिल है। जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमें दायर किए गए हैं।
- v) सहायता अनुदान के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्ति में कार्यक्रमों के संबंध में 195,344,292 रुपए (विगत वर्ष 166,127,695 रुपए) की राशि शामिल है जिसके अंतर्गत दावे सरकार को प्रस्तुत किए जाने हैं।

विवरण	31.03.2019 को शेष राशि	वित्तीय वर्ष में प्राप्य और प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	समायोजन वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान भारत सरकार से रकम प्राप्त की	31.03.2020 को शेष राशि
सूत आपूर्ति योजना की सब्सिडी					
10: (डीबीटी) हैंक यार्न की सब्सिडी	316,813,003	365,666,601		666,258,641	16,220,963
सूत आपूर्ति योजना के दावे (एमजीपीएस)	404,807,785	358,888,516	-	753,165,586	10,530,715
अन्य अनुदान	166,127,695	246,940,882	39,676,021	178,048,264	195,344,292
<b>कुल</b>	<b>887,748,483</b>	<b>971,495,999</b>	<b>39,676,021</b>	<b>1,597,472,491</b>	<b>222,095,970</b>

- vi) प्राप्य दावे 4,042,661 रुपए (विगत वर्ष 4,042,661 रुपए) जिसे आय कर के प्राधिकारियों द्वारा लौटाया जाना है जिसके अंतर्गत पूर्व के वर्षों की मांग के आधार पर विरोध के अंतर्गत निगम द्वारा बढ़ी राशि जमा की गई है।
- vii) ऊपर दर्शाये अनुसार आस्थगित उपार्जित 1,7,934,694 रुपए (विगत वर्ष 1,7,934,694 रुपए) के संबंध में निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

## 16 मौजूदा परिसंपत्तियां – अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां

विवरण	31.03.2020 को (रु. में)	31.03.2019 को (रु. में)
क) अर्जित ब्याज लेकिन अप्राप्त	31,800,412	35,984,154
ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि		
– चिकित्सा निधि के बदले एफडीआर	7,607,526	8,765,626
– अनुसूचित बैंक में मौजूदा खाते में शेष राशि	-	8,765,626
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>39,407,937</b>	<b>44,749,779</b>

- ii) Advances to suppliers of Rs. 244,715,987. (Previous year Rs.244,572,039) include a sum of Rs 215,793,613 of 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018 has not been approved by Ministry till date, as sale for the month of March 2018 amounting to rs 215.79Cr. is under dispute by the Govt. of India Ministry Of Textile Office of Development Commssioner Handloom .
- iii) Advance to Others include an amount of Rs 2,988,468 (Previous Year Rs.2,983,351 ) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.
- iv) Advances to suppliers of Rs. 244,715,987. (Previous year Rs. 244,572,039) include a sum of Rs 726,947 (Previous year Rs 726,947) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.
- v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs 195,344,292 (Previous year Rs166,127,695) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government.

Particulars	Balance as on 31-03-2019	Addition during the Year UC Submitted	Adjustment during the year	Amount received during the year from Govt. of India	Balance as on 31-03-2020
YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEAME					
10% HANK YARN SUBSIDY	316,813,003	365,666,601		666,258,641	16,220,963
YSS CLAIMS (MGPS)	404,807,785	358,888,516	-	753,165,586	10,530,715
OTHER GRANTS	166,127,695	246,940,882	39,676,021	178,048,264	195,344,292
<b>TOTAL</b>	<b>887,748,483</b>	<b>971,495,999</b>	<b>39,676,021</b>	<b>1,597,472,491</b>	<b>222,095,970</b>

- vi) Claims receivables Rs 4,042,661 (Previous year Rs. 4,042,661), which is due to be refunded by the income tax authorities, wherein, the major amount has been deposited by the corporation under protest based on the demand for earlier years.
- vii) In respect of Deferred accrued interest for Rs.17,934,694 (Previous year Rs. 17,934,694) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

## 16 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	Balance as on 31-03-2020 (Rs.)	Balance as on 31-03-2019 (Rs.)
A) Interest accrued but not received	31,800,412	35,984,154
B) Post Retirement Medical Corpus		
- FDR against Medical Corpus	7,607,526	8,765,626
- Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	8,765,626
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>39,407,937</b>	<b>44,749,779</b>

## 17 परिचालकों से राजस्व

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
(a) प्राप्तियां घटा बिक्री		
सूत – सूत आपूर्ति स्कीम	7,006,101,946	8,971,449,768
कमी: हैंक यॉर्न पर 10% अनुवृत्ति	-	8,971,449,768
सामान्य स्कीम	59,224,862	83,579,543
डाई एवं केमिकल्स	421,346,982	454,251,764
फैब्रिक्स	-	77,640
<b>कुल (क)</b>	<b>7,486,673,790</b>	<b>9,509,358,715</b>
(b) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान	358,888,516	327,554,913
हैंक यार्न पर 10% अनुवृत्ति	-	-
सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत 10% यार्न अनुवृत्ति घटक के बदले सेवा प्रभार	-	507,085
<b>कुल (क)</b>	<b>358,888,516</b>	<b>328,061,998</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>7,845,562,306</b>	<b>9,837,420,713</b>

- i) लखनऊ शाखा कार्यालय ने शून्य वर्ष (विगत वर्ष 385.04 करोड़ रुपए) के दौरान कुल बिक्री बुक किया है जिसमें से शून्य वर्ष के दौरान (विगत वर्ष 190.82 करोड़ रुपए) बिक्री को निगम के ईआरपी में लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। शून्य वर्ष के दौरान शेष बिक्री की राशि (विगत वर्ष 194.22 करोड़ रुपए) लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय में विवाद के अधीन है क्योंकि भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय ने उपर्युक्त बिक्री के लिए उपलब्ध किसी दावे का वितरण नहीं किया है। कार्रवाई की गई है और उक्त मामला फॉरेंसिक लेखापरीक्षा और सतर्कता जांच के अधीन है।
- ii) यार्न की आपूर्ति के प्रति 358,888,516 रुपए (विगत वर्ष 328,061,998 रुपए) की राशि यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के रूप में उपार्जन आधार पर परिकलित की गई है। जिसमें से कुल 10,530,716 रुपए (विगत वर्ष 82,456,913 रुपए) का दावा चालू रिपोर्टिंग अवधि के सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए लंबित है।

## 18 अन्य आय

विवरण	31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	48,923	38,851
विविध प्राप्ति/निविदा शुल्क	8,819,476	8,352,903
प्राप्त डिपो प्रभार	87,157	-
बैंक/वाहन ऋण/दूसरों से ब्याज	74,022,053	88,938,370
नकद छूट/कमीशन	5,972,367	503,421
अतिदेय बिल पर पक्षकारों से प्राप्त ब्याज	94,755	195,700
वापस लिखी गई देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान	37,970	3,196,859
ऐसे प्रावधान जिन्हें वापस लिखा जाना आवश्यक नहीं	6,659,915	1,905,956
<b>कुल</b>	<b>95,742,566</b>	<b>103,132,059</b>

- i) ऋणदाताओं के प्रावधान के प्रति एजेंसियों से वर्ष के दौरान वसूले गए 6,659,915 रुपए (विगत वर्ष 1,905,956 रुपए) के लिए लिखे जाने के लिए अनअपेक्षित प्रावधान
- ii) लिखी गई देयताओं/प्रावधान 37,920 रुपए (विगत वर्ष 3,196,859 रुपए)



## 17 REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)		For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	
(a) Sales less returns				
-Yarn - Yarn Supply Scheme	7,006,101,946		8,971,449,768	
Less: 10% subsidy on Hank yarn	-	7,006,101,946	-	8,971,449,768
General Scheme		59,224,862		83,579,543
-Dyes & chemicals		421,346,982		454,251,764
-Fabrics		-		77,640
<b>Total (A)</b>		<b>7,486,673,790</b>		<b>9,509,358,715</b>
(b) Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme		358,888,516		327,554,913
10% Subsidy on Hank yarn		-		-
Service charges against 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme		-		507,085
<b>Total (B)</b>		<b>358,888,516</b>		<b>328,061,998</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>7,845,562,306</b>		<b>9,837,420,713</b>

- i) Lucknow branch office have booked total sales during the year Nil (Previous Year Rs. Rs 385.04 Cr) out of which sales during the year Nil (Previous year Rs 190.82 cr) have been cancelled by the branch office Lucknow in ERP of the corporation. Remaining sale amounting during the year Nil (Previous Year Rs 194.22 Cr) in the Lucknow Regional Office is under dispute as Govt. Of India, Ministry Of Textile, Office of the Development Commissioner for Handloom has not disbursed any claims available to above sale as. Action is taken and the said matter is Forensic Audit and Vigilance enquiry.
- ii) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 358,888,516 (Previous year Rs. 328,061,998) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs.10,530,716 (Previous year Rs.82,456,913) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

## 18 OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Profit on sale of assets	48,923	38,851
Miscellaneous receipt/ tender Fees	8,819,476	8,352,903
Depot charges received	87,157	-
Interest from bank/ vehicle loan/ others	74,022,053	88,938,370
Cash discount/ commission	5,972,367	503,421
Interest received from parties on overdue bills	94,755	195,700
Liabilities/ excess provisions written back	37,970	3,196,859
Provision no longer required written back	6,659,915	1,905,956
<b>TOTAL</b>	<b>95,742,566</b>	<b>103,132,059</b>

- i) 'Provision no longer required written back for Rs 6,659,915 (Previous year Rs. 1,905,956) realised during the year from agencies against debtors provision.
- ii) 'Liabilities/ excess provisions written back RS 37,920 (Previous year Rs. 3,196,859)

## 19 व्यापारिक स्टॉक की खरीद

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
क्रय घटा प्राप्तियां				
— सूत		7,056,832,299		9,067,184,436
— डाई एवं केमिकल्स		401,413,502		429,393,234
— फैब्रिक्स		-		64,138
<b>कुल</b>		<b>7,458,245,800</b>		<b>9,496,641,807</b>

- i) वर्ष 2019-20 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) (एससीधएसटी के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदी गई यार्न का मूल्य वर्ष 2018-19 के दौरान 214,87,14,457 रुपए (खरीदी गई कुल यार्न का 22.63%) की तुलना में 306,13,40,831 रुपए (खरीदी गई कुल यार्न का 41.05%) है।
- ii) वाईएसएस से संबंधित शून्य वर्ष (विगत वर्ष 190.82 करोड़ रुपए) के दौरान खरीद बीजक लखनऊ शाखा द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। इस संबंध में निगम को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय से प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए सूचना प्राप्त हुई थी। तदनुसार, निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) धूम्र सतर्कता आयोग (सीवीसी) को संदर्भित किए जाने सहित अनिवार्य प्रशासनिक कार्रवाई की थी। उपर्युक्त मामला फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच के लिए लंबित है। शून्य वर्ष के दौरान आरओ लखनऊ की शेष बिक्रीधखरीद की राशि (विगत वर्ष 195.10 करोड़ रुपए) समान रूप से लेखा पुस्तिकाओं में दर्शाई जाएगी और कोई लाभधार्जिन नहीं ली गई है। अतएव वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा पुस्तिकाओं में इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

## 20 परिवहन/डिपो प्रभार

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
परिवहन प्रभार		170,287,195		134,171,106
डिपो प्रभार		98,396,016		106,187,886
<b>कुल</b>		<b>268,683,211</b>		<b>240,358,992</b>

- i) यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत यार्न की आपूर्ति के लिए 268,683,211 रुपए की परिवहन और डिपो शुल्क की गणना प्रोद्भवन आधार पर की गई है। जिसमें से कुल 7,219,447 रुपए (विगत वर्ष 63,509,939 रुपए) के व्यय का दावा चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए लंबित है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन और डिपो शुल्क के प्रावधान योजना के अनुसार किए गए हैं।

## 19 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Purchases less returns		
-Yarn	7,056,832,299	9,067,184,436
-Dyes & chemicals	401,413,502	429,393,234
-Fabrics	-	64,138
<b>TOTAL</b>	<b>7,458,245,800</b>	<b>9,496,641,807</b>

- i) The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2019-20 is Rs 3,061,340,831 ( 41.05 % of total yarn procured) as against Rs.2,148,714,457 (22.63% of total yarn procured) during the previous year 2018-19.
- ii) Purchase invoices amounting during the year Nil (Previous Year Rs.190.82 cr.) pertaining to YSS were cancelled by branch Lucknow In this regard a communication was received by the Corporation from Administrative Minister i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms for taking necessary administrative action. Accordingly the Corporation took necessary administrative action including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC).office in the first quarter of FY 2018-19. The above matter is pending at Forensic Audit and Vigilance enquiry In the balance sale/Purchase of RO Lucknow amount during the year Nil (Previous year Rs. 195.10 Cr.) be shown in the books of Accounts at par and no Profit/ Margin has been charged.Hence it has no financial impact in the books of account for the F.Y. 2018-19.

## 20 TRANSPORTATION / DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Transportation Charges	170,287,195	13,41,71,106
Depot Charges	98,396,016	10,61,87,886
<b>TOTAL</b>	<b>268,683,211</b>	<b>24,03,58,992</b>

- i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 268,683,211 (Previous year Rs.240,358,992) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs 7,219,447 (Previous year Rs. 63,509,939) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

## 21 प्रक्रियाधीन तैयार माल की सूची में परिवर्तन और व्यापारिक स्टॉक

(In Rs.)

विवरण	दिनांक प्रारंभिक स्टॉक	दिनांक समापन स्टॉक	वृद्धि (-) कटौती (+)
सूत	20,728,530	12,953,337	7,775,193
डाई एवं केमिकल्स	20,35,903	2,034,047	1,856
फैब्रिक्स	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>22,764,433</b>	<b>14,987,384</b>	<b>7,777,049</b>
विवरण	दिनांक 01.04.2018 को प्रारंभिक स्टॉक	दिनांक 01.04.2019 को समापन स्टॉक	वृद्धि (-) कटौती (+)
सूत	6,778,305	20,728,530	(13,950,225)
डाई एवं केमिकल्स	3,219,933	2,035,903	1,184,030
फैब्रिक्स	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>9,998,238</b>	<b>22,764,433</b>	<b>(12,766,195)</b>

## 22 कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

विवरण	01.04.2020 को समाप्त वर्ष को लिए (रु.)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष को लिए (रु.)
<b>क) वेतन एवं मजदूरी</b>		
वेतन एवं मजदूरी		179,614,942
वेतन और भत्ते	176,119,313	786,835
वेतन और भत्ते (प्रबंधन निदेशक)	3,593,895	7,391,880
छुट्टी नकदीकरण – अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान सहित अनुग्रह राशि	4,642,851	15,000,000
बाल शिक्षा प्रतिपूर्ति		192,725
यात्रा प्रतिपूर्ति		1,092,599
भर्ती व्यय	1,270	130,785
छुट्टी यात्रा छूटधनगदीकरण (एमडी-विगत वर्ष के लिए शून्य रुपया शामिल है)		496,765
चिकित्सा व्यय	3,243,437	6,437,396
कार्मिकों को प्रशिक्षण	29,800	388,370
<b>उप कुल (क)</b>	<b>187,630,566</b>	<b>211,532,297</b>
<b>ख) पीएफ और अन्य कोष में अंशदान</b>		
सीपीएफ एवं एफपीएफ/ईडीएलआई योजनाधनपीएस में नियोक्ता का अंशदान (एमडी के लिए 383930 रुपए- विगत वर्ष 78147 रुपए)	20,835,841	19,962,649
ग्रेच्युटी	137,436	135,859
<b>उप कुल (ख)</b>	<b>20,973,277</b>	<b>20,098,508</b>

## 21 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(In Rs.)

PARTICULARS	OPENING STOCK ON 01-04-2019	CLOSING STOCK ON 31-03-2020	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	20,728,530	12,953,337	7,775,193
DYES & CHEMICALS	20,35,903	2,034,047	1,856
FABRICS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>22,764,433</b>	<b>14,987,384</b>	<b>7,777,049</b>
PARTICULARS	OPENING STOCK ON 01-04-2018	CLOSING STOCK ON 31-03-2019	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	67,78,305	20,728,530	(13,950,225)
DYES & CHEMICALS	32,19,933	2,035,903	1,184,030
FABRICS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>99,98,238</b>	<b>22,764,433</b>	<b>(12,766,195)</b>

## 22 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
<b>a) Salary &amp; Wages</b>		
Salary and allowances	176,119,313	179,614,942
Salary and allowances (Managing Director)	3,593,895	786,835
Leave encashment-Including provision for accrued leave	4,642,851	7,391,880
Ex-Gratia		15,000,000
Children education reimbursement		192,725
Conveyance reimbursement		1,092,599
Recruitment Expenses	1,270	130,785
Leave travel concession/encashment (Includes Rs Nill for MD - Previous year Rs. Nil)		496,765
Medical expenses	3,243,437	6,437,396
Training to personnel	29,800	388,370
<b>Sub Total (A)</b>	<b>187,630,566</b>	<b>211,532,297</b>
<b>b) Contribution to PF &amp; other Fund</b>		
Employers contribution to CPF & FPF/NPS/DDE/EDLI scheme (Includes Rs. 383930 for MD - Previous year Rs.78147)	20,835,841	19,962,649
Gratuity	137,436	135,859
<b>Sub Total (B)</b>	<b>20,973,277</b>	<b>20,098,508</b>

ग) कर्मचारी कल्याण खर्च			
कर्मचारी कल्याण खर्च (मानदेय, इनाम वर्दी और वर्दी सहित)	1,945,833		1,944,951
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और उपदान बीमा	-		77,765
मृतक कर्मचारी स्कीम के लिए भुगतान	1,185,258		1,313,650
उप कुल (ग)	3,131,091		3,336,366
कुल (क+ख+ग)	211,734,934		234,967,171

क) लेखांकन मानक-15 कर्मचारी लाभ के अनुसार लेखांकन मानक में यथापरिभाषित कर्मचारी लाभ का खुलासा नीचे दिया गया है:-

#### परिभाषित योगदान योजना

उक्त वर्ष के लिए खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजना के लिए किया जाने वाला योगदान निम्नानुसार है:-

विवरण	01.04.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	01.04.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
सीपीएफ/ईपीएफ एवं ईडीएलआई स्कीमों के लिए नियोक्ता का योगदान	22,021,099	21,276,299

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत निगम के भविष्य निधि को छूट प्रदान की गई है। छूट की शर्तों में यह उल्लेख है कि नियोक्ता ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कटौती करेगा जब सांविधिक दर के बदले न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर में किसी प्रकार का अंतर हो।

ख) वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को प्रदान किया गया पारिश्रमिक

(In Rs.)

क्र सं	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबंध निदेशक	अधिशाली निदेशक (वित्त) सी एफ ओ	कम्पनी सचिव	कुल
01.	सकल वेतन	3,593,895	1,539,118	1,061,598	6,194,612
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	23,750	-	-	23,750
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के बदले लाभ	-	-	-	-
02.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
03.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
04.	आयोग				
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें.....	-	-	-	-
05.	अन्य, कृपया विस्तृत विवरण दे.....	-	-	-	-
	कुल	3,617,645	1,539,118	1,061,598	6,218,362



<b>c) Staff Welfare expenses</b>			
Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	1,945,833		1,944,951
Group personal accident and Gratuity insurance	-		77,765
Payment to Deceased Employee Scheme (Includes Rs 9058 for MD - Previous year Rs.3000)	1,185,258		1,313,650
<b>Sub Total (C)</b>	<b>3,131,091</b>		<b>3,336,366</b>
<b>Total (A+B+C)</b>	<b>211,734,934</b>		<b>234,967,171</b>

- a) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Employer's contribution to CPF/ PPF / NPS / DDE & EDLI Schemes.	22,021,099	21,276,299

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

- b) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2019-20 is as below:-

(In Rs.)

SI No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	ED (FINANCE)/ CFO	Co. Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary	3,593,895	1,539,118	1,061,598	6,194,612
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961				
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961	23,750	-	-	23,750
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
02.	Stock Option	-	-	-	-
03.	Sweat Equity	-	-	-	-
04.	Commission				
	- as % of Profit	-	-	-	-
	- others, specify.....	-	-	-	-
05.	Others, please specify.....	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3,617,645</b>	<b>1,539,118</b>	<b>1,061,598</b>	<b>6,218,362</b>

## 23 वित्त लागत

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
बैंक/अन्य को ब्याज	-	-	-
अन्य उधार लागत	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	-

## 24 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
<b>(a) प्रशासनिक व्यय</b>			
यात्रा व्यय	4,687,733		7,798,801
लेखा परीक्षकों को भुगतान	396,226		388,533
बोर्ड की बैठक के खर्च	68,952		75,000
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	65,636		84,564
वाहन खर्च	2,558,750		6,189,559
बिजली/पानी का खर्च	2,735,798		3,109,342
बीमा	383,253		466,281
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	4,582,907		2,992,231
सदस्यता शुल्क और अंशदान	2,000		10,500
कार्यालय रखरखाव	1,106,989		1,431,063
छपाई और स्टेशनरी	1,293,932		1,751,529
डाक/तार/टेलीफोन और टेलेक्स	2,268,472		4,049,583
किराया, दरें एवं कर (कुल वसूली) (एमडी के रिहायशी आवसा के लिए लीज किराया शून्य रुपया शामिल है)	14,899,070		19,359,888
मरम्मत एवं रखरखाव	431,203		1,697,449
सेवा वाहन खर्च	1,131,464		837,689
सुरक्षा खर्च	5,404,324		5,813,188
विविध व्यय	35,755		314,202
<b>कुल (क)</b>	<b>42,052,463</b>		<b>56,369,403</b>

<b>i) लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है:-</b>			
लेखा परीक्षा शुल्क	3,04,176		283,000
अन्य क्षमता	92,050		105,533
<b>कुल</b>	<b>396,226</b>		<b>388,533</b>

**23 FINANCE COSTS**

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)		For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Interest to bank/ others	-		-
Other Borrowing cost	-		-
Total	-		-

**24 OTHER EXPENSES**

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)		For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
<b>(a) ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>			
Travelling expenses	4,687,733		7,798,801
Payment to auditors	396,226		388,533
Board meeting expenses (Sitting fees)	68,952		75,000
Books & periodicals	65,636		84,564
Conveyance expenses	2,558,750		6,189,559
Electricity/water charges	2,735,798		3,109,342
Insurance	383,253		466,281
Legal & professional charges	4,582,907		2,992,231
Membership fees & subscription	2,000		10,500
Office upkeep	1,106,989		1,431,063
Printing & stationery	1,293,932		1,751,529
Postage/telegram/telephone & telex	2,268,472		4,049,583
Rent, rates & taxes (net of recoveries) (includes lease rent for residential accommodation of MD Rs.Nill)	14,899,070		19,359,888
Repair & maintenance	431,203		1,697,449
Service vehicle expenses	1,131,464		837,689
Security expenses	5,404,324		5,813,188
Miscellaneous expenses	35,755		314,202
<b>TOTAL (A)</b>	<b>42,052,463</b>		<b>56,369,403</b>

<b>i) Payment made to auditors is as below:-</b>			
Audit Fee	3,04,176		283,000
Other Capacity	92,050		105,533
<b>TOTAL</b>	<b>396,226</b>		<b>388,533</b>

### (ख) व्यापार

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
विज्ञापन और प्रचार			1,639,262
व्यापार संवर्धन	21,901,063		37,523,993
बट्टा, कमीशन और छूट	221,956		653,182
बैंक प्रभार	97,129		135,470
माल ढुलाई और अन्य प्रभार	5,383,929		4,594,530
बैठक खर्च	1,149,429		1,454,879
बिक्री कर	-		-
सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव का खर्च	4,602,449		4,513,238
डाटा प्रविष्टि प्रभार	2,775,024		3,902,226
<b>कुल (ख)</b>	<b>36,130,979</b>		<b>54,416,779</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>78,183,442</b>		<b>110,786,181</b>

- i) व्यावसायिक प्रोत्साहन व्यय (व्यापार संवर्धन) में प्रदर्शनी गतिविधियों व अन्य विकासात्मक गतिविधियों में चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए बजट से अधिक किए गए व्यय शामिल हैं।

### 25 असाधारण मदें

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
क) प्रावधान, बट्टा खाता आदि			
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-
संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	17,183,551		8,387,244
देनदारियों को बट्टेखाते में डालना	-		-
आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-		-
<b>उप कुल</b>	<b>17,183,551</b>		<b>8,387,244</b>
क) पूर्व अवधि समायोजन	-		-
ग) वीआरएस क्षतिपूर्ति	-		675,032
<b>कुल (क+ख+ग)</b>	<b>17,183,551</b>		<b>9,062,276</b>

### 26 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय	1,500,000		105,74,012
<b>कुल</b>	<b>1,500,000</b>		<b>105,74,012</b>

वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू किए गए सी.एस.आर. कार्यकलाप का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. कार्यकलाप पर व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 15.00 लाख रुपए
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय की गई राशि (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)

**(b) TRADE**

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Advertisement & publicity		1,639,262
Business promotion	21,901,063	37,523,993
Discount, commission & rebate	221,956	653,182
Bank charges	97,129	135,470
Freight & other charges	5,383,929	4,594,530
Meeting expenses	1,149,429	1,454,879
Sales tax	-	-
Software implementation/ maintenance expenses	4,602,449	4,513,238
Data entry charges	2,775,024	3,902,226
<b>TOTAL (B)</b>	<b>36,130,979</b>	<b>54,416,779</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>78,183,442</b>	<b>110,786,181</b>

- i) 'Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition and other events/ activities over and above the sanctioned budget during the current financial year .

**25 EXCEPTIONAL ITEMS**

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
<b>a) PROVISION, WRITE OFF ETC.</b>		
Loss on sale of assets	-	-
Provision for doubtful debtors	17,183,551	8,387,244
Write off debtors	-	-
Provision for doubtful advances to supplier	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>17,183,551</b>	<b>8,387,244</b>
<b>b) Prior Period Adjustments</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>c) VRS Compensation</b>	<b>-</b>	<b>675,032</b>
<b>Total (A+B+C)</b>	<b>17,183,551</b>	<b>9,062,276</b>

**26 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR ) EXPENSES**

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Expenses on Corporate Social Responsibility	1,500,000	105,74,012
<b>Total</b>	<b>1,500,000</b>	<b>105,74,012</b>

The details of CSR activity undertaken during the year 2019-20 is as below:-

1. Gross amount required to be spent on CSR Activity during the F.Y. 2019-20 Rs.15 Lacs
2. Amount spent during the F.Y. 2019-20 (as per details below)

रु. लाख में

विवरण	चालू वर्ष में किया गया भुगतान	भुगतान होना बाकी	कुल
विभिन्न हथकरघा क्षेत्रों में शौचालयों खंड का निर्माण, एक वर्ष की शौचालय की मरम्मत सहित जामलाडूगू (जिला वाई.एस.आर.कडप्पा आंध्र प्रदेश में), रावता (जिला उदलगुरी असम में), सिकिनी (जिला रामगढ़ झारखंड में), पडाना (जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में) और दुलीपुर (जिला चंदौली उत्तर प्रदेश में)	15.00	-	15.00
<b>कुल</b>	<b>15.00</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>

शौचालयों का निर्माण पूरा हो गया है और वे पूर्णतया कार्यशील हैं। इसके अलावा शौचालयों के एक वर्ष के रखरखाव के लिए सुलभ को 1,500,000 रुपए का भुगतान किया गया है।

## 27 कर व्यय – मैजूदा कर (प्रमाण पत्र)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	-	-
पूर्व वर्ष के लिए आयकर	-	4,99,536
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>4,99,536</b>

वर्ष के दौरान लेखाओं में रु 'शून्य' (पिछले वर्ष रु. 'शून्य') के आयकर का प्रावधान किया गया है।

## 28 अन्य टिप्पणियां

### 1 आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं :-

#### (क) आकस्मिक देयताएं

(क) बिक्री कर – रु. 14,908,994 (पिछले वर्ष रु. 14,908,994)

(i) आकलन प्राधिकारी, बिक्री कर कार्यालय, लखनऊ द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 (गत वर्ष 9,520,994) के लिए निकाली गई रु. 95,20,994 की एक लम्बित मांग के खिलाफ सहायक बिक्री कर आयुक्त, वाराणसी के समझ अपील लम्बित है

(ii) वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग, चेन्नई द्वारा रु. 5,388,000 (पिछले वर्ष रु. 53,88,000) की मांग की गई है जिस पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया गया है।

(ख) निगम के संबंध में दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा की गई बकाया राशि पर ब्याज रु. 293,000 (पिछले वर्ष रु. 293,000) है।

(ii) कंपनी के खिलाफ न्यायिक मामले – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

(iii) मेसर्स यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पट्टा में जारी की गई बैंक गारंटी – रु. 200,000 (पिछले वर्ष रु. 200,000)

(iv) क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा प्रभार रु. 457,7,446 (गत वर्ष रु. 4,577,446) बहुत लम्बी अवधि से बकाया है, दिनांक 31 मार्च, 2019 को आकस्मिक देयता और भी अधिक हो सकती है।



Rs. in Lacs

Particulars	Paid during current year	Yet to be paid	Total
Maintenance of toilets in the following handloom clusters: Jammlamadugu (Y.S.R.Kadapa district in A.P.), Rawta (Udalguri district in Assam), Sikni (Ramgarh district in Jharkhand), Padana (Rajgarh district in M.P.) and Dulhipur (in Chandauli district in U.P.)	15.00	-	15.00
<b>Total</b>	<b>15.00</b>	<b>-</b>	<b>15.00</b>

construction of toilets is complete and they are fully functional. Further, one year maintenance of the toilets amounting to Rs.15,00,000 shall be paid as and when the bills are produced by Sulabh.

## 27 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2020 (Rs.)	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)
Income Tax for Current year	-	-
Income Tax for earlier year	-	4,99,536
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4,99,536</b>

During the year provision for income tax of Rs. NIL(Previous year Rs.NIL) has been made in the accounts.

## 28 OTHER NOTES

### 1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

#### A Contingent Liabilities:-

- (a) Sales tax- Rs14,908,994 (Previous year Rs.14,908,994).
  - (i) An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs.9,520,994 by assessing authority sales tax office Lucknow for the F.Y. 2010-11 ( Previous year 9,520,994)
  - (ii) Demand for Rs. 5,388,000 (Previous Year Rs. 5,388,000) has been raised by the Sales Tax Department Chennai for the financial year 2011-12 and financial year 2012-13, on which a stay has been obtained from Hon'ble Madras High Court.
- (b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.
  - (i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs 293,000 (Previous year Rs.293,000)
  - (ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)
  - (iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs 200,000 (Previous year Rs.200,000).
  - (iv) Lucknow Development Authority common service charges- Rs4,577,446.(Previous Year 4,577,446) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March 2020

(ख) प्रतिबद्धता:-

- 1 चूंकि संबंधित बिक्री पर प्राधिकारियों द्वारा कर राशि का पता नहीं लगा पाने के कारण निर्धारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है, इसलिए केन्द्र और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सूत, डाई और रसायन एवं कपड़ा के संबंध में बिक्री कर और जीएसटी देयता, यदि कोई हो, संबंधी कोई प्रावधान नहीं है ।
- 2 प्रबंध निदेशक को वर्ष के दौरान गैर अधिकारिक यात्राओं के लिए रु. 325 प्रति माह के भुगतान पर कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी ।
- 3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसरण में अतिरिक्त सूचन निम्नानुसार है ।

(क) निर्माण की लाइसेंसित और अधिष्ठापित क्षमता-लागू नहीं

(ख) प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, बिक्री तथा समापन स्टॉक के संबंध में मात्रात्मक सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	सूत		डाई एवं रसायन		कपड़ा	
		यूनिट	मूल्य	यूनिट	मूल्य	यूनिट	मूल्य
1	प्रारम्भिक स्टॉक - मौजूदा वर्ष	0.51	20,728,531	0.05	2,035,903		
	- पिछले वर्ष	0.22	6,778,306	0.14	3,219,933		
2	क्रय - मौजूदा वर्ष	407.68	7,056,832,299	33.12	401,413,502	-	
	- पिछले वर्ष	445.88	9,067,184,436	40.42	429,393,234		64,138
3	बिक्री - मौजूदा वर्ष	407.93	7,065,326,808	33.07	421,346,982		
	- पिछले वर्ष	445.59	9,055,029,311	40.51	454,251,764	-	77,640
4	समापन स्टॉक - मौजूदा वर्ष	0.26	12,953,337	0.10	2,034,047		
	- पिछले वर्ष	0.51	20,728,531	0.05	2,035,903		

(ग) रंग एवं रसायन के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.), (ii) कच्चा माल, (iii) घटक एवं कलपुर्जों पूंजीगत सामानों के संबंध में शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

(घ) विदेशी मुद्रा में आए - शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रु.) हैं।

(ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय-शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

(च) आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों तथा उपयोग किए गए घटकों का मूल्य-शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

**(B) Commitment:-**

- 1 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.
- 2 The Managing Director was allowed the use of Company Car during the year for non-duty journeys on payment of Rs.325/- per month.
- 3 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-
  - A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.
  - B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	PARTICULARS	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Opening Stock - Current Year	0.51	20,728,531	0.05	2,035,903		
	- Previous Year	0.22	6,778,306	0.14	3,219,933		
2	Purchase - Current Year	407.68	7,056,832,299	33.12	401,413,502	-	
	- Previous Year	445.88	9,067,184,436	40.42	429,393,234		64,138
3	Sale - Current Year	407.93	7,065,326,808	33.07	421,346,982		
	- Previous Year	445.59	9,055,029,311	40.51	454,251,764	-	77,640
4	Closing Stock - Current Year	0.26	12,953,337	0.10	2,034,047		
	- Previous Year	0.51	20,728,531	0.05	2,035,903		

- C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).
- D) Earning in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).
- E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).
- F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

4. एएस-17 अर्थात् आईसीएआई द्वारा जारी की गई खंड-वार रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग खंडों के रूप में गतिविधि-वार वित्तीय विवरण जिसमें सूत, डाई एवं रसायन तथा कपड़ा का विवरण शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. राशि में)

खंड-वार विवरण	सूत	डाई एवं रसायन	फैब्रिक्स	कुल
(क) प्राथमिक सूचना				
1 खंड-वार राजस्व	7,065,326,808	421,346,982	-	7,486,673,790
2 खंड-वार परिणाम	(38,399,197)	9,349,602	-	(29,049,595)
3 अनाबंटित ओवरहेड्स	-	-	-	(143,714,266)
4 बैंक एवं अन्यो से प्राप्त ब्याज	-	-	-	54,357,363
5 अन्य आय	-	-	-	8,588,205
6 अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	-
7 सीएसआर व्यय	-	-	-	(15,000,00)
8 कर पूर्व लाभ	-	-	-	(111,318,292)
9 कर पूर्व लाभ	-	-	-	-
10 आस्थगित कर	-	-	-	(604,189)
11 कर पश्चात् लाभ	-	-	-	(111,922,481)
12 खंड-वार परिसंपत्तियां	3,399,593,864	64,394,188	1,89,23,921	3,482,911,973
13 अबंटनीय नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्तियों सहित)	-	-	-	2,279,362,498
14 कुल परिसंपत्तियां	-	-	-	5,762,274,471
15 बैंक उधारियों सहित खंड-वार देयताएं	3,865,379,286	33,933,430	20,468,635	3,919,781,350
16 अबंटनीय नैगमिक देयताएं (बैंक उधारियों सहित)	-	-	-	1,842,493,121
17 कुल देयताएं	-	-	-	5,762,274,471
18 खंड-वार मूल्य ह्रास	2,317,042	378,875	-	2,695,917

- नोट:- 1. खंड-वार राजस्व में अंतर खंड लेनदेन शामिल नहीं है ।
- ii. खंड-वार परिणाम में बकाया बिलों पर ब्याज रु. 947,55 का आस्थगित प्रौढभूत ब्याज शामिल है ।
- iii. खंड-वार परिणाम में रु. 6,697,835 (क्रेडिट) के संबंध में देयताएं/वापस लिखा गया प्रावधान तथा रु. शून्य (डेबिट) के लिए प्रावधान तथा उसे बटटे खाते में डालना आदि शामिल है ।



- 4 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

Segment wise Information	Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A) Primary information				
1 Segment wise Revenue	7,065,326,808	421,346,982	-	7,486,673,790
2 Segment wise Results	(38,399,197)	9,349,602	-	(29,049,595)
3 Unallocated overheads	-	-	-	(143,714,266)
4 Interest from Bank & others	-	-	-	54,357,363
5 Other Income	-	-	-	8,588,205
6 Prior period adjustments	-	-	-	-
7 CSR Expenditure	-	-	-	(15,000,00)
8 Profit before tax	-	-	-	(111,318,292)
9 Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	-
10 Deferred tax	-	-	-	(604,189)
11 Profit after tax	-	-	-	(111,922,481)
12 Segment-wise assets	3,399,593,864	64,394,188	1,89,23,921	3,482,911,973
13 Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	2,279,362,498
14 Total Assets	-	-	-	5,762,274,471
15 Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	3,865,379,286	33,933,430	20,468,635	3,919,781,350
16 Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	1,842,493,121
17 Total liabilities	-	-	-	5,762,274,471
18 Depreciation segment-wise	2,317,042	378,875	-	2,695,917

**Notes:-**i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

ii. Segment- wise result includes interest on overdue bills/ deferred accrued interest for Rs 94,755

iii. Segment-wise result includes liabilities/ provisions written back for Rs 6,697,835 (credit) , and provisions & write off etc made for Rs NIL (Debit).

ख)	द्वितीयक सूचना	क्षेत्र का नाम	खंड-वार राजस्व
1	ऐसे खंड जिनका राजस्व सभी भौगोलिक खंडों के कुल राजस्व का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड-वार राजस्व	क्षे.का. कोयम्बटूर	3,994,468,564
		क्षे.का. हैदराबाद	886,915,975
		क्षे.का. पानीपत	626,052,910
		क्षेत्र का नाम	परिसंपत्तियां
2	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंडों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार खंड-वार परिसंपत्तियां	क्षे.का. वाराणसी	2,482,953,958
3	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंडों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि	क्षेत्र का नाम	नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि
		क्षे.का. कोयम्बटूर	114,400
		क्षे.का. वाराणसी	29,883
		क्षे.का. कोलकाता	9,800

- 5 मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में बनाए गए तुलन पत्र के साथ संलग्न नोट 1 से 28 व महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा लाभ संबंधी विवरण एवं हानि तथा वर्ष की समाप्ति की तारीख को इक्विटी एवं नकदी अंतरप्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का अभिन्न अंग है ।
- 6 जहां कहीं पूर्व वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा आंकड़ों के साथ तुलना करना आवश्यक प्रतीत हुआ वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है ।
- 7 आंकड़ों को नजदीकी पूर्णांक रूप में दर्शाया गया है ।

ह/-  
अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-  
जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-  
मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-  
संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह/-  
साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

B)	Secondary Information	Name of the Region	Segment Revenue
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Coimbatore	3,994,468,564
		RO Hyderabad	886,915,975
		RO Panipat	626,052,910
		Name of the Region	Assets
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Varanasi	2,482,953,958
		Name of the Region	Addition to Fixed Assets
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	RO Coimbatore	114,400
		RO Varanasi	29,883
		RO Panipat	9,800

- 5 Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.
- 6 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.
- 7 Figures have been rounded off to the nearest rupees .

Sd/-  
Anjali Yadav  
Co. Secretary

Sd/-  
Jitendra V Purohit  
DGM (F&A)/CFO

Sd/-  
Mudita Mishra  
Managing Director  
DIN - 07302824

Sd/-  
Sanjay Rastogi  
Chairman  
DIN - 07722405

Place : New Delhi  
Date : 19<sup>th</sup> November, 2020

Sd/- As per our Report of even date  
Partner : N.K Gupta For MANV & Associates  
M.No. 085713 Chartered Accountants  
F.R.No. 007351N  
Date : 30<sup>th</sup> December, 2020



## राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.

## 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

राशि रुपए में

विवरण	2019-20	2018-19
(क) प्रचालन क्रियाकलापों से नगद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(111,318,292)	(158,677,469)
समायोजन :		
i मूल्य ह्रास	9,315,177	9,605,996
ii प्रासंगिक निधि के लिए प्रभावित विकासवात्मक क्रियाकलापों/चिकित्सा कापर्स पर व्यय	1,158,100	(792,276)
iii वर्ष के दौरान वापस लिखे गए प्रावधान	(6,697,835)	(5,102,815)
iv बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	(74,022,053)	(88,938,370)
v परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ	(48,923)	(38,851)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	(183,930,026)	(243,943,785)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नगद एवं बैंक शेष को छोड़कर)		
निम्न में वृद्धि/कमी		
i मालसूची	7,777,049	(12,766,196)
ii बुक-ऋण	45,120,476	745,819,888
iii ऋण एवं अग्रिम	(1,797,433)	(252,698,266)
iv प्राप्तियां	666,546,656	820,260,688
v व्यापार एवं अन्य देनदारियाँ	(82,407,989)	(1,214,434,568)
प्रचालनों से प्राप्त नगद	451,308,733	(157,762,239)
घटाएँ: प्रदत्त आयकर	(251,863)	(40,570,055)
प्रचालन क्रियाकलापों से कुल नगद प्रवाह (क)	451,056,870	(198,332,294)
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नगद प्रवाह		
i अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	305,932	187,605
ii अचल परिसंपत्तियों/डब्ल्यूआईपी की वृद्धि	(2,742,881)	(3,991,614)
iii बैंक/वाहन ऋण/ अन्य से ब्याज	74,022,053	88,938,370
निवेश क्रियाकलापों से कुल नगद प्रवाह (ख)	71,585,104	85,134,361
(ग) वित्तीय क्रियाकलापों से नगद प्रवाह		
i लाभांश का भुगतान	-	(35,214,880)
वित्तीय क्रियाकलापों से कुल नगद प्रवाह (ग)	-	(35,214,880)
(घ) नगद और नगद अनुरूपता में कुल परिवर्तन (क+ख+ग)	522,641,974	(148,412,813)
(ङ) नगद और नगद अनुरूपता -आरंभिक शेष	871,908,728	1,020,321,541
(च) कुल	1,394,550,702	871,908,728
(छ) नगद और नगद अनुरूपता - अंतिम शेष	1,394,550,702	871,908,728
नगद एवं नगद अनुरूपता दर्शाती है :		
1 हाथ में नगद	-	-
2 चालू एवं सावधि जमा खाते में बैंकों के पास शेष	1,394,550,702	871,908,728
कुल	1,394,550,702	871,908,728

नोट : 1 नगद प्रवाह का विवरण आईसीएआई द्वारा जारी एस-3 में उल्लिखित अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2 विगत वर्ष के आंकड़े को जहां भी लागू हो पुनः समूह बद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ह/-

अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-

जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-

मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-

संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह/-

साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

**NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD**  
**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020**

(Amount In Rs.)

PARTICULARS	2019-20	2018-19
<b>(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
Profit before tax	(111,318,292)	(158,677,469)
Adjustments :		
i Depreciation	9,315,177	9,605,996
ii Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	1,158,100	(792,276)
iii provision written back during the year	(6,697,835)	(5,102,815)
iv Interest from bank/ vehicle loan/ others	(74,022,053)	(88,938,370)
v Profit on Sale of Assets	(48,923)	(38,851)
<b>OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES</b>	<b>(183,930,026)</b>	<b>(243,943,785)</b>
<b>CHANGES IN WORKING CAPITAL</b>		
(Excluding Cash & Bank Balances)		
Increase/Decrease in:		
i Inventories	7,777,049	(12,766,196)
ii Book-debts	45,120,476	745,819,888
iii Loans & Advances	(1,797,433)	(252,698,266)
iv Receivables	666,546,656	820,260,688
v Trade & other Payables	(82,407,989)	(1,214,434,568)
Cash Generated from Operations	451,308,733	(157,762,239)
Less : Income Tax paid	(251,863)	(40,570,055)
<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)</b>	<b>451,056,870</b>	<b>(198,332,294)</b>
<b>(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
i Sale of Fixed Assets	305,932	187,605
ii Addition to Fixed Assets/W.I.P	(2,742,881)	(3,991,614)
iii Interest from bank/ vehicle loan/ others	74,022,053	88,938,370
<b>NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)</b>	<b>71,585,104</b>	<b>85,134,361</b>
<b>(C) CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES</b>		
i Payment of Dividend	-	(35,214,880)
<b>NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)</b>	<b>-</b>	<b>(35,214,880)</b>
<b>(D) NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C)</b>	<b>522,641,974</b>	<b>(148,412,813)</b>
<b>(E) CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALNACE</b>	<b>871,908,728</b>	<b>1,020,321,541</b>
<b>(F) TOTAL</b>	<b>1,394,550,702</b>	<b>871,908,728</b>
<b>(G) CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE</b>	<b>1,394,550,702</b>	<b>871,908,728</b>
Cash & Cash Equivalent represent :		
1 Cash in Hand	-	-
2 Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	1,394,550,702	871,908,728
<b>Total</b>	<b>1,394,550,702</b>	<b>871,908,728</b>

**Notes :** 1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.  
 2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Sd/-  
 Anjali Yadav  
 Co. Secretary

Sd/-  
 Jitendra V Purohit  
 DGM (F&A)/CFO

Sd/-  
 Mudita Mishra  
 Managing Director  
 DIN - 07302824

Sd/-  
 Sanjay Rastogi  
 Chairman  
 DIN - 07722405

Place : New Delhi  
 Date : 19<sup>th</sup> November, 2020

Sd/- As per our Report of even date  
 Partner : N.K Gupta For MANV & Associates  
 M.No. 085713 Chartered Accountants  
 F.R.No. 007351N  
 Date : 30<sup>th</sup> December, 2020

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि	(राशि रु. में)
1900000000	-	1900000000

(ख) अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों के इक्विटी घटक	पूँजीगत रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	अन्य रिजर्व्स (कृपया स्वरूप रिजर्व का उल्लेख करें)	प्रतिधारित आय	अन्य समग्र आय के जरिए ऋण विलेख	नकदी अतिरिक्त पुनर्मूल्यांकन पर प्रभावी भाग	एक विदेशी कार्यकलाप के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय संबंधी मतभेद	अन्य समय आय की अन्य मदें (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें)	शेयर वारंट्स कुल के बदले प्राप्त की गई धनराशि	कुल
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में शेष राशि					11,227,256	796,030,349						
पूर्व की अवधि संबंधी त्रुटियों की लेखांकन नीति में परिवर्तन					-	-						
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में पुनरु उल्लिखित शेष राशि					-	-						
कुल समग्र आय					-	-						
लामाश					(111,922,481)							
प्रतिधारित आय का अंतरण					480,474	684,107,868						
कोई अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करने के लिए)					1,638,574	-						
समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि					10,069,156	-						

ह/-  
अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-  
जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-  
मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-  
संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह/-  
साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

**NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW**  
**STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2020**

(A) Equity Share Capital			(Amount in Rs.)
Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period	
190000000	-	190000000	

(B) Other Equity													(Amount in Rs.)		
Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive income (specify nature)	Money received against share warrants	Total		
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature)	Retained earnings									
Balance at the beginning of the reporting period					11227256	796030349									
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-									
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-									
Total Comprehensive Income for the year					-	-									
Dividends															
Transfer to retained earnings					480474	(111922481)									
Any other change (to be specified)					1638574	-									
Balance at the end of the reporting period					10069156	684107868									

<p>Sd/- Anjali Yadav Co. Secretary</p>	<p>Sd/- Jitendra V Purohit DGM (F&amp;A)/CFO</p>	<p>Sd/- Mudita Mishra Managing Director DIN - 07302824</p>
<p>Place : New Delhi Date : 19<sup>th</sup> November, 2020</p>	<p>Sd/- Sanjay Rastogi Chairman DIN - 07722405</p>	<p>Sd/- As per our Report of even date For MANV &amp; Associates Chartered Accountants F.R.No. 007351N Date : 30<sup>th</sup> December, 2020</p>

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसरण में सूचना, तुलन-पत्र  
तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूप रेखा

<b>i) पंजीकरण संबंधी ब्यौरा :</b>	
सीआईएन सं.	U17299UP1983GOI005974
पंजीकरण सं.	5974/83
राज्य का कोड	20
तुलन-पत्र की तारीख	31-03-2020
<b>ii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि रु. में) जिसे भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किया गया</b>	
<b>iii) निधियों की गत्यात्मकता तथा उनके नियोजन की स्थिति (राशि रु. में)</b>	
<b>कुल देयताएं</b>	<b>Total Assets</b>
<b>5,762,274,471</b>	<b>5,762,274,471</b>
निधियों का स्त्रोत	
चूकता पूंजी	190,000,000
रिजर्व एवं अधिशेष	694,177,024
आस्थगित कर देयता (निवल)	(-)22,058,794
समग्र निधि (विपणन परिसर, मेगा क्लस्टर, टीएफसी और पीएचपी)	734,822,688
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	0
मौजूदा देयताएं	4,165,333,553
निधियों का अनुप्रयोग	
निवल नियत परिसंपत्तियां – वास्तविक	12,188,403
– अवास्तविक	10,424,384
प्रक्रियाधीन पूंजीगत काय	0
समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	734,822,688
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	344,278
मौजूदा परिसंपत्तियां	4,894,494,718
<b>iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन</b>	
कारोबार	7,486,673,790
कुल व्यय	7,597,992,082
कर पूर्व लाभ	(-)111,318,292
कर पश्चात् लाभ	(-)111,922,481
प्रति शेयर आय रु. में	(-)58.91
लाभांश (शेयर पूंजी का:)	0.00%
<b>v) कंपनी के प्रमुख उत्पाद का जेनेरिक नाम</b>	
उत्पाद का वर्णन	मद कोड सं. (आईटीसी कोड)
सूत	5208(कपास)
डाई एवं रसायन	3204(डाई)
फैब्रिक	N.A.

ह/-  
अंजलि यादव  
कम्पनी सचिव

ह/-  
जितेन्द्र वी पुरोहित  
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

ह/-  
मुदिता मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन 07302824

ह/-  
संजय रस्तोगी  
अध्यक्ष  
डी आई एन 07722405

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

ह/-  
साझेदार : एन. के. गुप्ता  
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N  
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2020

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

## INFORMATION PURSUANT TO SCHEDULE III TO THE COMPANIES ACT, 2013, BALANCE SHEET AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

<b>i) Registration details:</b>	
CIN No.	U17299UP1983GOI005974
Registration No.	5974/83
State Code	20
Date of Balance sheet	31-03-2020
<b>ii) Capital raised during the year (Amount in Rs.) subscribed by Government of India.</b>	
<b>iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs.)</b>	
<b>Total Liabilities</b>	<b>Total Assets</b>
<b>5,762,274,471</b>	<b>5,762,274,471</b>
Sources of Funds	
Paid up Capital	190,000,000
Reserve & Surplus	694,177,024
Deferred tax liability (net)	(-)22,058,794
Corpus Fund (Marketing Complex, Mega Cluster, TFC & PHP)	734,822,688
Other Non Current liabilities	0
Current liabilities	4,165,333,553
Application of Funds	
Net Fixed Assets Tangible	12,188,403
- Intangible	10,424,384
Capital work in progress	0
Deployment of Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	734,822,688
Other Non Current Assets	344,278
Current Assets	4,894,494,718
<b>iv) Performance of the company</b>	
Turnover	7,486,673,790
Total Expenditure	7,597,992,082
Profit before Tax	(-)111,318,292
Profit after Tax	(-)111,922,481
Earning per share in Rupees	(-)58.91
Dividend (% age of Share Capital)	0.00%
<b>v) Generic name of the principal product of the company</b>	
Product description	Item Code No. (ITC Code)
Yarn	5208(Cotton)
Dyes & Chemicals	3204(Dyes)
Fabric	N.A.

Sd/-  
Anjali Yadav  
Co. Secretary

Sd/-  
Jitendra V Purohit  
DGM (F&A)/CFO

Sd/-  
Mudita Mishra  
Managing Director  
DIN - 07302824

Sd/-  
Sanjay Rastogi  
Chairman  
DIN - 07722405

Place : New Delhi  
Date : 19<sup>th</sup> November, 2020

Sd/-  
Partner : N.K Gupta  
M.No. 085713  
F.R.No. 007351N  
Date : 30<sup>th</sup> December, 2020

As per our Report of even date  
For MANV & Associates  
Chartered Accountants

### i) अनुदान संबंधी विवरण

#### मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए सरकारी अनुदान तथा प्रतिभागियों की राशि का ब्यौरा

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.2018 को	वर्ष के दौरान प्राप्तियां		कुल	वर्ष के दौरान लेन-देन		कुल	दिनांक 31.03.2019 को शेष राशि
			सरकार से	प्रतिभागियों से		खर्च	वापसी / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9(7+8)	10(6-9)
(क)	विपणन प्रदर्शनी व्यय								
	वाराणसी हथकरघा मेगा कलस्टर 04 विस्तार काउन्टर	(287,474)			(287,474)			—	(287,474)
	सिल्क फैब, चेन्नई 2019-20				—	2,867,275		2,867,275	2,867,275
	सिल्क फैब, मुंबई 2019-20				—	3,885,297		3,885,297	3,885,297
	सिल्क फैब, एर्नाकुलम 2019-20				—	2,517,862		2,517,862	2,517,862
	सिल्क फैब, सूरत 2019-20				—	2,640,364		2,640,364	2,640,364
	एसएचई (सिल्क फैब), देहरादून 2019-20				—	2,462,558		2,462,558	2,462,558
	एसएचई (सिल्क फैब), भुवनेश्वर 2019-20				—	2,948,196		2,948,196	2,948,196
	एसएचई (सिल्क फैब), पुणे 2019-20			920,000	(920,000)	3,243,691		3,243,691	2,323,691
	एसएचई (सिल्क फैब), चण्डीगढ़ 2019-20		1,200,000	200,000	(1,400,000)	3,117,396		3,117,396	1,717,396
	एसएचई (सिल्क फैब), कोलकाता 2019-200				—	2,011,658		2,011,658	2,011,658
	एसएचई (सिल्क फैब), भोपाल 2019-20		3,000,000		(3,000,000)	3,169,958		3,169,958	169,958
	एसएचई (सिल्क फैब), जम्मू 2019-20				—	2,341,265		2,341,265	2,341,265
	एसएचई (सिल्क फैब), कोयम्बटूर 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,749,018		2,749,018	1,349,018
	एसएचई (सिल्क फैब), अमृतसर 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,338,848		2,338,848	938,848
	एसएचई (सिल्क फैब), विशाखापत्तनम 2019-20		1,400,000	970,000	(2,370,000)	3,184,992		3,184,992	814,992
	एसएचई (सिल्क फैब), रायपुर 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	1,799,301		1,799,301	399,301
	एसएचई (सिल्क फैब), नागपुर 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	1,948,109		1,948,109	548,109
	एसएचई (सिल्क फैब), पटना 2019-20		1,400,000	300,000	(1,700,000)	3,133,419		3,133,419	1,433,419
	एसएचई (सिल्क फैब), बेंगलुरु 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,378,575		2,378,575	978,575
	एसएचई (सिल्क फैब), गुवाहाटी 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	1,437,370		1,437,370	37,370
	एसएचई (सिल्क फैब), हैदराबाद 2019-20		1,400,000		(1,400,000)			—	(1,400,000)
	एसएचई (सिल्क फैब), दिल्ली 2019-20				—	2,222,016		2,222,016	2,222,016
	एसएचई (भारतीय हथकरघा), ग्रेटर नोएडा 2019-20				—	2,416,363		2,416,363	2,416,363
	एसएचई (भारतीय हथकरघा), जोधपुर 2019-20				—	1,867,370		1,867,370	1,867,370
	एसएचई (भारतीय हथकरघा), वाराणसी 2019-20				—	1,666,796		1,666,796	1,666,796
	एसएचई (वूल फैब), लखनऊ 2019-20		1,800,000	15,000	(1,815,000)	2,572,208		2,572,208	757,208
	एसएचई (वूल फैब), इलाहाबाद 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,038,395		2,038,395	638,395
	एसएचई (वूल फैब), भोपाल 2019-20		—	190,000	(190,000)	2,683,997		2,683,997	2,493,997
	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, लखनऊ 2019-20		2,000,000	210,000	(2,210,000)	5,232,768		5,232,768	3,022,768
	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, इन्दौर 2019-20		2,250,000	1,800,000	(4,050,000)	4,512,578		4,512,578	462,578
	एनएल एसएचई जबलपुर (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	2,225,015		2,225,015	825,015
	एनएल एसएचई आगरा (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)			—	(1,400,000)
	एनएल एसएचई जोधपुर (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	1,524,448		1,524,448	124,448
	एनएल एसएचई जमशेदपुर (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	2,014,573		2,014,573	614,573
	एनएल एसएचई नागपुर (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	1,854,142		1,854,142	454,142
	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, नई दिल्ली (2019-2020)				—	4,651,555		4,651,555	4,651,555



## i) Grant Statement

## DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS &amp; PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

Sr. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2018	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance as on 31.03.2019
			From Govt.	From Participants		Expenses	Refund / Adjustment/Transfer		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9(7+8)	10(6-9)
(A) MARKETING EXHIBITION EXPENSES									
	VARANASI H/L MEGA CLUSTER 04 EXTENSION COUNTER	(287,474)			(287,474)			—	(287,474)
	SILK FAB , CHENNAI 2019-20				—	2,867,275		2,867,275	2,867,275
	SILK FAB , MUMBAI 2019-20				—	3,885,297		3,885,297	3,885,297
	SILK FAB , ERNAKULAM 2019-20				—	2,517,862		2,517,862	2,517,862
	SILK FAB , SURAT 2019-20				—	2,640,364		2,640,364	2,640,364
	SHE (Silk Fab), Dehradun 2019-20				—	2,462,558		2,462,558	2,462,558
	SHE (Silk Fab), Bhubaneswar 2019-20				—	2,948,196		2,948,196	2,948,196
	SHE (Silk Fab), Pune 2019-20			920,000	(920,000)	3,243,691		3,243,691	2,323,691
	SHE (Silk Fab), Chandigarh 2019-20		1,200,000	200,000	(1,400,000)	3,117,396		3,117,396	1,717,396
	SHE (Silk Fab), Kolkata 2019-20				—	2,011,658		2,011,658	2,011,658
	SHE (Silk Fab), Bhopal 2019-20		3,000,000		(3,000,000)	3,169,958		3,169,958	169,958
	SHE (Silk Fab), Jammu 2019-20				—	2,341,265		2,341,265	2,341,265
	SHE (Silk Fab), Coimbatore 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,749,018		2,749,018	1,349,018
	SHE (Silk Fab), Amritsar 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,338,848		2,338,848	938,848
	SHE (Silk Fab), Vishakhapatnam 2019-20		1,400,000	970,000	(2,370,000)	3,184,992		3,184,992	814,992
	SHE (Silk Fab), Raipur 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	1,799,301		1,799,301	399,301
	SHE (Silk Fab), Nagpur 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	1,948,109		1,948,109	548,109
	SHE (Silk Fab), Patna 2019-20		1,400,000	300,000	(1,700,000)	3,133,419		3,133,419	1,433,419
	SHE (Silk Fab), Bengaluru 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,378,575		2,378,575	978,575
	SHE (Silk Fab), Guwahati 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	1,437,370		1,437,370	37,370
	SHE (Silk Fab), Hyderabad 2019-20		1,400,000		(1,400,000)			—	(1,400,000)
	SHE (Silk Fab), Delhi 2019-20				—	2,222,016		2,222,016	2,222,016
	SHE (Handloom of India), Greater Noida 2019-20				—	2,416,363		2,416,363	2,416,363
	SHE (Handloom of India), Jodhpur 2019-20				—	1,867,370		1,867,370	1,867,370
	SHE (Handloom of India), Varanasi 2019-20				—	1,666,796		1,666,796	1,666,796
	SHE (Wool Fab), Lucknow 2019-20		1,800,000	15,000	(1,815,000)	2,572,208		2,572,208	757,208
	SHE (Wool Fab), Allahabad 2019-20		1,400,000		(1,400,000)	2,038,395		2,038,395	638,395
	SHE (Wool Fab), Bhopal 2019-20		—	190,000	(190,000)	2,683,997		2,683,997	2,493,997
	National Handloom Expo, Lucknow 2019-20		2,000,000	210,000	(2,210,000)	5,232,768		5,232,768	3,022,768
	National Handloom Expo, Indore 2019-20		2,250,000	1,800,000	(4,050,000)	4,512,578		4,512,578	462,578
	NLSHE JABALPUR (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	2,225,015		2,225,015	825,015
	NLSHE AGRA (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)			—	(1,400,000)
	NLSHE JODHPUR (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	1,524,448		1,524,448	124,448
	NLSHE JAMSHEDPUR (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	2,014,573		2,014,573	614,573
	NLSHE NAGPUR (2019-2020)		1,400,000		(1,400,000)	1,854,142		1,854,142	454,142
	National Handloom Expo New Delhi (2019-2020)				—	4,651,555		4,651,555	4,651,555

हथकरघा विपणन सहायता के तहत विशेष हथकरघा	—	500,000	(500,000)	—	—	—	(500,000)
एक्सपो (एसएचई) (आगा खान केन्द्र)							
सिल्क फैब मुंबई 2017–2018	2,397,538	1,160,038	1,237,500		(1,237,500)	(1,237,500)	—
सिल्क फैब हैदराबाद 2017–18	967,491	209,991	757,500		(757,500)	(757,500)	—
आईएचवी प्रमाणन के लिए एनएचडीपी के विपणन सहायता घटक	(289,500)		(289,500)			—	(289,500)
वूल फैब नई दिल्ली 2017–2018	894,617	659,617	235,000		(235,000)	(235,000)	—
वूल फैब, जोधपुर 2017–2018	259,807	84,807	175,000		(175,000)	(175,000)	—
सिल्क फैब प्रदर्शनी अमृतसर 2017–2018	996,302	482,552	513,750		(513,750)	(513,750)	—
सिल्क फैब प्रदर्शनी रायपुर 2017–2018	637,155	(54,095)	691,250		(691,250)	(691,250)	—
सिल्क फैब प्रदर्शनी जम्मू एवं कश्मीर 2017–2018	917,728	380,228	537,500		(537,500)	(537,500)	—
सिल्क फैब प्रदर्शनी ईटानगर 2017–2018	811,636	(114,995)	926,631			—	926,631
सिल्क फैब राँची 2017–2018	934,088	446,588	487,500		(487,500)	(487,500)	—
सिल्क फैब बड़ौदा 2017–2018	4,500,000	3,373,457	1,126,543		(463,750)	(463,750)	662,793
सिल्क फैब वाराणसी (एनएचई) 2017–2018	679,295	499,210	180,085			—	180,085
सिल्क फैब प्रदर्शनी चेन्नई एनएचई 2018–2019	1,473,293		1,473,293			—	1,473,293
सिल्क फैब प्रदर्शनी मुंबई 2018–2019	950,145		950,145			—	950,145
सिल्क फैब प्रदर्शनी सूरत 2018–2019	846,275		846,275			—	846,275
सिल्क फैब प्रदर्शनी एर्नाकुलम 2018–2019	983,650		983,650			—	983,650
सिल्क फैब प्रदर्शनी अहमदाबाद 2018–2019	976,772		976,772			—	976,772
सिल्क फैब प्रदर्शनी जबलपुर 2018–2019	933,150		933,150			—	933,150
सिल्क फैब प्रदर्शनी जमशेदपुर 2018–2019	804,022		804,022			—	804,022
सिल्क फैब प्रदर्शनी कोलकाता 2018–2019	832,782		832,782			—	832,782
सिल्क फैब प्रदर्शनी भुवनेश्वर 2018–2019	753,233		753,233			—	753,233
सिल्क फैब प्रदर्शनी देहरादून 2018–2019	865,641		865,641			—	865,641
सिल्क फैब प्रदर्शनी लखनऊ 2018–2019	881,102		881,102	15,300		15,300	896,402
सिल्क फैब प्रदर्शनी दिल्ली सिल्क फैब 2018–2019	997,524		997,524			—	997,524
सिल्क फैब प्रदर्शनी चण्डीगढ़ 2018–2019	889,631		889,631			—	889,631
सिल्क फैब प्रदर्शनी पुणे 2018–2019	909,819		909,819			—	909,819
सिल्क फैब प्रदर्शनी बेंगलुरु 2018–2019	997,972		997,972			—	997,972
सिल्क फैब प्रदर्शनी जम्मू एवं कश्मीर 2018–2019	816,028		816,028			—	816,028
सिल्क फैब प्रदर्शनी सिल्क लखनऊ 2018–2019	897,518		897,518			—	897,518
सिल्क फैब प्रदर्शनी हुबली 2018–2019	897,139		897,139	99,535		99,535	996,674
सिल्क फैब प्रदर्शनी हैदराबाद 2018–2019	2,227,516		2,227,516	169,783		169,783	2,397,299
सिल्क फैब प्रदर्शनी इलाहाबाद 2018–2019	2,366,947		2,366,947			—	2,366,947
सिल्क फैब प्रदर्शनी अहमदाबाद 2019–2020			—	3,974,420		3,974,420	3,974,420
कलस्टर विकास कार्यक्रम ( बर्दवान)	(120,147)		(120,147)			—	(120,147)
सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019–2020 जमशेदपुर			—	2,347,175		2,347,175	2,347,175
सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019–2020 लेह-लद्दाख		2,254,750	(2,254,750)	4,197,757		4,197,757	1,943,007
सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019–2020 जबलपुर			—	3,091,998		3,091,998	3,091,998
अबाहोनी का सहयोग और प्रायोजन –2019 (महात्मा गाँधी)			—	150,000		150,000	150,000
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं संचार के लिए अनुदान	(4,805,406)		(4,805,406)			—	(4,805,406)
हथकरघा कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अनुदान	(917,251)		(917,251)			—	(917,251)
बैटरी युक्त 2000 इन्वर्टर लाइटिंग यूनिट के वितरण के लिए अनुदान	(5,633,148)		(5,633,148)			—	(5,633,148)
बीएलआईएलएस के वितरण के लिए प्रशासनिक लागत हेतु अनुदान	(256,759)		(256,759)			—	(256,759)
बीएलआईएलएस के तहतसंचिदात्मक स्टॉफ हायर करने के लिए अनुदान	(466,538)	—	(466,538)	—	—	—	(466,538)

SPECIAL HANDLOOM EXPO (SHE) UNDER HANDLOOM MARKETING ASSISTANCE (AGA KHAN CENTRE)	—	500,000	(500,000)	—	—	—	(500,000)
SILK FAB MUMBAI 2017-2018	2,397,538	1,160,038	1,237,500	(1,237,500)	(1,237,500)	—	—
SILK FAB HYDERABAD 2017-18	967,491	209,991	757,500	(757,500)	(757,500)	—	—
MKTG. ASSISTANCE COMPONENT OF NHDP FOR IHB CERTIFICATION	(289,500)		(289,500)		—	(289,500)	
WOOL FAB NEW DELHI 2017-2018	894,617	659,617	235,000	(235,000)	(235,000)	—	—
WOOL FAB JODH PUR 2017-2018	259,807	84,807	175,000	(175,000)	(175,000)	—	—
SILK FAB EXHIBITION AMRITSAR 2017-2018	996,302	482,552	513,750	(513,750)	(513,750)	—	—
SILK FAB EXHIBITION RAIPUR 2017-2018	637,155	(54,095)	691,250	(691,250)	(691,250)	—	—
SILK FAB EXHIBITION J & K 2017-2018	917,728	380,228	537,500	(537,500)	(537,500)	—	—
SILK FAB EXHIBITION ITANAGAR 2017-2018	811,636	(114,995)	926,631		—	926,631	
SILK FAB RANCHI 2017-2018	934,088	446,588	487,500	(487,500)	(487,500)	—	—
Silk Fab Baroda 2017-18	4,500,000	3,373,457	1,126,543	(463,750)	(463,750)	662,793	
SILK FAB VARANASI (NHE) 2017-2018	679,295	499,210	180,085		—	180,085	
SILK FAB EXHIBITION CHENNAI NHE 2018-2019	1,473,293		1,473,293		—	1,473,293	
SILK FAB EXHIBITION MUMBAI 2018-2019	950,145		950,145		—	950,145	
SILK FAB EXHIBITION SURAT 2018-2019	846,275		846,275		—	846,275	
SILK FAB EXHIBITION ERNAKULAM 2018-2019	983,650		983,650		—	983,650	
SILK FAB EXHIBITION AHMEDABAD 2018-2019	976,772		976,772		—	976,772	
SILK FAB EXHIBITION JABALPUR 2018-2019	933,150		933,150		—	933,150	
SILK FAB EXHIBITION JAMSHEDPUR 2018-2019	804,022		804,022		—	804,022	
SILK FAB EXHIBITION KOLKATA 2018-2019	832,782		832,782		—	832,782	
SILK FAB EXHIBITION BHUBANESWAR 2018-2019	753,233		753,233		—	753,233	
SILK FAB EXHIBITION DEHRADUN 2018-2019	865,641		865,641		—	865,641	
WOOL FAB EXHIBITION LUCKNOW 2018-2019	881,102		881,102	15,300	15,300	896,402	
SILK FAB EXHIBITION DELHI SILK FAB 2018-2019	997,524		997,524		—	997,524	
SILK FAB EXHIBITION CHANDIGRADH 2018-2019	889,631		889,631		—	889,631	
SILK FAB EXHIBITION PUNE 2018-2019	909,819		909,819		—	909,819	
SILK FAB EXHIBITION BENGALURU 2018-2019	997,972		997,972		—	997,972	
SILK FAB EXHIBITION J & K 2018-2019	816,028		816,028		—	816,028	
SILK FAB EXHIBITION SILK LUCKNOW 2018-2019	897,518		897,518		—	897,518	
SILK FAB EXHIBITION HUBLI 2018-2019	897,139		897,139	99,535	99,535	996,674	
SILK FAB EXHIBITION HYDERABAD 2018-2019	2,227,516		2,227,516	169,783	169,783	2,397,299	
SILK FAB EXHIBITION ALLAHABAD 2018-2019	2,366,947		2,366,947		—	2,366,947	
SILK FAB AHMEDABAD 2019-2020			—	3,974,420	3,974,420	3,974,420	
CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	(120,147)		(120,147)		—	(120,147)	
SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JAMSHEDPUR			—	2,347,175	2,347,175	2,347,175	
SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 LEH-LADDAKH		2,254,750	(2,254,750)	4,197,757	4,197,757	1,943,007	
SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JABALPUR			—	3,091,998	3,091,998	3,091,998	
COLLABORATION AND SPONSORSHIP OF ABAHONI -2019 (MAHATMA GANDHI)			—	150,000	150,000	150,000	
GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	(4,805,406)		(4,805,406)		—	(4,805,406)	
GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	(917,251)		(917,251)		—	(917,251)	
GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	(5,633,148)		(5,633,148)		—	(5,633,148)	
GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	(256,759)		(256,759)		—	(256,759)	
GRANT FOR HIRING CONTRACTUAL STAFF UNDER BLILU	(466,538)	—	(466,538)	—	—	—	(466,538)

सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	2,803,880	—	2,803,880	—	—	2,803,880
6 आई आई एचटी को अवार्ड पुरस्कार का वितरण करने के लिए अनुदान	(678,000)		(678,000)		—	(678,000)
मल्टीपल बीयूटीआई मशीन की शुरुआत करने के लिए व्यय हेतु अनुदान	(5,138)		(5,138)		—	(5,138)
डब्ल्यूएससी वाराणसी में चार पहिया किराने पर लेने और विभिन्न व्यय के लिए अनुदान	(96,400)		(96,400)		—	(96,400)
6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटाप की आपूर्ति हेतु अनुदान	(30,000)		(30,000)		—	(30,000)
राष्ट्रीय हथकरघा अभियान ( आईएचबी ब्रान्ड)	5,311,513		5,311,513		—	5,311,513
सिल्क फेब प्रदर्शनी लखनऊ 2017-2018	993,184	(486,816)	1,480,000	(1,480,000)	(1,480,000)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी पुणे 2017-2018	996,131	(70,119)	1,066,250	(1,066,250)	(1,066,250)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी एर्नाकुलम 2017-2018	2,396,886	1,859,386	537,500	(537,500)	(537,500)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी नई दिल्ली 2017-2018	2,400,000	971,250	1,428,750	(1,428,750)	(1,428,750)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी सूरत 2017-2018	2,397,180	1,209,680	1,187,500	(1,187,500)	(1,187,500)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी कोलकाता 2017-2018	2,392,202	1,604,702	787,500	(787,500)	(787,500)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी अहमदाबाद 2017-2018	2,393,346	1,208,346	1,185,000	(1,185,000)	(1,185,000)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी बेंगलुरु 2017-2018	2,397,134	1,610,884	786,250	(786,250)	(786,250)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी जबलपुर 2017-2018	2,392,375	1,579,875	812,500	(812,500)	(812,500)	—
प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्रेता -विक्रेता बैठक)			—			—
सिल्क फेब प्रदर्शनी चण्डीगढ़ 2017-2018	2,394,471	1,110,721	1,283,750	(1,283,750)	(1,283,750)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी भुवनेश्वर 2017-2018	2,389,896	1,702,396	687,500	(687,500)	(687,500)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी जमशेदपुर 2017-2018	2,157,744	1,512,744	645,000	(645,000)	(645,000)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी विजयवाड़ा 2017-2018	993,169	661,919	331,250	(331,250)	(331,250)	(0)
सिल्क फेब प्रदर्शनी इन्दौर 2017-2018	2,084,998	237,499	1,847,499	(1,242,500)	(1,242,500)	604,999
			—		—	—
7 सीएफसी			—		—	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी कोयम्बटूर 2017-2018	997,931	255,431	742,500	(742,500)	(742,500)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी देहरादून 2017-2018	950,155	493,905	456,250	(456,250)	(456,250)	—
सिल्क फेब प्रदर्शनी गुवाहाटी 2017-2018	902,631	(160,159)	1,062,790	(156,000)	(156,000)	906,790
सिल्क फेब प्रदर्शनी पटना 2017-2018	3,369,579	1,854,579	1,515,000	(1,515,000)	(1,515,000)	—
अन्य अनुदान			—			—
वूल फेब प्रदर्शनी वाराणसी 2017-2018	993,417	846,520	146,897	—	—	146,897
वूल फेब प्रदर्शनी लखनऊ 2017-2018	849,120	619,120	230,000	(230,000)	(230,000)	—
बुनकर जागरूकता शिविर	(760,175)		(760,175)		—	(760,175)
8 मार्च 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई संगीकृत हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पाद पर फिल्म	37,634		37,634		—	37,634
1 अगस्त 2017 को शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली में किताबें चोपल का आयोजन	264,381		264,381		—	264,381
7 अगस्त 2017 को गुवाहाटी में तीसरा हथकरघा दिवस	9,554,343	4,140,370	5,413,973		—	5,413,973
31 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला	6,032,737		6,032,737		—	6,032,737
जीआई अभियान 1999 के अंतर्गत संगीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों पर प्रत्येक के लिए 15 मिनट की फिल्म बनाना	1,136,700	1,136,700	—		—	—
दिनांक 22.09.2017 को टीएफसी और सीएम पर कार्यक्रम का उद्घाटन	3,663,465	3,422,460	241,005		—	241,005
हस्तकला सहयोग शिविर (चरण- 1)	3,765,242		3,765,242		—	3,765,242
हस्तकला सहयोग शिविर (चरण- 2)	1,067,660		1,067,660		—	1,067,660
स्वदेशी मेला चण्डीगढ़ 2017-2018	500,000		500,000		—	500,000
सीएफसी वाराणसी मेगा हथकरघा कलस्टर में 15 बुनकर चौपाल	(2,679)		(2,679)		—	(2,679)
परियोजना प्रबंधन लेन-देन एडवाइजरी (पीएमटीए जेएलएल)	122,024		122,024	3,999,710	(3,999,710)	—
दिनांक 12.03.2018 को रांस के राष्ट्रपति का टीएफसी का दौरा	897,474		897,474		—	897,474
दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार एवं संग्रहालय केंद्र (टीएफसी)	24,871,769	12,678,366	12,193,403	11,188,355	11,188,355	23,381,758
कौशाम्बी महोत्सव 2018 ( 4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)	99,000	1,136,700	(1,037,700)	1,136,700	—	99,000

GRANT FOR CFC VARANASI	2,803,880	—	2,803,880	—	—	2,803,880
GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IHTS	(678,000)		(678,000)		—	(678,000)
GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	(5,138)		(5,138)		—	(5,138)
GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	(96,400)		(96,400)		—	(96,400)
GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	(30,000)		(30,000)		—	(30,000)
NATIONAL HANDLOOM CAMPAIGN (I H B BRAND)	5,311,513		5,311,513		—	5,311,513
SILK FAB EXHIBITION LUCKNOW 2017-2018	993,184	(486,816)	1,480,000	(1,480,000)	(1,480,000)	—
SILK FAB EXHIBITION PUNE 2017-2018	996,131	(70,119)	1,066,250	(1,066,250)	(1,066,250)	—
SILK FAB EXHIBITION ERNAKULAM 2017-2018	2,396,886	1,859,386	537,500	(537,500)	(537,500)	—
SILK FAB EXHIBITION NEW DELHI 2017-2018	2,400,000	971,250	1,428,750	(1,428,750)	(1,428,750)	—
SILK FAB EXHIBITION SURAT 2017-2018	2,397,180	1,209,680	1,187,500	(1,187,500)	(1,187,500)	—
SILK FAB EXHIBITION KOLKATA 2017-2018	2,392,202	1,604,702	787,500	(787,500)	(787,500)	—
SILK FAB EXHIBITION AHMEDABAD 2017-2018	2,393,346	1,208,346	1,185,000	(1,185,000)	(1,185,000)	—
SILK FAB EXHIBITION BENGALURU 2017-2018	2,397,134	1,610,884	786,250	(786,250)	(786,250)	—
SILK FAB EXHIBITION JABALPUR 2017-2018	2,392,375	1,579,875	812,500	(812,500)	(812,500)	—
TRAINING PROGRAMME (BUYER-SELLER MEET)			—			—
SILK FAB EXHIBITION CHANDIGARH 2017-2018	2,394,471	1,110,721	1,283,750	(1,283,750)	(1,283,750)	—
SILK FAB EXHIBITION BHUBANESWAR 2017-2018	2,389,896	1,702,396	687,500	(687,500)	(687,500)	—
SILK FAB EXHIBITION JAMSHEDPUR 2017-2018	2,157,744	1,512,744	645,000	(645,000)	(645,000)	—
SILK FAB EXHIBITION VIJAYAWADA 2017-2018	993,169	661,919	331,250	(331,250)	(331,250)	(0)
SILK FAB EXHIBITION INDORE 2017-2018	2,084,998	237,499	1,847,499	(1,242,500)	(1,242,500)	604,999
			—		—	—
7 CFCs			—		—	—
SILK FAB EXHIBITION COIMBATORE 2017-2018	997,931	255,431	742,500	(742,500)	(742,500)	—
SILK FAB EXHIBITION DEHRADUN 2017-2018	950,155	493,905	456,250	(456,250)	(456,250)	—
SILK FAB EXHIBITION GUWAHATI 2017-2018	902,631	(160,159)	1,062,790	(156,000)	(156,000)	906,790
SILK FAB EXHIBITION PATNA 2017-2018	3,369,579	1,854,579	1,515,000	(1,515,000)	(1,515,000)	—
OTHERS GRANTS			—			—
WOOL FAB EXHIBITION VARANASI 2017-2018	993,417	846,520	146,897	—	—	146,897
WOOL FAB EXHIBITION LUCKNOW 2017-2018	849,120	619,120	230,000	(230,000)	(230,000)	—
WEAVERS AWARENESS CAMP	(760,175)		(760,175)		—	(760,175)
FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY	37,634		37,634		—	37,634
ORGANIZE DESIGNERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI 1ST AUG.2017	264,381		264,381		—	264,381
3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	9,554,343	4,140,370	5,413,973		—	5,413,973
INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHMEDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	6,032,737		6,032,737		—	6,032,737
MAKING OF 12 FILMS OF 15MINUTES EACH ON REGD HANDLOOM AND HANDICRAFT PRODUCT UNDER GI ACT 1999	1,136,700	1,136,700	—		—	—
INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	3,663,465	3,422,460	241,005		—	241,005
HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	3,765,242		3,765,242		—	3,765,242
HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	1,067,660		1,067,660		—	1,067,660
SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	500,000		500,000		—	500,000
15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER	(2,679)		(2,679)		—	(2,679)
PROJECT MANAGEMENT TRANSACTION ADVISORY (PMTA JLL)	122,024		122,024	3,999,710	(3,999,710)	122,024
VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	897,474		897,474		—	897,474
DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE & MUSEUM CENTRE (TFC)	24,871,769	12,678,366	12,193,403	11,188,355	11,188,355	23,381,758
KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 ( 4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018)	99,000	1,136,700	(1,037,700)	1,136,700	—	99,000

दिनांक 05.10.2018 से 08.10.2018 तक लखनऊ में एयरएफ 2018 का चौथा संस्करण	165,700	—	—	165,700	—	—	—	165,700
जीआई पंजीकृत हथकरघाहस्तशिप उत्पाद पर 12 फिल्में (2018-2019)	140,373			140,373			—	140,373
जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन (एनएचडीपी के तहत)	4,372,116			4,372,116	3,354,713		3,354,713	7,726,829
सिल्क फेब प्रदर्शनी, रायपुर 2018-2019	2,228,924			2,228,924			—	2,228,924
सिल्क फेब प्रदर्शनी, नागपुर एनएचडी 2018-2019	487,646			487,646			—	487,646
दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार एवं संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) रसीद	(10,488,195)	7,327,354		(17,815,548)			—	(17,815,548)
5वां अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2019-2020)				—	14,533,508		14,533,508	14,533,508
7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	12,496,280			12,496,280			—	12,496,280
सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), वाराणसी के लिए अनुदान	(1,081,993)			(1,081,993)			—	(1,081,993)
डिजाइन विकास एवं पैटर्न निर्माण, वाराणसी	(17,863)			(17,863)			—	(17,863)
सिल्क फेब प्रदर्शनी, गंगटोक 2017-2018	842,408	(46,314)		888,722			—	888,722
बुनकर मित्र हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र	13,799,318	12,682,446		1,116,872	3,254,044		3,254,044	4,370,916
थीम आधारित हस्तशिल्प प्रदर्शनी (आसनसोल)				—	25,800		25,800	25,800
विशिष्ट रूपसे हथकरघा उत्पादों विशेष रूपसे हथकरघा उत्पादों के सुवर्ण आउटलेट (सैलैबिज कार्यक्रम)				—	378,701		378,701	378,701
श्रम संबंधी स्थायी समिति				—	113,573		113,573	113,573
राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो दिल्ली हाट (2019-2020)				—	43,000	(1,905,002)	(1,862,002)	(1,862,002)
सिल्क फेब प्रदर्शनी, इन्दौर एनएचडी 2018-2019	1,310,015			1,310,015			—	1,310,015
सिल्क फेब प्रदर्शनी, पटना एनएचडी 2018-2019	3,266,122			3,266,122			—	3,266,122
दिनांक 7-01-2019 से 13-01-2019 तक हथकरघा संवर्धन के लिए आउटलेट कार्यक्रम (एनडीसी, कोलकाता)	777,000	567,000		210,000			—	210,000
एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (उत्कलएससी जनवरी 2019 से फरवरी 2019)	1,368,691			1,368,691			—	1,368,691
गंतव्य गुजरात 2019 (18.12.2019 से 20.12.2019 तक)				—	138,768		138,768	138,768
उत्तराखंड एसआरएजेएन 2019 (15.12.2019 से 18.12.2019 तक)				—	76,700		76,700	76,700
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 (गुडमॉर्निंग/कोलकाता 84.5वां संस्करण (08.11.2019 से 8.11.2019 तक)				—	118,000		118,000	118,000
29 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में 5वां वार्षिक हैड टून रींगल टेक्साटाइल आफ इंडिया		1,250,000		(1,250,000)			—	(1,250,000)
संयुक्त एक्सपो इलाहाबाद 2019-2020		105,000		(105,000)	1,247,684		1,247,684	1,142,684
हथकरघा संवर्धन सहायता 22.12.2016 वीएनएस	3,096,110			3,096,110			—	3,096,110
कुल	150,679,224	104,154,093	4,605,000	41,920,131	141,312,600	(27,564,462)	113,748,138	155,668,269
कुल डेबिट (रिसीवेबल्स को ट्रांसफर)	166,127,695						—	195,344,291
कुल क्रेडिट (अनुदान खाते में अंतरण)	15,448,471						—	39,676,021
कुल जोड़	150,679,224	—	—	—	—	—	—	155,668,269

### चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों की धनराशि का विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.2018 को	वर्ष के दौरान प्राप्तियां		कुल	वर्ष के दौरान लेन-देन		कुल	दिनांक 31.03.2019 को शेष राशि
			सरकार से	प्रतिभागियों से		खर्च	वापसी / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9(7+8)	10(6-9)
यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना									
10: हैक यार्न सब्सिडी		316,813,003	666,258,641		(349,445,638)	365,666,601		365,666,601	16,220,963
वाई एसएस दावे (एमजीपीएस)		404,807,785	753,165,586		(348,357,801)	358,888,516		358,888,516	10,530,716
<b>कुल</b>		<b>721,620,788</b>	<b>1,419,424,227</b>	<b>—</b>	<b>(697,803,439)</b>	<b>724,555,117</b>		<b>724,555,117</b>	<b>26,751,678</b>
<b>कुल अनुदान</b>		<b>887,748,483</b>	<b>1,637,148,512</b>	<b>4,605,000</b>	<b>(749,400,029)</b>	<b>971,495,999</b>		<b>971,495,999</b>	<b>222,095,970</b>

4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018	165,700	—	—	165,700	—	—	—	165,700
12 FIJMS ON GI REGISTERED HANDLOOM /HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)	140,373			140,373			—	140,373
TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP )	4,372,116			4,372,116	3,354,713		3,354,713	7,726,829
SILK FAB EXHIBITION RAIPUR 2018-2019	2,228,924			2,228,924			—	2,228,924
SILK FAB EXHIBITION NAGPUR NHE 2018-2019	487,646			487,646			—	487,646
DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) RECEIPT	(10,488,195)	7,327,354		(17,815,548)			—	(17,815,548)
5th NATIONAL HANDLOOM DAY (2019-2020)				—	14,533,508		14,533,508	14,533,508
GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	12,496,280			12,496,280			—	12,496,280
GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	(1,081,993)			(1,081,993)			—	(1,081,993)
DESIGNS DEVELOPMENT & PATTERN MAKING VARANASI	(17,863)			(17,863)			—	(17,863)
SILK FAB EXHIBITION GANGTOK 2017-2018	842,408	(46,314)		888,722			—	888,722
BUNKAR MITRA HANDLOOM HELP LINE CENTRE	13,799,318	12,682,446		1,116,872	3,254,044		3,254,044	4,370,916
THEMATIC HANDICRAFT EXHIBITION (AASANSOLE)				—	25,800		25,800	25,800
RETAIL OUTLET OF EXCLUSIVE HANDLOOM PRODUCTS (FLAGSHIP STORES)				—	378,701		378,701	378,701
PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR				—	113,573		113,573	113,573
NATIONAL HANDLOOM EXPO DELHI HAT (2019-2020)				—	43,000	(1,905,002)	(1,862,002)	(1,862,002)
SILK FAB EXHIBITION INDORE NHE 2018-2019	1,310,015			1,310,015			—	1,310,015
SILK FAB EXHIBITION PATNA NHE 2018-2019	3,266,122			3,266,122			—	3,266,122
OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-4-2019 TO 13-4-2019	777,000	567,000		210,000			—	210,000
OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019)	1,368,691			1,368,691			—	1,368,691
DESTINATION GUJRAT 2019 (18.12.2019 TO 20.12.2019)				—	138,768		138,768	138,768
UTTARAKHAND SRAJAN 2019 (15.12.2019 TO 18.12.2019)				—	76,700		76,700	76,700
5TH EDITION OF INDIA INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL 2019 (IBSF) KOLKOTTA (05.11.2019 TO 8.11.2019)				—	118,000		118,000	118,000
5TH WALKING HAND-IN-HAND ROYAL TEXTILES OF INDIA ON 28TH FEBRUARY 2020 AT NEW DELHI		1,250,000		(1,250,000)			—	(1,250,000)
JOINT EXPO ALLAHABAD 2019-2020		105,000		(105,000)	1,247,684		1,247,684	1,142,684
HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA 22.12.2016 VNS	3,096,110			3,096,110			—	3,096,110
TOTAL	150,679,224	104,154,093	4,605,000	41,920,131	141,312,600	(27,564,462)	113,748,138	155,668,269
TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	166,127,695						—	195,344,291
TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	15,448,471						—	39,676,021
GRAND TOTAL	150,679,224	—	—	—	—	—	—	155,668,269

## DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

Sr. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2018	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance as on 31.03.2019
			From Govt.	From Participants		Expenses	Refund / Adjustment/Transfer		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9(7+8)	10(6-9)
	YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME								
	10% HANK YARN SUBSIDY	316,813,003	666,258,641		(349,445,638)	365,666,601		365,666,601	16,220,963
	YSS CLAIMS (MGPS)	404,807,785	753,165,586		(348,357,801)	358,888,516		358,888,516	10,530,716
	<b>TOTAL</b>	<b>721,620,788</b>	<b>1,419,424,227</b>	<b>—</b>	<b>(697,803,439)</b>	<b>724,555,117</b>		<b>724,555,117</b>	<b>26,751,678</b>
	<b>TOTAL GRANTS</b>	<b>887,748,483</b>	<b>1,637,148,512</b>	<b>4,605,000</b>	<b>(749,400,029)</b>	<b>971,495,999</b>		<b>971,495,999</b>	<b>222,095,970</b>



## This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)

**National Handloom Development Corporation Ltd.**  
(A Government of India Undertaking)



### पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,  
प्लॉट नं. III, सेक्टर नॉलेज पार्क-तृतीय,  
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा  
गौतमबुद्ध नगर  
उत्तर प्रदेश – 201306  
फोन नं. 0120-2329600  
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

### Registered Office

4<sup>th</sup>Floor, Wegmans Business Park, Tower-1,  
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,  
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,  
Gautam Buddh Nagar  
Uttar Pradesh - 201306  
Phone : 0120-2329600  
E-mail : conhdc@nhdc.org.in

[www.nhdc.org.in](http://www.nhdc.org.in)